

भारत के
नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
सामाजिक क्षेत्र
(गैर—सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
पर प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली सरकार

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या – 3

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v - viii
अध्याय: I निष्पादन लेखापरीक्षा		
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में डेंगू की रोकथाम तथा नियंत्रण	1.1	1
अध्याय: II अनुपालना लेखापरीक्षा		
शहरी विकास विभाग		
राजीव गाँधी चौक का पुनर्विकास	2.1	33
सूचना एवं प्रचार निदेशालय		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विज्ञापन एवं प्रचार अभियान	2.2	46
अनुलग्नक		
विज्ञापनों की सामग्री से उद्धरण / टी.वी. विलप्स से स्नेपशॉट्स	2.2.2.1	61

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में रखने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के विभागों की निष्पादन लेखा परीक्षा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2015–16 के दौरान लेखों की जांच से लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये, साथ ही वे मामले हैं जो उसके पूर्व के वर्षों में पता चले परन्तु जिन्हें पिछली रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, 2015–16 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी जहाँ आवश्यक थे, सम्मिलित किए गए हैं।

इस लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2002) के अनुसार किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में डेंगू की रोकथाम तथा नियंत्रण पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें ₹ 53.69 करोड़ निहितार्थ हैं और दो पैराग्राफ ₹ 83.28 करोड़ वित्तीय निहितार्थ के साथ शामिल हैं।

प्रतिवेदन में शामिल कुछ मुख्य निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

निष्पादन लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में डेंगू की रोकथाम तथा नियंत्रण

दिल्ली 1967 से डेंगू के प्रकोप को सहन कर रही है और सरकार, नगर निगमों तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा कई वर्षों से इसके फैलने को रोकने तथा नियंत्रण के साथ—साथ पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता तथा राहत प्रदान करने हेतु विभिन्न उपाय शुरू किए गए। तथापि, डेंगू का प्रत्येक वर्ष फैलना जारी है, जिससे समस्या का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की प्रतिबद्धता अनिवार्य हो जाती है। जनवरी 2013 से दिसम्बर 2015 की अवधि की एक निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकने के लिए की गई कि क्या सरकारी एजेंसियों और नगर निगमों द्वारा डेंगू नियंत्रण हेतु किए गए उपाय पर्याप्त और प्रभावी थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा.रा.क्षे. दिल्ली में कई वर्षों से डेंगू की पुनरावृत्ति तथा 2015 के दौरान बढ़ते डेंगू के मामलों के साथ—साथ मृत्युदर में हुई वृद्धि के बावजूद, विभागों के साथ—साथ नगर निगमों द्वारा उठाए गए कदम समस्या के परिमाण के अनुरूप नहीं थे यद्यपि निधि की कोई बाधा नहीं थी। पूर्व, उत्तर और दक्षिण के तीनों नगर निगमों (दिननि) के साथ—साथ नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (न.दि.न.प.) में प्रभावी निगरानी तंत्र की कमी थी तथा 967 सूचना देने वाली इकाईयों में से केवल 289 इकाईयाँ (30 प्रतिशत) ने ही राज्य निगरानी इकाई को डेंगू रोगियों के आंकड़े सूचित किए, जिससे समय रहते हस्तक्षेप कर सकने के लिए निगरानी रखने का सार्थक उद्देश्य विफल हो गया। मच्छर प्रजनन के नियंत्रण हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, उपयुक्त स्वच्छता तथा निर्माण स्थलों, टायर मार्किट, इत्यादि के नियमन के लिए संबंधित विभागों/एजेंसियों के साथ सहयोग अथवा समन्वय के लिए कोई संस्थागत तंत्र भी नहीं था। मलेरिया सर्कल जो मच्छररोधी फील्ड परिचालनों के लिए प्राथमिक इकाई है, में भी उनके कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए आधारभूत अवसंरचना की कमी थी। 67 प्रतिशत से अधिक मलेरिया सर्कलों में पानी के कनैक्शन की कमी थी, 22 प्रतिशत में बिजली कनैक्शन की कमी थी और 88 प्रतिशत में लैंड लाइन्ड टेलिफोन नहीं थे जिसने उनके कार्यों को कुशलतापूर्वक करने की क्षमता को क्षीण किया।

इसके अतिरिक्त, डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए संस्थागत प्रबंध कमजोर था। डेंगू कार्यबल जो डेंगू के नियंत्रण हेतु कार्य योजनाओं के लिए गठित किया गया था, अक्रियाशील रहा और दिननि, नदिनप, उत्तरी रेलवे तथा दिल्ली छावनी बोर्ड में तत्काल प्रतिक्रिया दल

गठित नहीं किए गए जो संक्रमण को रोकने अथवा कम करने तथा मच्छर प्रजनन स्थलों को जड़ से समाप्त करने के लिए आपातकालीन कार्यवाही कर सकें। अस्पतालों द्वारा सूचित डेंगू के 67,578 पॉजिटिव मामलों में से, दक्षिणी दिल्ली नगर पालिका ने नोडल एजेंसी के रूप में निदेशालय को केवल 22,436 मामले ही सूचित किए। वर्ष 2015 के लिए जबकि अस्तपतालों ने डेंगू से मृत्यु के 409 मामले रिपोर्ट किये, मृत्यु समीक्षा समिति ने केवल 60 मृत्यु की पुष्टि की।

उपयुक्त कीटनाशकों के चयन के लिए मानक प्रक्रिया की कमी के साथ स्प्रे तथा फॉगिंग प्रयोगों की पर्याप्त देखरेख में कमी ने मच्छररोधी अभियान की प्रभाविकता को कम किया। दिल्ली नगर पालिका ने घरों में लार्वा को लक्ष्य करके घरेलू प्रजनन जाँचकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों पर किसी पर्यवेक्षण के बिना अथवा उनकी प्रभाविकता के निर्धारण के बिना ₹ 109.43 करोड़ का व्यय किया। इसके अतिरिक्त कुल ₹ 42.85 करोड़ का व्यय मच्छररोधी परिचालनों के लिए अपनाई गई उन तकनीकों तथा रासायनिक घोलों पर किया गया, जो राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम चिकुनगुनिया तथा डेंगू महामारी प्रकोप के नियंत्रण कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में न तो निर्धारित हैं और न ही उनकी सिफारिश की गई है। इनके अतिरिक्त ₹ 79.76 लाख मूल्य के कीटनाशकों के प्रयोग का कोई रिकार्ड नहीं था।

दिल्ली सरकार ने 2013–14 से 2015–16 के दौरान डेंगू की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियानों पर ₹ 10.04 करोड़ खर्च किया। तथापि, विज्ञापन सितम्बर और नवम्बर माह के बीच अर्थात डेंगू के प्रकोप के बाद प्रकाशित किए गए, जिससे प्रकोप की रोकथाम के उपायों की जागरूकता उत्पन्न करने का उद्देश्य विफल हो गया। इसी तरह दि.न.नि. ने भी प्रति वर्ष मानसून के पश्चात अपने जन जागरूकता अभियान आरंभ किए।

अनुपालना लेखापरीक्षा

राजीव गाँधी चौक का पुनर्विकास

कनॉट प्लेस (सी.पी.) मूलतः 1929 में एक बाजार–सह–रिहायशी कांम्पलेक्स के रूप में डिजाईन किया गया था। कनॉट प्लेस को वर्ष 1995 में राजीव गाँधी चौक के रूप में पुनः नामित किया गया। बीतते वर्षों में पुराना होने की प्रक्रिया और संरचना में तदर्थ बदलावों एवं निर्माण के परिणामस्वरूप इस हैरिटेज कांम्पलेक्स की समग्र स्थिति में गिरावट आई तथा इसका मूल अग्रभाग विरूपित हो गया। इसके अतिरिक्त, इसके आंतरिक सर्कल के अंदर की तरफ भूमिगत पालिका बाजार तथा राजीव चौक मैट्रो इंटरचेंज टर्मिनल के विकास से सी.पी. में आगंतुकों तथा वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई। जिसके परिणामस्वरूप ट्रैफिक की भीड़ बढ़ी तथा सड़कों पर वाहन ट्रैफिक तथा पदयात्रियों के बीच उलझाव होने लगा। बढ़ती व्यवसायिक गतिविधियाँ तथा जनसंख्या से सी.पी. की सिविक अवसंरचना पर अतिरिक्त दबाव पड़ा।

परियोजना का सर्वसमावशक उद्देश्य सी.पी. के वास्तुशिल्पयी तथा हैरिटेज स्वरूप का पुनरुद्धार करने के साथ ही यातायात तथा पदयात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाते हुए राष्ट्रीय राजधानी के इस प्रधान व्यवसायिक केन्द्र में पर्यटकों की अनुभूति तथा अनुभव में सुधार करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। डी.पी.आर. में निहित परियोजना के कार्य क्षेत्र में भारी कटौती कर ₹ 615.20 करोड़ से ₹ 477.02 करोड़ कर दिया गया। केवल बाह्य व आंतरिक सर्कलों में ही अग्रभाग के पुनरुद्धार का कार्य किया गया जबकि भवन के स्थायित्व की स्थिति का अध्ययन नहीं करवाया गया। सबवेज, स्वचालित सीढ़ियां, भूमिगत पार्किंग, भू-दृश्य तथा प्रकाश व्यवस्था में सुधार जैसी सुविधाएं जोकि ट्रैफिक एवं पदयात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने तथा पर्यटकों के अनुभवों में सुधार के लिए थी, पूरी नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपयोगी कॉरिडोर, सतह विकास, जलापूर्ति तथा गलियारे के फर्श बनाने पर किया गया ₹ 18.05 करोड़ का व्यय या तो परिहार्य था या निष्फल रहा। इसके साथ ही अग्निशमन तंत्र में ₹ 4.97 करोड़ के व्यय से की गई अग्निशमन क्षमता में बढ़ोतरी का लेखापरीक्षा में आश्वस्त नहीं किया जा सका। टर्नकी परामर्शदाता द्वारा सर्विस टनल बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली तकनीकी में बदलाव के कारण हुए वित्तीय प्रभाव को, लागत ₹ 71.21 करोड़ से ₹ 192.95 करोड़ बढ़ने के बावजूद, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के समक्ष पुनर्विचार एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत नहीं किया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विज्ञापन तथा प्रचार अभियान

सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डी.आई.पी.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे. दि.स.) के कार्यक्रमों, नीतियों तथा कार्य कलापों की सूचना तथा प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है तथा उसके सभी विभागों की प्रचार आवश्यकताओं की देखरेख करता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मई 2015 के निर्णय में किसी भी निहित सार्वजनिक हित के बिना विज्ञापन के लिए सार्वजनिक निधियों के मनमाने ढंग से उपयोग को रोकने की दृष्टि से सरकारी विज्ञापन के विषय नियमन पर दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया। लेखापरीक्षा ने डी.आई.पी. एवं अन्य पाँच विभागों व दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित विज्ञापनों के प्रतिवेदनों की, जोकि 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2016 तक यह सुनिश्चित करने के लिए कि विज्ञापन एवं प्रचार पर व्यय मितव्ययता, दक्षता एवं प्रभावशाली तरीके से वित्तीय मर्यादाओं के अनुरूप हुआ है, नमूना जाँच की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित सिद्धान्त एवं दिशानिर्देश, किये गये व्यय के आकलन एवं मूल्यांकन के लिए मानदण्ड के रूप में अपनाये गये थे।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2013–14 में ₹ 47.74 करोड़ एवं 2014–15 ₹ 27.43 करोड़ का व्यय किया। वर्ष 2015–16 के दौरान किया गया व्यय, डी.आई.पी. द्वारा 2016–17 में किये गये भुगतान, ₹ 20.23 करोड़ सहित कुल ₹ 101.46 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, दूसरे विभागों द्वारा व्यय

और 2015–16 के दौरान प्रिंट एवं वाह्य मीडिया के संदर्भ में अन्य देयताएं जिनका विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया, शामिल थे।

सार्वजनिक निधि द्वारा वित्तपोषित विज्ञापन एवं प्रचार अभियानों का उत्तरदायित्व सरकार पर होना चाहिए तथा संबंधित राज्य/संघ प्रदेश में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, सेवाओं एवं पहल के बारे में जनता को सूचित करने के लिए निर्दिष्ट होना चाहिए। प्रतिवेदनों की नमूना जाँच से लेखापरीक्षा ने पाया कि विज्ञापन एवं प्रचार अभियानों पर ₹ 24.29 करोड़ का व्यय वित्तीय मर्यादा के सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुरूप या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित विनियमों पर आधारित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था। आगे एक विशिष्ट अभियान में किए गए ₹ 33.40 करोड़ के व्यय का 85 प्रतिशत से अधिक व्यय रा.रा.क्षे. दिल्ली के बाहर के विज्ञापनों से संबंधित था, जो रा.रा.क्षे.दि.स. के उत्तरदायित्व से परे था। लक्षित श्रोताओं की समझ या आवश्यक दृश्यता या पहुँच के लिए कोई पूर्वाभ्यास नहीं था, ना ही कोई अभियान पश्चात प्रभाव आकलन किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी नोट किया कि शब्दार्थ की स्थापना विज्ञापनों पर व्यय में मितव्ययता के उद्देश्य से की गई थी, जो प्राप्त नहीं हो सका। आवश्यक पंजिकाओं के अनुचित या गैर अनुरक्षण के साथ सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को प्राप्त करते हुए विज्ञापन/प्रचार अभियान प्रकाशित करने के लिए प्रस्तावों में कीमत अनुमान के समावेश से संबंधित विद्यमान निर्देशों के गैर अनुपालन ने व्यय नियंत्रण को कम किया एवं विज्ञापन तथा प्रचार पर उत्पन्न देयताओं व किये गये व्यय की यथार्थता एवं व्यापकता का कोई आश्वासन नहीं दिया।

अध्याय – I
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय – I

निष्पादन लेखापरीक्षा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में डेंगू की रोकथाम तथा नियंत्रण

दिल्ली 1967 से डेंगू के प्रकोप को सहन कर रही है। सरकार, नगर निगमों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा वर्षों से इस को रोकने तथा नियंत्रण के साथ-साथ पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता तथा राहत प्रदान करने हेतु विभिन्न उपाय किए जाते रहे हैं। तथापि डेंगू का पिछले वर्षों में सूचित मामलों की संख्या चक्रीय उतार-चढ़ाव सहित प्रत्येक वर्ष फैलना जारी है जिससे समस्या का सामना करने के लिए उल्लेखनीय वित्तीय संसाधनों की प्रतिबद्धता अनिवार्य हो जाती है। जनवरी 2013 से दिसम्बर 2015 की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई कि क्या सरकारी एजेंसियों और नगर निगमों द्वारा डेंगू नियंत्रण हेतु किए गए उपाय पर्याप्त और प्रभावी थे। निदेशालय राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम ने डेंगू से बचाव तथा नियंत्रण हेतु आठ मुख्य घटकों को चिन्हित किया। विद्यमान प्रणालियों तथा संबंधित विभागों/एजेंसियों द्वारा इन मुख्य घटकों के प्रति की गई कार्रवाईयों का मूल्यांकन किया गया। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष संक्षिप्त रूप से नीचे दिए गए हैं:

मुख्य बिन्दु

- डेंगू की रोकथाम हेतु प्रथम क्रिटिकल घटक प्रभावी निगरानी है जो आने वाले प्रकोप की शीघ्र चेतावनी दे सकती है। तीनों दिल्ली नगर निगमों (दि.न.नि.) पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण के साथ-साथ नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (न.दि.न.प.) ने महामारीय तथा कीटविज्ञान संबंधी निगरानी के लिए न तो कोई मानक प्रचालन प्रक्रिया विकसित की थी और न ही इस उद्देश्य के लिए कोई प्रयोगशाला सुविधा थी। फलस्वरूप, महामारीविदों तथा कीटविज्ञानियों को खतरों के निर्धारण के लिए महामारीय तथा कीटविज्ञान संबंधी आंकड़ों के मूल्यांकन के उनके प्राथमिक उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, 967 में से केवल 289 इकाईयों (30 प्रतिशत) ने राज्य निगरानी इकाई को डेंगू रोगियों के आंकड़े सूचित किए जिससे इसका सामयिक हस्तक्षेप के लिए अर्थपूर्ण निगरानी का उद्देश्य कमतर हो गया।

(पैराग्राफ 1.2.1, 1.2.2 व 1.2.3)

- मच्छर प्रजनन को परिवेश परिवर्तन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण स्थलों, टायर मार्किट, इत्यादि की उचित स्वच्छता तथा नियमन, शामिल होते हैं। तथापि न तो दि.न.नि. और

न ही न.दि.न.प. में मच्छर प्रजनन को नियंत्रित करने के लिए परिवेशीय परिवर्तन हेतु अन्य संबंधित विभागों/एजेंसियों के साथ सहयोग अथवा समन्वय हेतु कोई सांस्थानिक प्रणाली थी।

(पैराग्राफ 1.3.1)

- नगर निगमों ने अपने अधिकार क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले घरों में लावा को लक्ष्य करने के लिए घरेलू प्रजनन जाँचकर्ताओं को नियुक्त किया, जबकि न.दि.न.प. ने इस कार्य के लिए मलेरियारोधी गैंगमैनों को नियुक्त किया जो उनके नियमित स्टॉफ थे, दि.न.नि. ने इस कार्य के लिए ₹ 109.43 करोड़ का व्यय करके 3358 अकुशल व्यक्तियों को काम पर लगाया। तथापि, किए गए कार्य अथवा उनकी प्रभाविकता के निर्धारण हेतु कोई मॉनिटरिंग या पर्यवेक्षण नहीं था।

(पैराग्राफ 1.3.2)

- अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के दौरान वयस्क मच्छरों के नियंत्रण के लिए कीटनाशकों, डाइल्युंटों तथा उपकरण की खरीद पर ₹ 88.26 करोड़ व्यय किया गया। तथापि, रसायनों तथा कीटविज्ञान संबंधी निगरानी के उपयोग पर एक निश्चित नीति के अभाव में एक विशेष प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त कीटनाशक तथा तकनीकों का चयन करने और उन मोहल्लों/परिसरों जहाँ रसायन प्रभावी रूप से प्रयुक्त किए जा सकते थे, को चिह्नित करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

(पैराग्राफ 1.3)

- कुल 83.63 लाख घरों का उपचार तीन विभिन्न तकनीकों को लागू करके छ: विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों से किया गया। इनमें से 72.07 लाख घरों (86.17 प्रतिशत) का उपचार उन तकनीकों/रासायनिक घोल को अपनाकर किया गया जो राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम अथवा चिकनगुनिया तथा डेंगू महामारी प्रकोप के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में न तो निर्धारित हैं और न ही उनकी सिफारिश की गई है। ऐसे उपचार पर ₹ 2.55 करोड़ का व्यय किया गया। रोगवाहक नियंत्रण में अपनाये गये तरीकों की प्रभाविकता के लिए भी कोई निर्धारण नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 1.3.4.1)

- आऊटडोर स्पेस फॉर्गिंग की सिफारिश सामान्यतः केवल आपातकालीन स्थिति में चल रही महामारी को दबाने या आरंभ में ही उसकी रोकथाम करने में की जाती है। यह अधिकतर साधारण स्थितियों में अप्रभावी होती है। तथापि, दि.न.नि. तथा न.दि.न.प. ने वर्ष 2013–15 के दौरान ₹ 95.10

लाख की लागत पर आऊटडोर फॉर्मिंग को नियमित रूप में किया। इसके प्रयोग की प्रभाविकता को निश्चित करने हेतु कोई अध्ययन नहीं किया गया।

(पैराग्राफ 1.3.4.2)

- दि.न.नि. तथा न.दि.न.प. द्वारा लार्वा पर रासायनिक नियंत्रण हेतु उपयोग किए गए घोल अथवा अपनाए गए तरीके दिशानिर्देशों में दी गई सिफारिशों के अनुरूप नहीं थे। निगमों ने कीटनाशक का प्रयोग नालियों में बहने वाले पानी में तथा ऐसी अधिक आवृत्ति में किया जिसे दिशानिर्देशों में नहीं बताया गया। इस पर ₹ 37.26 करोड़ का व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹ 79.76 लाख मूल्य के कीटनाशकों के प्रयोग का कोई रिकार्ड नहीं था जबकि ₹ 2.09 करोड़ मूल्य के लार्वासाइड का प्रयोग ऐसी परिस्थितियों में किया गया जिनसे पानी एकत्र करने वाले पात्रों की नियमित सफाई करके अच्छी तरह निपटा जा सकता था।

(पैराग्राफ 1.3.5)

- दिल्ली छावनी बोर्ड वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान मच्छररोधी परिचालनों हेतु कुल आवंटित ₹ 1.80 करोड़ में से 74 प्रतिशत निधियों का उपयोग नहीं कर सका। इसने न तो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों की फॉर्मिंग और स्प्रे के लिए कोई कार्य योजना बनाई और न ही वास्तव में किए गए किसी कार्य का कोई रिकार्ड था।

(पैराग्राफ 1.3.10)

- डेंगू प्रकोप की प्रतिक्रिया के लिए सांस्थानिक प्रबंध कमजोर थे। डेंगू कार्य बल जो डेंगू के नियंत्रण हेतु कार्य योजनाये बनाने के लिए गठित किया गया था, अक्रियाशील रहा। डेंगू प्रकोप की सूचना देने वाला कोई तंत्र नहीं था और दि.न.नि., न.दि.न.प., उत्तरी रेलवे तथा दिल्ली छावनी बोर्ड में तत्काल प्रतिक्रिया दल (आर.आर.टी.) गठित नहीं किए गए थे जो संक्रमण को रोकने अथवा कम करने तथा मच्छर प्रजनन स्थलों को जड़ से समाप्त करने के लिए आपातकालीन कार्रवाई कर सकें।

(पैराग्राफ 1.4.1, 1.4.2 व 1.4.3)

- डेंगू मृत्यु समीक्षा समिति का गठन सभी डेंगू के मामलों की चिकित्सकीय लेखापरीक्षा करने के लिए किया जाना था तथा समिति हेतु दिशानिर्देश, राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के निदेशालय द्वारा बनाए जाने थे। ऐसे कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए गए। दि.न.प. ने नोडल एजेंसी के रूप में अस्पतालों द्वारा सूचित डेंगू के 67578 पॉजिटिव मामलों में से

केवल 22436 मामले ही निदेशालय को सूचित किए। वर्ष 2015 के लिए अस्पतालों ने 409 डेंगू मृत्यु की सूचना दी जबकि मृत्यु समीक्षा समिति ने केवल 60 मृत्यु की पुष्टि की।

(पैराग्राफ 1.5.2)

- मलेरिया सर्कल एक प्रारम्भिक इकाई है जहाँ से सभी फील्ड ऑपरेशन पूरे किए जाते हैं। 67 प्रतिशत से अधिक मलेरिया सर्कल्स में आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं जैसे पानी के कनेक्शन की कमी थी, जबकि 22 प्रतिशत में बिजली कनेक्शन नहीं था और 88 प्रतिशत सर्कल्स में लैंडलाईन टेलीफोन नहीं था जिसने उनकी कार्यों को कुशलतापूर्वक करने की क्षमता को प्रभावित किया। दि.न.नि. तथा न.दि.न.प. में लगभग क्रमशः 26 प्रतिशत तथा 65 प्रतिशत उपलब्ध पंप/मशीनें कार्यात्मक नहीं थीं।

(पैराग्राफ 1.7.2 व 1.7.3)

- दिल्ली सरकार ने 2013–14 से 2015–16 के दौरान डेंगू की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियानों पर ₹ 10.04 करोड़ खर्च किये। तथापि, विज्ञापन सितम्बर और नवम्बर के बीच अर्थात् डेंगू प्रकोप के आने के पश्चात जारी किए गए जिससे डेंगू प्रकोप से बचाव के लिए की गई जागरूकता का उद्देश्य विफल हो गया। इसी तरह, दि.न.नि. ने भी प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद अक्टूबर में अपने जन जागरूक अभियानों को आरंभ किया।

(पैराग्राफ 1.8.2)

1.1.1. प्रस्तावना

डेंगू ज्वर एक मच्छर जनित जीवाणवीय रोग है जो मादा एडीस (ई) मच्छर, अर्थात् ई एजिप्टी के काटने से होता है, जो अपने तीव्र रूप डेंगू हैमरेजिक फीवर (डी.एच.एफ.) में रोगी के लिए जानलेवा हो सकता है। ई एजिप्टी के जीवन चक्र में तीन चरण अंडा, लार्वा और प्यूपा अधिकतर जलीय होते हैं और परिवेशी तापमान और आर्द्रता पर निर्भर रहते हुए 7 से 14 दिनों तक अभिलक्षित होते हैं। ई एजिप्टी लगभग पूर्णतः घरेलू क्षेत्रों में ही पनपते हैं जहाँ मानव निर्मित जल पात्र आसानी से उपलब्ध होते हैं। डेंगू ज्वर/डी.एच.एफ. डी.एच.एफ. के मामलों में बढ़ोत्तरी सामान्यतः प्रतिवर्ष जुलाई से नवम्बर के बीच पाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने “निग्लेकटेड ट्रॉपिकल डिजीजेज” (2010) पर अपनी पहली रिपोर्ट में 17 निग्लेकटेड ट्रॉपिकल डिजीजेज में से डेंगू को एक माना है।

डी.एच.एफ. का प्रकोप दिल्ली में 1967 से ही रहा है जबकि 1996 में एक भीषण प्रकोप हुआ। 2006–15 की अवधि के दौरान दिल्ली में सूचित डेंगू मामलों और मृत्यु की संख्या

2015 में बढ़ोत्तरी सहित अस्थिर रही है जैसाकि नीचे तालिका 1.1.1 में दर्शाया गया है

तालिका 1.1.1: सूचित डेंगू मामले और डेंगू से मृत्यु

वर्ष	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
डेंगू मामले	3,366	548	1,312	1,153	6,259	1,131	2,093	5,574	995	15,867
डेंगू से मृत्यु	33	1	2	3	8	8	4	6	3	60

भारत सरकार (भा.स.) का राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में आरंभ किया गया और डेंगू व अन्य रोगवाहक जनित रोगों¹ को सम्मिलित करने के लिए इसे राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.बी.डी.सी.पी.) के रूप में 2004 (10 वीं योजना) में पुनर्गठित किया गया। यह कार्यक्रम निदेशालय राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग¹ नियंत्रण कार्यक्रम (निदेशालय) के माध्यम से केंद्र-प्रायोजित राज्य कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जाता है, जिसे राज्य/केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा अपने संबंधित स्वास्थ्य विभागों के माध्यम से कार्यान्वित करना होता है। 2007 में निदेशालय ने चिकुनगुनिया और डेंगू महामारी प्रकोप के नियंत्रण हेतु कार्यक्रम दिशानिर्देश (कार्यक्रम दिशानिर्देश) और डेंगू और चिकुनगुनिया से बचाव व इसके नियंत्रण हेतु एक मध्यावधि योजना (एम.टी.पी.) सूत्रबद्ध की गई। ये योजनाएँ अधिकांशतः डेंगू ज्वर के निदान, उपचार, बचाव और नियंत्रण हेतु डब्ल्यू.एच.ओ. के दिशानिर्देश (डब्ल्यू.एच.ओ. दिशानिर्देश) पर आधारित थीं। निदेशालय ने 2009 में डेंगू/डी.एच.एफ. के नियंत्रण हेतु एकीकृत रोगवाहक प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश (आई.वी.एम. दिशानिर्देश) भी प्रकाशित किए।

दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह कार्यक्रम दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (डी.एच.एफ.डब्ल्यू.) और पाँच स्थानीय निकायों² द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु डी.एच.एफ.डब्ल्यू. में एक राज्य कार्यक्रम अधिकारी (एसपीओ) है। दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.) अपने मलेरिया विभाग, जो उनके जन स्वास्थ्य विभाग की एक शाखा है और जिसका अध्यक्ष नगर स्वास्थ्य अधिकारी (एम.एच.ओ.) होता है, के माध्यम से अपने संबंधित अधिकार क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हैं। इसके अतिरिक्त, रेल मंत्रालय तथा दिल्ली छावनी बोर्ड भी अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों में मच्छर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करते हैं।

पिछले वर्षों में डेंगू के मामलों में बढ़ोत्तरी और उच्च मृत्यु दर जैसाकि उपरोक्त तालिका 1.1.1 में प्रदर्शित किया गया है, को ध्यान में रखते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा दिल्ली के राष्ट्रीय

¹जापानीज इनसेफेलाईटिस (जेइ), मलेरिया, चिकनगुनिया, काला-अजर और लिफेटिक फाइलेरियासिस

²उत्तरी दि.न.नि., दक्षिणी दि.न.नि., पूर्वी दि.न.नि., न.दि.न.प. और दिल्ली छावनी बोर्ड

राजधानी क्षेत्र में डेंगू के प्रकोप से बचाव और नियंत्रण हेतु मौजूदा सांस्थानिक तंत्र की प्रभावशीलता के आकलन हेतु की गई।

1.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा उद्देश्यों में निर्धारित करना था कि क्या:

- रा.रा.क्षे.दि.स. और स्थानीय निकायों द्वारा डेंगू की उत्पत्ति के नियंत्रण हेतु किये गए निवारक उपाय प्रभावी, निदेशालय राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के (डी.एन.वी.बी.डी.सी.पी.) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली में समस्या के परिमाण के अनुरूप थे; और
- सेंट्रिनल सर्विलांस अस्पताल (एस.एस.एच.) डेंगू रोगियों की भीड़ की समस्या का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार थे और क्या अस्पतालों ने इस संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया था

1.1.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यविधि

निष्पादन लेखापरीक्षा जनवरी 2013 से दिसम्बर 2015 तक की अवधि को लेते हुए 15 अक्टूबर 2015 से 22 अप्रैल 2016 तक आयोजित की गई। रा.रा.क्षे. दिल्ली में कुल 33 सेंट्रिनल सर्विलांस अस्पतालों (एस.एस.एच.) में से लेखापरीक्षा ने रा.रा.क्षे.दि.स. के 10 अस्पताल³ तथा पूर्वी दि.न.नि. के एक अस्पताल⁴ को यादृच्छिक नमूने के जरिए अभिलेखों की संवीक्षा हेतु चुना। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दो अस्पतालों⁵ के अभिलेखों की जाँच कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) द्वारा की गई। रक्षा मंत्रालय के दो अस्पताल⁶ के साथ छावनी जनरल अस्पताल और उत्तरी रेलवे के एक अस्पताल⁷ की भी लेखापरीक्षा क्रमशः कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (रक्षा सेवाएं) और कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (उत्तरी रेलवे) द्वारा की गई। संबंधित अभिलेखों की जाँच रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय पर तथा न.दि.न.प., दिल्ली छावनी बोर्ड (डी.सी.बी.), उत्तरी रेलवे और संबंधित दि.न.नि. के जन स्वास्थ्य विभागों में भी की गई थी।

प्रवेश सम्मेलन 20 नवम्बर 2015 को स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और रा.रा.क्षे.दि.स. के अस्पतालों के साथ और उत्तरी दि.न.नि., दक्षिणी दि.न.नि. और पूर्वी दि.न.नि. के साथ क्रमशः 19 नवम्बर, 20 नवम्बर और 4 दिसम्बर 2015 को किए गए जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों और कार्यविधि को स्पष्ट किया गया और चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा हेतु इन संगठनों के साथ समापन सम्मेलन 02 जून 2016 को किया गया। समापन सम्मेलन में व्यक्त विचार और जो बाद में प्राप्त हुए, उन्हें प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

³रा.रा.क्षे.दि.स. का 10-लोक नायक अस्पताल (एल.एन.एच.), गुरु तेग बहादुर अस्पताल (जी.टी.बी.एच.), बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल (बी.एस.ए.एच.), दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (जी.डी.यू.एच.), सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल (एस.आर.एच.सी.एच.), भगवान महावीर अस्पताल हॉस्पिटल (बी.एम.एच.), डॉ. हेडगेवर आरोग्यम संस्थान (डी.एच.ए.एस.), जग परवेशचंद्र अस्पताल (जे.पी.सी.एच.), सरदार वल्लभ भाई घेटोल अस्पताल (एस.बी.बी.एच.), प. मदन मोहन मालवीय अस्पताल (पा.म.म.एच.)।

⁴स्वामी दयानंद अस्पताल (एस.डी.एच.)

⁵लेडी हॉर्डिंग अस्पताल तथा डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल

⁶बैस अस्पताल तथा आर आर अस्पताल

⁷उत्तरी रेलवे सैन्ट्रल अस्पताल

1.1.4 वित्तीय परिव्यय और व्यय

दिल्ली नगर निगम : गैर-योजनागत व्यय हेतु निधियों की व्यवस्था निगमों द्वारा उनके अपने बजट से की जाती है जबकि मच्छर नियंत्रण हेतु योजनागत गतिविधियों पर व्यय, जैसे कीटनाशक, उपकरणों का क्रय, घरेलू मच्छर प्रजनन जाँचकर्ता (डी.बी.सी.), जन जागरूकता अभियान पर व्यय, इत्यादि रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त सहायता अनुदान से पूर्ण किया जाता है। 2013-15 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा योजनागत गतिविधियों पर जारी सहायता अनुदान तथा दि.न.नि. द्वारा वास्तविक व्यय का विवरण तालिका 1.1.2 में दिया गया है:

तालिका 1.1.2: आवंटन और व्यय (दि.न.नि.)

(₹ लाख में)

वर्ष	उत्तरी दि.न.नि.		दक्षिणी दि.न.नि.		पूर्वी दि.न.नि.	
	सहायता अनुदान	व्यय	सहायता अनुदान	व्यय	सहायता अनुदान	व्यय
2013-14	3,663.61	3,266.95	3,018.31	2,574.66	1,200.00	1,145.75
2014-15	4,118.66	3,398.54	3,285.65	2,926.17	1,639.25	2,187.91
2015-16	4,642.12	3,923.53	3,515.48	3,316.50	1,688.00	1,654.94
Total	12,424.39	10,589.02	9,819.44	8,817.33	4,527.25	4,988.60

नई दिल्ली नगर परिषद : न.दि.न.प. द्वारा योजनागत और गैर-योजनागत गतिविधियों हेतु निधियों का प्रबंध अपने संसाधनों से ही किया जाता है। अप्रैल 2013 से मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान न.दि.न.प. ने योजनागत गतिविधियों पर ₹ 3.81 करोड़ का व्यय किया।

दिल्ली छावनी बोर्ड : अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के दौरान डी.सी.बी. द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से प्रबंधित निधियों में से मच्छर-रोधी परिचालनों पर निधियों का आवंटन तथा किए गए व्यय का विवरण तालिका 1.1.3 में निम्नवत है:

तालिका 1.1.3 : आवंटन और व्यय (डी.सी.बी.)

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट	व्यय
2013-14	58.58	8.91
2014-15	35.95	4.63
2015-16	85.98	33.96
योग	180.50	47.50

उत्तरी रेलवे : उत्तरी रेलवे द्वारा मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक को मच्छररोधी परिचालनों के लिए कोई पृथक बजट आवंटन नहीं किया गया। उत्तरी रेलवे के चिकित्सा विभाग हेतु निधियों का प्रबंध बजट आवंटन में से किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2011 में एन.वी.बी.डी.सी.पी. के निदेशालय द्वारा जारी मध्यावधि योजना (एम.टी.पी.) डेंगू के बचाव एवं नियंत्रण हेतु आठ प्रमुख घटकों⁸ का निर्धारण करती है। लेखापरीक्षा में रा.रा.क्षे.दि.स., दि.न.नि. और न.दि.न.प. के मौजूदा तंत्र की जाँच इन प्रमुख घटकों के आधार पर की गई और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अपर्याप्तताएं पाई गई जैसाकि अनुवर्ती पैराग्राफों में प्रदर्शित किया गया है।

1.2 निगरानी

डेंगू से बचाव व नियंत्रण के कार्यक्रमों का अनिवार्य तत्व निगरानी है और इसमें सक्रिय प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है जो आने वाली महामारीय संक्रमण की पूर्व चेतावनी दे सकती है तथा नगरीय प्राधिकारियों को हस्तक्षेप हेतु उपयुक्त समय निर्धारण के निर्णय को सरल बना सकता है। मध्यावधि योजना दो प्रकार की निगरानी को परिभाषित करती है जैसे महामारीय निगरानी तथा कीटविज्ञान संबंधी निगरानी।

1.2.1 आने वाले रोग के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली का अभाव

महामारीय निगरानी अथवा रोग की निगरानी, रोग के आँकड़ों का सतत नियोजित संग्रहण, रिकार्डिंग, विश्लेषण, व्याख्या और वितरण है जिससे इससे बचाव और नियंत्रण हेतु कार्रवाई की जा सके। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- महामारीय निगरानी हेतु कोई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) नहीं थी और उत्तरी तथा पूर्वी दि.न.नि. और न.दि.न.प. में कोई प्रयोगशाला सुविधा नहीं थी। दक्षिणी दि.न.नि. में प्रयोगशाला थी परन्तु परिचालित नहीं थी; और
- दि.न.नि. न केवल महामारीविदों के द्वारा महामारीय विश्लेषण हेतु रोग के आँकड़े एकत्र करने में असफल रहे बल्कि अस्पतालों द्वारा प्रदान किए गए डेंगू के पुष्ट मामलों के महत्वपूर्ण आँकड़ों का प्रयोग रोग के पूर्वानुमान, रोग के वास्तविक भार के निर्धारण और उनके लिए डेंगूरोधी गतिविधियों की योजना बनाने में भी विफल रहे।

इस प्रकार वहाँ पर आने वाले रोग की पूर्व चेतावनी की घोषणा हेतु कोई सांस्थानिक तंत्र नहीं था।

दक्षिणी दि.न.नि. ने बताया (मई 2016) कि कीटविज्ञानी नियमित रूप से रोग के वाहकों पर निगरानी रखते थे जबकि उत्तरी दि.न.नि. ने कहा कि डेंगू के संदेहप्रद और पुष्ट मामलों पर महामारी निगरानी रखी जा रही थी। पूर्वी दि.न.नि. ने बताया कि महामारीय निगरानी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत सीमित था। उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि (i) महामारीय निगरानी डेंगू रोगियों/महामारी से संबंधित है जिसे कीटविज्ञानियों (कीटों

⁸निगरानी, रोगवाहक प्रबंधन, क्षमता निर्माण, निगरानी और पर्यवेक्षण, प्रकोप प्रतिक्रिया, अंतर्क्षेत्रीय समन्वय, व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण, और मामला प्रबंधन।

का अध्ययन) द्वारा नहीं बल्कि महामारीविदों (संक्रमण का अध्ययन तथा महामारी रोग का नियंत्रण) द्वारा पूरा किया जाना है, (ii) उत्तरी दि.न.नि. ने केवल रसायनों से संक्रमणमुक्त किए गए घरों के आँकड़े एकत्र किए जिसे महामारीय निगरानी के रूप में नहीं माना जा सकता, और (iii) पूर्वी दि.न.नि. का उत्तर इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि निगरानी की आवश्यकता क्षेत्र के विस्तार से संबंधित नहीं है बल्कि ऐसी आरक्षित स्थितियों से है जो रोगवाहक प्रजनन में सहायक होती है।

1.2.2 मच्छर जनसंख्या के नियंत्रण हेतु आवश्यक तंत्र का अभाव

कीटविज्ञान संबंधी निगरानी का प्रयोग प्रचालनात्मक अनुसंधान में मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन नियंत्रण कार्यक्रम हेतु रोगवाहकों के भौगोलिक वितरण में परिवर्तन का पता लगाने, समय समय पर रोगवाहक जनसंख्या का सापेक्ष माप प्राप्त करने और उपयुक्त तथा सामयिक हस्तक्षेपों को सरल बनाने हेतु किया जाता है। एमटीपी-2011 द्वारा निर्धारित कीटविज्ञान मापदण्डों में रोगवाहक निगरानी⁹ और लार्वीय निगरानी¹⁰ शामिल है।

1996 के डेंगू प्रकोप के बाद भारत सरकार (भा.स.) ने मार्च 1997 में दि.न.नि. के 12 क्षेत्रों में कीटविज्ञान इकाईयों की स्थापना करने और प्रत्येक क्षेत्र में एक कीटविज्ञानी नियुक्त करने का निर्णय लिया। तदनंतर जुलाई 1997 में आठ कीटविज्ञानियों को संविदा आधार पर नियुक्त किया गया। दिसम्बर 2015 तक वहाँ पर रोगवाहक निगरानी को सुव्यवस्थित करने, कीटनाशक की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने, रोगवाहक की परोपजीवी संवेदनशीलता की जाँच और कीटविज्ञान विभाग को स्थापित करने हेतु 11 कीटविज्ञानी थे।

तथापि, क्योंकि कीटविज्ञानी इकाईयाँ और कीटविज्ञान प्रयोगशालाएँ स्थापित नहीं की गई थीं और न ही नियुक्त कीटविज्ञानियों के कार्य हेतु मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ विकसित की गई थीं, नियुक्त किए गए कीटविज्ञानियों को अन्य कार्यों में लगा दिया गया जैसे घरों में मच्छर के प्रजनन का पता लगाने हेतु विभिन्न परिसरों की जाँच करना। कीटविज्ञानी निगरानी प्रणाली न होने के कारण, दि.न.नि. और न.दि.न.प. रोगवाहकों के भौगोलिक वितरण में परिवर्तन का निर्धारण करने तथा एक विशेष क्षेत्र में प्रकोप की तीव्रता का पता लगाने और मच्छरों की बढ़ती संख्या के नियंत्रण हेतु उपयुक्त तथा समय से सांस्थानिक हस्तक्षेप प्रारंभ करने और जन जागरूकता बढ़ाने की स्थिति में नहीं थे।

जबकि दक्षिणी और उत्तरी दि.न.नि. ने बताया (मई 2016) कि वहाँ प्रजनन की जाँच हेतु बीट-वाइज दैनिक अनुसूची थी, पूर्वी दि.न.नि. तथा उत्तरी दि.न.नि. ने कहा कि प्रयोगशाला सुविधाओं की स्थापना की जा रही है।

⁹रोगवाहक निगरानी, वयस्क मच्छर घनत्व का निर्धारण करता है और प्रत्येक रोगवाहक प्रजाति का एक सूचकांक परिकलित होता है। इसमें प्रति व्यक्ति घंटा घनत्व और मच्छरों का प्रति कक्ष घनत्व निर्धारित करना शामिल है।

¹⁰लार्वीय निगरानी का उपयोग लार्वाओं का घनत्व निर्धारित करने के लिए होता है। घर आधार भूत नमूना इकाईयाँ हैं जिन्हें पानी के बर्तनों के लिए नियोजित तरीके से जाँचा जाता है।

1.2.3 अपूर्ण एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम

रा.रा.क्षे.दि.स. ने रोग की निगरानी हेतु अपने एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.) पोर्टल पर डेंगू से संबंधित आंकड़े एकत्र करने का निर्णय लिया। तथापि वर्ष 2015 के दौरान 967 इकाईयों जिन्हें सूचना देनी थी (933 निजी अस्पताल/नर्सिंग होम और 34 सरकारी अस्पताल) में से केवल 289 इकाईयों (30 प्रतिशत) ने आई.डी.एस.पी. के अधीन गठित राज्य निगरानी इकाई को डेंगू रोगियों के आकड़ों की सूचना दी। राज्य कार्यक्रम अधिकारी (एस.पी.ओ.) ने शेष इकाईयों से आंकड़े एकत्र करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। विभाग ने सूचित किया कि राज्य निगरानी इकाई ने आकड़ों की जाँच द्वारा बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। तथापि इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया। सूचना देने वाली सभी इकाईयों से पूर्ण सूचना उपलब्ध न होने के कारण और प्रशिक्षित जनशक्ति की गैर-उपलब्धता के कारण सार्थक एवं प्रभावशाली निगरानी का उद्देश्य, जैसे महामारियों की समय पर पहचान, डेंगू के प्रसार की प्रवृत्तियों की मॉनिटरिंग और रोग के भार का मापन, इत्यादि प्राप्त नहीं किया गया।

1.2.4 अस्पताल परिसरों में भी रोगवाहक निगरानी का न होना

प्रत्येक चयनित अस्पताल ने अपने परिसरों के भीतर सफाई और रोगवाहक निगरानी गतिविधियों में वृद्धि करके जीरो टोलरेंस क्षेत्र बनने का जिम्मा लिया। तथापि, निदेशालय ने जुलाई और अगस्त 2015 के दौरान अस्पतालों का निरीक्षण किया तथा उनके परिसरों में डेंगू मच्छरों का लार्वा पाया। किसी भी अस्पताल ने निरीक्षण तथा उस पर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। यद्यपि अगस्त 2015 में हुई एक बैठक में, सचिव, रा.रा.क्षे.दि.स. ने मच्छर प्रजनन जाँच के लिए प्रत्येक अस्पताल में डेंगू निगरानी समिति के गठन का निर्देश दिया, फिर भी इन समितियों की रिपोर्ट उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत नहीं की गई।

1.2.5 प्रचालनात्मक अनुसंधान की कोई व्यवस्था नहीं

दीर्घावधि योजना-2007 और डब्ल्यू.एच.ओ. दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि प्रचालनात्मक अनुसंधान को नीतियों और हस्तक्षेपों के अनुकूलन हेतु एक साक्ष्य आधार उत्पन्न करने के लिए कार्यक्रम की प्राथमिक आवश्यकताओं पर केंद्रित होना चाहिए। इसमें रोगवाहक की पारिस्थितिकी, रोगवाहक नियंत्रण की वर्तमान और नई विधियों की कार्यकुशलता, प्रभाविकता और लागत की प्रभाविकता पर अध्ययन, संबंधित सांस्कृतिक क्रियाकलापों पर प्रारंभिक अनुसंधान, और समुदायों को कार्यक्रम की गतिविधियों में शामिल करने हेतु मार्गदर्शन शामिल होना चाहिए। रोगवाहक जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु 2013 की दि.न.नि. की कार्य योजनाओं में विचार किया गया कि प्रचालनात्मक अनुसंधान परियोजनाएँ राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (एन.आई.एम.आर.), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एन.सी.डी.सी.), एन.वी.बी.डी.सी.पी., मेडिकल कॉलेजों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर प्रारंभ की जाएगी। तथापि, दि.न.नि. ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और नीतियों और हस्तक्षेपों के अनुपालन हेतु एक साक्ष्य आधार बनाने के लिए

रोगवाहक की स्थानीय पारिस्थितिकी, वर्तमान रोगवाहक नियंत्रण विधियों की कार्यकुशलता, प्रभाविता और लागत की प्रभावशीलता पर अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं थी।

दि.न.नि. ने बताया (मई 2016) कि प्रचालनात्मक अनुसंधान, केंद्र सरकार के अनुसंधान संस्थानों के अधिकार क्षेत्र में आता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह दि.न.नि. की जिम्मेदारी थी कि अपनी स्वयं की कार्य योजनाओं के अनुसार केंद्र सरकार के अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से प्रचालनात्मक अनुसंधान आरंभ करें।

1.3 रोगवाहक प्रबंधन

डब्ल्यूएचओ. के दिशा निर्देशों के अनुसार, डेंगू विषाणु के संक्रमण की रोकथाम या इसे कम करना पूर्ण रूप से रोगवाहक मच्छरों के नियंत्रण और मानव रोगवाहक संपर्क रोकने पर निर्भर है। संक्रमण को नियंत्रित करने की कार्रवाईयों को एई एजिप्टी को उनके निवास जोकि घरों या अन्य स्थान पर होते हैं जहाँ मानव व मच्छर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं में लक्ष्य करना चाहिए। ऐसे उपायों की महत्ता तब स्पष्ट हुई जब दि.न.नि. वर्ष 2015 के दौरान एडल्टीसाइड स्प्रे का अपना वार्षिक कार्य सभी स्कूल भवनों, सामुदायिक केन्द्रों, सार्वजनिक हॉलों, भूमिगत पार्किंग स्थलों, जेजे क्लस्टरों, नदी किनारों इत्यादि में पूरा करने में विफल रहा तथा डेंगू मामलों की संख्या बढ़कर 15,867 तथा मृतकों की संख्या 60 तक बढ़ गई।

रोगवाहक प्रबंधन कार्यक्रम में प्रमुखतः मच्छरों की जनसंख्या के नियंत्रण पर इनके जरिए बल दिया जाना चाहिए (i) परिवेश में परिवर्तन और बदलाव करके खोत को कम करना, (ii) लार्वा और वयस्क नियंत्रण के लिए रासायनिक नियंत्रण तथा (iii) प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु कानून।

दि.न.नि. तथा न.दि.न.प. ने अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के दौरान कीटनाशकों, डाइल्यूएंटों तथा उपकरण की खरीद पर ₹ 88.26 करोड़ का व्यय किया। इनमें से ₹ 43.65 करोड़ मूल्य के कीटनाशक उसी अवधि के दौरान फॉर्मिंग और स्प्रे के लिए प्रयोग किए गए।

1.3.1 बाह्य परिवेश में संशोधन कर खोत में कमी करना

डब्ल्यूएचओ. के दिशानिर्देशों के अनुसार, एई एजिप्टी मानव निर्मित व प्राकृतिक विविध प्रकार के लार्वीय निवास स्थानों का प्रयोग करती है। इसके नियंत्रण के प्रयास सबसे अधिक उत्पादक और महामारी रोगविज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण निवास-स्थानों पर लक्षित होने चाहिए। दि.न.नि. और न.दि.न.प. ने मच्छरों के प्रजनन हेतु उपयुक्त स्थितियों को उत्पन्न करने वाले निम्नलिखित प्रमुख कारणों को चिन्हित किया:

- अपर्याप्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विशेषतः फेंके गए पात्र जैसे प्लास्टिक के गिलास, पैकिंग के डिब्बे इत्यादि जिनमें एकत्र वर्षा का पानी मच्छरों के प्रजनन हेतु अनुकूल स्थितियाँ प्रदान करता है।

- (ii) खराब स्वच्छता स्थितियाँ और पर्याप्त निकासी प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप जल जमाव होता है जो मुख्य प्रजनन स्थान बनते हैं।
- (iii) अनियमित निर्माण स्थल जो पानी की भरी टंकियों, बालिट्यों, कूड़ादानों, गड्ढों और अन्य गुहाओं में मच्छरों के प्रजनन हेतु अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं।
- (iv) शहर के विभिन्न भागों में प्रयोग किए हुए टायरों के खुले हुए भण्डारण स्थान तथा कार्यशालाएँ जोकि बहुत अधिक लार्वाय उत्पादक निवास हैं।
- (v) पाईप से पानी की सप्लाई न होने या अनियमित होने के कारण घरों में पानी बर्तनों/टंकियों में रखना पड़ता है जो मच्छरों के प्रजनन हेतु उपयुक्त स्थान हैं।

मच्छरों का प्रजनन परिवेश में परिवर्तन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पर्याप्त स्वच्छता प्रबंध, निर्माण स्थलों और टायर बाजारों के उचित नियमन से संबंधित मामलें दि.न.नि. और न.दि.न.प. की विषयवस्तु हैं जिनको अपनी स्वयं की शाखाओं जैसे परिवेश प्रबंधन एवं स्वच्छता विभाग तथा भवन निर्माण और स्वास्थ्य विभागों में एक सुसमन्वित सहयोग से ही सुलझाये जाने की आवश्यकता है। पाईप से पानी की नियमित सप्लाई के मुद्दे पर दिल्ली जल बोर्ड से चर्चा की जा सकती है। तथापि दि.न.नि. या न.दि.न.प. में से किसी की भी अपनी शाखा या रा.रा.क्षे.दि.सं. के अन्य संबंद्ध विभागों में मच्छर प्रजनन नियंत्रित करने हेतु परिवेशीय परिवर्तन के लिए आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने हेतु कोई सांस्थानिक तंत्र नहीं था।

दक्षिणी दि.न.नि. और पूर्वी दि.न.नि. ने बताया (मई 2016) कि परिवेशीय परिवर्तनों हेतु अपनी स्वयं की शाखाओं और अन्य संबंधित विभागों को शामिल करके अन्तर्क्षेत्रीय समन्वय समितियों की बैठकें की गई। उत्तरी दि.न.नि. ने बताया कि सभी पण्धारियों को संवेदनशील बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी तथ्य रूप यही था कि अभी तक किए गए प्रयासों का बहुत कम प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था।

1.3.2 घरेलू मच्छर प्रजनन जाँचकर्ताओं की मॉनिटरिंग

एई एजिस्टी मच्छर सामान्यतः घरेलू/अर्द्ध-घरेलू दशाओं में प्रजनन करता है। घर के अंदर पानी रखने के बर्तन, फूलदान, प्लेटों के साथ गमले के पौधे, छत की बंद नालियाँ, फेंकी गई बालिट्याँ और प्रयोग किए हुए टायर मुख्य प्रजनन स्थान हैं।

जबकि उत्तरी रेलवे के पास घरेलू मच्छर प्रजनन जाँचकर्ताओं (डी.बी.सी.) द्वारा मच्छर प्रजनन की जाँच और अपने स्वास्थ्य विभाग के पर्यवेक्षक स्टाफ द्वारा डी.बी.सी. की गतिविधियों के मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण हेतु एक मज़बूत प्रणाली थी, दि.न.नि. द्वारा अनुकरणीय प्रणाली में कई अपर्याप्तताएँ थीं। दिल्ली नगर निगमों ने अकुशल व्यक्तियों को घरेलू प्रजनन जाँचकर्ताओं (डी.बी.सी.) के रूप में ठेके पर रखा जिनका लक्ष्य प्रत्येक घर में जाकर लार्वाओं को उनके निवास-स्थानों में नष्ट करना था। दिसम्बर 2015 में दि.न.नि. के पास 67.36 लाख घरों को कवर करने हेतु अपने 12 जोन में कुल 3358 डी.बी.सी. थे जिन पर

अप्रैल 2013 से मार्च 2016 की अवधि के लिए ₹ 109.43 करोड़ का व्यय किया। न.दि.न.प. मलेरियारोधी गैंगमेन (ए.एम.जी.) के माध्यम से घरेलू मच्छर प्रजनन की जाँच कराती है जो उनके नियमित स्टॉफ का हिस्सा हैं। दि.न.नि. और न.दि.न.प. ने डी.बी.सी./ए.एम.जी. के लिए प्रतिदिन कम से कम 50 घरों का दौरा कर ऊपरी पानी की टंकियों सहित प्रत्येक पानी के बर्तन की जाँच करके लार्वारोधी उपाय करने का मानक निर्धारित किया।

लेखापरीक्षा में निम्नवत पाया गया:

- मच्छर के अण्डे का विकासकाल कम से कम सात दिनों का होता है। दि.न.नि. और न.दि.न.प. द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार छ: दिनों के अंतराल पर रा.रा.क्षे. दिल्ली के सभी घरों का दौरा करने के लिए 22,453 डी.बी.सी. की आवश्यकता थी। डी.बी.सी. की दी गई विद्यमान संख्या के साथ एक घर का दोबारा दौरा 44 दिनों के पहले करना संभव नहीं है।
- यदि मालिक अपने घर में प्रवेश से मना कर दे या किसी कारण से घर में ताला लगा हो, तो डी.बी.सी./ए.एम.जी. परिसर को मच्छर प्रजनन की जाँच के बगैर छोड़ देगा। इस प्रकार, ऐसे मोहल्ले में डेंगू का पता लगाने में कमी की संभावना बनी रहती है।
- घरेलू प्रजनन जाँच के लिये मौहल्लों की नियमित रूप से छानबीन आवश्यक होती है जिसमें घरों की समग्र मैपिंग और इंडेक्सिंग आवश्यक होती है। लेकिन दि.न.नि. और न.दि.न.प. ने कोई व्यवस्थित आंकड़े नहीं रखे। ऐसे आंकड़ों के अभाव में एक मोहल्ले में लार्वारोधी गतिविधियों को प्रणालीगत रूप से करना संभव नहीं हो सकता।
- डी.बी.सी. के कार्य का पर्यवेक्षण और मॉनिटर करने हेतु अथवा डी.बी.सी. द्वारा वास्तव में किए गए कार्य पर उन घरों से प्रतिक्रिया लेने हेतु कोई प्रणाली नहीं थी।
- दि.न.नि. और न.दि.न.प. ने इनडोर मच्छर प्रजनन के नियंत्रण में डी.बी.सी./ए.एम.जी. की प्रभाविकता का कभी मूल्यांकन नहीं किया था और उनके कार्य के लिए लक्षित क्षेत्रों से कोई फीडबैक लेने की व्यवस्था नहीं थी।

डी.बी.सी. की अपर्याप्त संख्या के साथ-साथ उनके द्वारा की गई वास्तविक जाँच की किसी प्रणालीगत मैपिंग और मॉनिटरिंग का अभाव, उनकी जाँच की प्रभाविकता और घरेलू आवासों में मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम का आश्वासन नहीं देते। आगे यह भी देखा गया कि यद्यपि डी.बी.सी. की आवश्यकता केवल छ: महीने अर्थात् जून से नवम्बर तक ही होती है, दि.न.नि. ने इन्हें पूरे वर्ष के लिए रखा।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए दि.न.नि. ने बताया (मई 2016) कि डी.बी.सी. की भूमिका और उत्तरदायित्वों में वृद्धि की जाएगी।

1.3.3 कीटनाशकों का प्रयोग उनकी संवेदनशीलता निश्चित किए बिना करना
डब्ल्यू.एच.ओ. दिशानिर्देश बताते हैं कि कीटनाशक प्रतिरोध को प्रभावी डेंगू रोगवाहक नियंत्रण के संभवतः गंभीर खतरे के रूप में माना जाना चाहिए। कीटनाशक विशेष के प्रति

रोगवाहक की शुरुआती तथा सतत् संवेदनशीलता का लार्वीसाइडिंग या एडल्टीसाइडिंग प्रक्रिया की सफलता में मूलभूत महत्व है। मलेरिया तकनीकी पर्यवेक्षकों के लिए मैनुअल तथा डी.एन.वी.बी.डी.सी.पी. का आई.वी.एम. निर्धारित करते हैं कि कीटनाशकों का चयन संवेदनशीलता की जाँच पर आधारित होना चाहिए, जो एक मोहल्ले में प्रत्येक दूसरे वर्ष होनी चाहिए। यद्यपि, दि.न.नि. तथा न.दि.न.प. मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए रसायनों पर निर्भर थे, उनकी निरंतर प्रभाविकता को सुनिश्चित करने के लिए रसायनों की संवेदनशीलता की जाँच नहीं की गई।

पूर्वी दि.न.नि. ने कहा (मई 2016) कि क्योंकि केन्द्रीय सरकारी संस्थान संवेदनशीलता की जाँच करते हैं, पुनः जाँच करने की कोई जरूरत नहीं थी। तथापि, पूर्वी दि.न.नि. ने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया कि केन्द्रीय सरकारी संस्थानों द्वारा कभी भी कीटनाशकों की संवेदनशीलता की जाँच की गई थी। दक्षिणी दि.न.नि. ने कहा कि उपयोग किए गए कीटनाशकों की उनके प्रयोग से पहले स्वीकृत प्रयोगशाला में जाँच की गई थी। उत्तरी दि.न.नि. ने कहा कि ऐसी जाँच करने के लिए कीटविज्ञान प्रयोगशालाएँ उन्नत की जा रही हैं।

1.3.4 वयस्क मच्छरों के लिए रासायनिक नियंत्रण

1.3.4.1 स्प्रे तथा फॉगिंग हेतु निर्धारित तकनीकों से विपथन

एन.वी.बी.डी.सी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार रासायनिक स्प्रे अधिकांश दशाओं में प्रभावी नहीं होता और इन विधियों से महामारी पर नियंत्रण दुर्लभ है। पिछले तीन वर्षों में दि.न.नि. और न.दि.न.प. ने क्रमशः 79.15 लाख और 4.48 लाख परिसरों को रसायनों द्वारा उपचारित किया जिसमें छः प्रकार के कृत्रिम कीटनाशकों का प्रयोग किया और तीन विभिन्न तकनीकों जैसे इंसेक्टीसाइडल रेजीडुअल स्प्रे (आई.आर.एस.), इनडोर स्पेस स्प्रे (एफ.एस.एस.) और इनडोर एवं ऑफिस एडल्टोर स्पेस फॉगिंग प्रयुक्त की। तथापि, दि.न.नि. व न.दि.न.प. द्वारा, रसायनों से उपचारित हुए परिसरों का विवरण जैसे घर के मालिक का नाम, घर संख्या, पता, परिसरों का प्रकार और रसायन द्वारा असंक्रमण करने के कारण रिकार्ड नहीं किया गया। दि.न.नि. और न.दि.न.प. द्वारा घरों में मच्छर मारने हेतु रासायनिक असंक्रमण हेतु प्रयुक्त तकनीकों के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

(i) इंसेक्टीसाइडल रेजीडुअल स्प्रे (आई.आर.एस.)

निदेशालय रोगवाहक नियंत्रण की इस तकनीक को केवल ग्रामीण रिथ्तियों में निर्धारित करता है। निदेशालय ने दिल्ली के लिए आई.आर.एस. को अपनाना निर्धारित नहीं किया। तथापि दि.न.नि. व न.दि.न.प. ने इस तकनीक को जनवरी 2013 से दिसम्बर 2015 के दौरान ₹ 13.79 लाख घरों को असंक्रमित करने हेतु अपनाया, जिस पर ₹ 1.12 करोड़ का खर्च हुआ। जिन कारणों या परिस्थितियों के अंतर्गत इस गैर-निर्धारित तकनीक का उपयोग किया गया, वे दर्ज नहीं किए गए।

इसके अतिरिक्त, निदेशालय ने निर्धारित किया कि आई.आर.एस. एक तकनीकी कार्य होने के कारण प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा स्टिरप पम्पों¹¹ के साथ पूरा किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा

ने पाया कि दक्षिणी और उत्तरी दि.न.नि. द्वारा 12.52 लाख घरों का उपचार आई.आर.एस. से किया गया, जिनमें से 8.97 लाख घरों में स्टिरप पम्पों की जगह नैपसेक पम्पों का उपयोग किया गया। न.दि.न.प. ने भी आईआरएस के लिए स्टिरप पम्प का प्रयोग नहीं किया। क्योंकि आईआरएस के लिए उपयुक्त तकनीक का प्रयोग नहीं हुआ था, इच्छित परिणाम की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

निदेशालय ने आई.आर.एस. के लिए समवर्ती और अनुवर्ती पर्यवेक्षण के पालन के लिए एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया था। यह स्थापित करने के लिए दस्तावेजों में कुछ भी दर्ज नहीं था कि पर्यवेक्षी स्तर के अधिकारियों ने आईआर.एस. द्वारा किये गये स्प्रे की गुणवता और कवरेज को सत्यापित किया था जैसाकि दिशानिर्देश में विनिर्दिष्ट था।

(ii) इनडोर स्प्रे

इस तकनीक में पाइरेथरम के घोल का स्प्रे घरों के भीतर हस्तचालित पम्पों द्वारा माइक्रो निर्वहन टॉटी के साथ किया जाता है। कार्यक्रम दिशानिर्देश कहते हैं कि ज्यादातर स्थितियों में रासायनिक स्पेस स्प्रे प्रभावी नहीं होते हैं तथा यह बहुत कम ही होता है कि इन प्रणालियों के प्रयोग द्वारा महामारी को रोका जा सके। जबकि न.दि.न.प. ने इस तकनीक का उपयोग नहीं किया, जनवरी 2013 से दिसम्बर 2015 के दौरान दि.न.नि. ने इस तकनीक के साथ ₹ 1.43 करोड़ लागत की 9508.04 लीटर पाइरेथरम का उपयोग करते हुए 11.51 लाख परिसरों का उपचार किया।

आगे यह भी देखा गया कि यद्यपि दिशानिर्देश और आईवीएम, इनडोर स्प्रे के लिए केरोसिन में मिश्रित पाइरेथरम का उपयोग निर्धारित करते हैं, उत्तरी दि.न.नि. ने 7.22 लाख घरों में से 3.64 लाख (50 प्रतिशत) घरों में डीजल के साथ पाइरेथरम मिला कर स्प्रे किया। पाइरेथरम और डीजल के घोल का स्प्रे निर्धारित मानदण्डों से भिन्न था। निदेशालय ने जुलाई 2016 में लेखापरीक्षा को पुष्टि की कि पाइरेथरम को इनडोर स्प्रे में केवल केरोसीन के साथ तथा इससे अलग, इनडोर फॉगिंग में डीजल के साथ प्रयोग किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त कार्यक्रम दिशानिर्देश इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए समय समय पर इनडोर स्पेस स्प्रे निर्धारित करते हैं। परन्तु उन घरों की संख्या का जहाँ इनडोर स्प्रे दोबारा हुआ था, कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं था और न ही मच्छरों की जनसंख्या पर इस तकनीक के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया।

(iii) इनडोर फॉगिंग

आई.वी.एम. हस्तचालित फॉगिंग मशीन के माध्यम से इनडोर स्पेस फॉगिंग के लिए पाइरेथरम और केरोसिन के घोल को निर्धारित करता है। कार्यक्रम दिशानिर्देश के अनुसार यह घोल एक प्राकृतिक उत्पाद है तथा मनुष्यों तथा अन्य गैर-लक्षित जीवों के लिए

¹¹740 से 850 मिली प्रति मिनट की डिस्चार्ज दर तथा 10 पीएसआई के प्रेशर पर 10–15 से.मी. प्लंजर मूवमेंट वाले के स्प्रे नौजल टिप वाला स्टिरअप पम्प

गैर-विषेला है और यह कहता कि इस घोल के प्रति रोगवाहक में प्रतिरोध विकसित नहीं हुआ था। पाइरेथरम को व्यापक रूप से परिवेश के अधिक अनुकूल माना जाता है क्योंकि यह तुलनात्मक रूप से बायोडीग्रेडेबल था। निदेशालय ने जुलाई 2016 में लेखापरीक्षा को स्पष्ट किया कि इंडोर फॉगिंग के लिए पाइरेथरम का प्रयोग डीजल के साथ किया जा सकता है परंतु मेलाथीयन का नहीं। तथापि यह देखा गया कि जबकि न.दि.न.प. ने 3.69 लाख घरों में डीजल के साथ पाइरेथरम की आऊटडोर फॉगिंग पूरी की गई, दि.न.नि. ने इस घोल से विचलन किया तथा पाइरेथरम और केरोसिन जो ऐसे इनडोर फॉगिंग हेतु निर्धारित है, के प्रयोग की बजाए डीजल के साथ मेलाथीयन के घोल के साथ 54.64 लाख घरों में इनडोर फॉगिंग को पूरा किया।

1.3.4.2 आऊटडोर फॉगिंग

डब्लू.एच.ओ. दिशानिर्देश केवल आपातकालीन स्थिति में चल रही महामारी को दबाने या आरंभ में ही उसकी रोकथाम करने में आऊटडोर फॉगिंग की सिफारिश करते हैं। कार्यक्रम दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि रासायनिक स्पेस स्प्रे अधिकांश स्थितियों में प्रभावी नहीं है और फॉगिंग अक्सर सुरक्षा की एक गलत धारणा उत्पन्न करता है। कार्यक्रम दिशानिर्देश ऑउटडोर फॉगिंग के प्रयोग हेतु दो तकनीकें परिभाषित करता है जैसे (i) मेलाथीयन व डीजल का मिश्रण प्रयोग करते हुए व्हिकल पर माउटेड थर्मल फॉगिंग मशीन द्वारा थर्मल फॉगिंग (ii) किसी भी आर्गनो-फार्स्फोरस कीटनाशक का अल्ट्रा लो वोल्यूम स्प्रे (यू.एल.वी.)। दिशानिर्देशों में तरल कीटनाशक के जल-आधारित यू.एल.वी. की सिफारिश है क्योंकि यह थर्मल फॉगिंग की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होता है क्योंकि इस तकनीक में किसी डाइल्युएंट का प्रयोग नहीं किया जाता है।

दि.न.नि. और न.दि.न.प. ने वर्ष 2013 से 2015 में डेंगू के मौसम में यूएलवी स्प्रे जो अधिक लागत प्रभावी है, को अपनाने की संभावना का पता लगाए बिना ₹ 95.10¹² लाख की लागत पर थर्मल आऊटडोर फॉगिंग को नियमित रूप से प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त दि.न.नि./न.दि.न.प. द्वारा थर्मल फॉगिंग की प्रभावशीलता निश्चित करने हेतु कोई अध्ययन नहीं किया गया।

दक्षिण दि.न.नि./उत्तरी दि.न.नि. ने बताया (मई 2016) कि आऊटडोर फॉगिंग प्रमुखतः प्रकोप जैसी स्थिति के दौरान किया गया था और यह एक नियमित प्रयोग नहीं था। उत्तर तथ्य रूप से सही नहीं है क्योंकि दोनों निगमों के अभिलेखों से यह प्रमाणित हो गया कि फॉगिंग का प्रयोग पिछले तीन वर्षों में सितम्बर से नवम्बर की अवधि में नियमित रूप से किया गया था। पूर्वी दि.न.नि. ने यह पुष्टि की कि आऊटडोर फॉगिंग का प्रभाव सीमित होता था और यह एक तुष्टिकरण प्रयोग था जिसे माँग/शिकायत/मीडिया कवरेज के

¹²इनडोर फॉगिंग में प्रयोग में लाई गई मैलेथीयन की सम्मिलित लागत

अनुसार किया जाता था। ऑफिसर उपचार के लिए यू.एल.वी. तकनीक को न अपनाने के मामले पर जवाबों में कुछ नहीं कहा गया।

1.3.5 लार्वा के लिए रासायनिक नियंत्रण

डब्ल्यू.एच.ओ. दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि लार्वा के आवासों का उपचार केवल रासायनिकों से तभी किया जाना चाहिए था, यदि परिवेशीय प्रबंध प्रणालियाँ या अन्य गैर-रासायनिक प्रणालियाँ आसानी से उपयोग नहीं की जा सकती हों या बहुत अधिक महँगी हों। आई.वी.एम. बताता है, कि रसायनों का उपयोग कठिन होता है तथा दीर्घावधि आधार पर महँगा है और इसलिए रसायनिक लार्वासाइड का उत्तम उपयोग, उन स्थितियों में है जहाँ रोगवाहक निगरानी से कुछ अवधि में अधिक जोखिम होने तथा उन मोहल्लों में जहाँ प्रकोप हो सकता है, का संकेत मिलता है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

(i) रसायन का अविवेकपूर्ण तथा अधिक उपयोग

बेसिलस थरीनजीनसिस इसराइलेनिसिस (बी.टी.आई.) का प्रयोग लार्वा अवस्थाओं के जैविक नियंत्रण के लिए लार्वासाइड के रूप में किया जाता है। बी.टी.आई. पहले से विकसित लार्वा वाले जल पर स्प्रे किया जाता है जो उसे 24 से 48 घण्टे में मार देता है। बी.टी.आई. का घोल पहले से विकसित लार्वा को नष्ट कर देता है तथा इसका उपयोग प्रजनन की रोकथाम के लिए नहीं किया जाता है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि बी.टी.आई. का स्प्रे परिवेशीय परिवर्तन तरीकों के माध्यम से नालियों की सफाई को सुनिश्चित करने के बजाय तथा लार्वा की उपस्थिति को सुनिश्चित किए बिना नियमित रूप से नालियों में बहने वाले पानी पर किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त बी.टी.आई. को उपयोग करने की निर्धारित आवृत्ति दो सप्ताह में एक बार है जबकि दि.न.नि. इस रसायन का उपयोग साप्ताहिक आधार पर कर रही थी परिणामस्वरूप इन जैविक एजेंटों का अधिक प्रयोग किया गया। जनवरी 2013 से दिसम्बर 2015 के दौरान दि.न.नि. तथा न.दि.न.प. ने आवासीय कालोनियों की छोटी नालियों में ₹ 37.26 करोड़ की लागत से इस लार्वासाइड का 553.14 टन तथा 5765 लीटर प्रयोग किया।

क्योंकि न तो डब्ल्यू.एच.ओ. और न ही कार्यक्रम दिशानिर्देशों में नालियों में बी.टी.आई. का उपयोग करने का निर्देश था, न ही निगमों ने स्प्रे किए गए क्षेत्रों और उसके आस पास मच्छरों की आबादी पर इसका प्रभाव निश्चित करने के लिए कोई अध्ययन किया, इसकी उपयोगिता अथवा प्रभाविकता स्थापित नहीं की जा सकी।

दक्षिणी दि.न.नि. तथा उत्तरी दि.न.नि. ने पुष्टि की (मई 2016) कि बी.टी.आई., नालियों में बह रहे जल पर स्प्रे किया गया था, जबकि पूर्वी दि.न.नि. ने स्वीकार किया (मई 2016) कि नालियों के अबाधित जल प्रवाह पर लार्वासाइड का स्प्रे नहीं किया जाना था, तथा फील्ड कर्मचारियों को सप्ताह में एक बार प्रदूषित जल, मुख्यतः वाटर बॉडी के किनारों पर स्प्रे करना था।

(ii) लार्वीसाइड के उपयोग का कोई रिकार्ड न रखना:

टेमफोस ईसी 50 प्रतिशत एक लार्वीसाइड है, जिसका स्प्रे पहले से विकसित लार्वा वाले जल पर किया जाता है। जनवरी 2013 से दिसम्बर 2015 के दौरान, दि.न.नि. तथा न.दि.न.नि. ने क्रमशः 11684 लीटर तथा 1306 लीटर टेमफोस ईसी 50 का प्रयोग ₹ 79.76 लाख का व्यय करके किया। हालाँकि, उन स्थानों और परिस्थितियों, जिसके अंतर्गत इस लार्वीसाइड का प्रयोग किया गया था, का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया था।

(iii) अस्वीकृत टेमफोस ग्रेनुअल का प्रयोग

डब्ल्यू.एच.ओ. में निर्धारित है कि लार्वीसाइडिंग को परिवेश प्रबंधन के पूरक के रूप में माना जाना चाहिए तथा इसके प्रयोग को उन बर्तनों तक प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जिनका प्रबंध अन्य तरह से नहीं किया जा सकता है। निदेशालय द्वारा टेमफोस ग्रेनुअलस का प्रयोग इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृत नहीं है। तथापि, जनवरी 2013 से दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान दि.न.नि. और न.दि.न.प. ने डी.बी.सी./एएमजी को इसका क्रमशः 345.50 टन तथा 4.46 टन घरों के जल कंटेनरों, मनी प्लांट, फूलदान, ऊपरी टंकियों, बर्ड पोट्स, फेंके गये टायर, एयर कूलर इत्यादि में प्रयोग करने के लिए जारी किया। यद्यपि इन कंटेनरों का प्रबंध आसानी से उनमें से पानी निकाल कर तथा समय समय पर पुनः ताजा पानी भर कर किया जा सकता था, इस पर ₹ 2.09 करोड़ का व्यय किया गया। मच्छरों की जनसंख्या पर इस लार्वीसाइड के प्रभाव के निर्धारण पर कोई अध्ययन नहीं किया गया।

1.3.6 रोगवाहक नियंत्रण एक एकीकृत प्रयोग नहीं था

वयस्क मच्छरों तथा लार्वा को नष्ट करना एक दूसरे के पूरक है। दोनों प्रयोग प्रभावी रोगवाहक नियंत्रण हेतु साथ-साथ ही किए जाने चाहिए। यद्यपि, दि.न.नि. तथा न.दि.न.प. ने जनवरी 2013 से दिसम्बर 2015 के बीच 83.64 लाख घरों में कीटनाशक अपशिष्ट स्प्रे, स्पेस फोकल स्प्रे तथा इनडोर फॉगिंग किए थे, रिकार्ड में कुछ भी संकेत नहीं था कि इन घरों में लार्वीसाइडिंग भी साथ-साथ ही किया गया था। लार्वा नष्ट किए बगैर मच्छरों को मारना तथा मच्छरों को मारे बगैर लार्वा को नष्ट करना एक अपूर्ण रोगवाहक नियंत्रण प्रयोग है तथा संपूर्ण प्रयास की प्रभाविकता को कम कर देता है।

1.3.7 डी.एन.बी.बी.सी.पी. द्वारा चिन्हित प्रजनन स्थलों की समाप्ति के लिए कोई कार्रवाई नहीं

निदेशालय का क्रॉस चैंकिंग संगठन (सी.सी.ओ.) रा.रा.क्षे. दिल्ली के यादृच्छिक तरीके से चयनित विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से मच्छरों की प्रजनन जाँच करता है तथा उन स्थानों के संबंध में जहाँ पर प्रजनन पाया गया था, अपनी रिपोर्ट उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजता है। लेखापरीक्षा ने हालाँकि पाया कि, सी.सी.ओ. की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के कोई रिकार्ड नहीं रखे जा रहे थे और न ही निदेशालय ने मॉनिटरिंग और निरीक्षण के कदम के रूप में इस मामले को आगे बढ़ाया।

1.3.8 क्रय किए गए कीटनाशकों की गुणवत्ता का कोई आश्वासन नहीं

दि.न.नि. और न.दि.न.प. द्वारा प्रयोग किए जा रहे कीटनाशक की सिफारिश डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा जन स्वास्थ्य में उपयोग के लिए इस अनुबंध के साथ की जाती है कि ये सिफारिशें केवल तभी मान्य हैं जब इन्हे डब्ल्यू.एच.ओ. के गुणवत्ता नियंत्रण के विनिर्देशनों से जोड़कर देखा जाए। दक्षिणी दि.न.नि. और उत्तरी दि.न.नि. ने 2006 से एक परामर्शदाता के माध्यम से कीटनाशक क्रय किए थे। परामर्श समझौते (17 मार्च 2006) के अनुसार परामर्शदाता को प्रचलित औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधिकोश, मानक व कीटनाशक अधिनियम और नियम के अनुसार कीटनाशकों का पूर्व प्रेषण व पश्च-प्रेषण स्तर पर निरीक्षण करके तकनीकी विनिर्देशनों और मानदण्डों के अनुसार गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करना था। परामर्श समझौते में आगे प्रावधान है कि, पूर्व-प्रेषण / पश्च प्रेषण निरीक्षण के दौरान लिए गए नमूनों की जाँच केवल श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान (एस.आर.आई.आई.आर.) में ही की जाएगी। तथापि समझौते में नमूना लेने की प्रक्रिया और ऐसे नमूने को लेने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का उल्लेख नहीं था। यह पाया गया कि यद्यपि परामर्शदाता ने नमूने एस.आर.आई.आई.आर. को प्रेषण से पहले भेज दिए थे, इन्हें न तो दक्षिणी दि.न.नि., उत्तरी दि.न.नि. और न ही एस.आर.आई.आई.आर. के किसी अधिकारी की उपस्थिति में लिया गया था। परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत एस.आर.आई.आई.आर. की जाँच रिपोर्ट में भी नमूना लेने वाले व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं था। इस प्रकार इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि एस.आर.आई.आई.आर. द्वारा जाँचे गये नमूने उसी प्रेषण से लिए गए थे जिसे वास्तव में दि.न.नि. को दिया गया था। आगे यह भी पाया गया कि दक्षिणी दि.न.नि. और उत्तरी दि.न.नि. द्वारा पश्च-प्रेषण स्तर या प्रेषण की प्राप्ति के समय कोई भी नमूना नहीं लिया गया या उसकी जाँच नहीं की गई। तथापि पूर्वी दि.न.नि. और न.दि.न.प. ने नमूने पश्च-प्रेषण स्तर पर भेजे।

1.3.9 विधान द्वारा रोगवाहक नियंत्रण

मध्यावधि योजना 2011 में यह प्रावधान है कि डेंगू से बचाव की योजना को कानून बनाकर दृढ़तर किया जाए और यह आवश्यक भवन निर्माण उपनियमों को लागू करके शहरी क्षेत्रों में डेंगू नियंत्रण के उपाय सुझाता है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि:

- दि.न.नि. की 2013 की वार्षिक कार्य योजना में यह उल्लेख किया गया कि वर्तमान भवन उपनियमों को मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1928 की पद्धति पर संशोधित किया जाना चाहिए जिसमें घरों के मालिकों को अपने परिसर मच्छरों के प्रजनन से मुक्त करने हेतु आवश्यक प्रबंध करने के लिए बाध्य किया गया है।
- 18 मार्च 2015 को की गई एक उच्चस्तरीय बैठक में मुंबई पद्धति पर भवन उपनियमों को संशोधित करने और उन परिसरों में जहाँ मच्छरों के प्रजनन का पता चलता है, के मालिकों से हर्जाना ₹ 500 से बढ़ाकर ₹ 5000 प्रभारित करने का निर्णय लिया गया।

- वार्षिक कार्य योजना में यह भी उल्लेख किया गया कि इण्डियन पीनल कोड की धारा 269 को मच्छरों के प्रजनन की स्थितियाँ बनाने या प्रोत्साहित करने हेतु नियमित चूककर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु लागू किया जाना चाहिए।

तथापि, उपर्युक्त प्रस्तावों पर कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई। दि.न.नि. और न.दि.न.प. ने चूककर्ताओं पर प्रचलित हर्जाना भी समान रूप से नहीं लगाया। मच्छरों के प्रजनन वाले कुल 6,06,257 घरों में से केवल 65,545 घरों (11 प्रतिशत) का चालान किया गया था। इसी प्रकार न.दि.न.प. में केवल 7.65 प्रतिशत पोज़ीटिव प्रजनन के मामलों में ही चालान जारी किए गए।

मालिकों को अपने परिसर मच्छरों से मुक्त रखने को बाध्य करने योग्य कानूनी प्रावधान के अभाव के साथ ही, प्रचलित प्रावधानों के प्रवर्तन का भी अभाव था जो कमजोर प्रभावी रोगवाहक नियंत्रण के निवारक तथा डेंगू को जड़ से समाप्त करने के प्रयास के रूप में कार्य कर सकता था।

1.3.10 छावनी बोर्ड तथा रेलवे के क्षेत्रों में रोकथाम के उपाय

उत्तरी रेलवे के अधीन मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/मलेरिया, दिल्ली मेन के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एक रोस्टर बनाया गया था तथा सभी रेलवे परिसरों को कवर करने के लिए दैनिक आधार पर फॉगिंग और स्प्रे करने के लिए क्षेत्रवार दलों को तैनात किया गया था। इसके अतिरिक्त जब-जब रेलवे कॉलोनियों में डेंगू के पुष्ट मामले से संबंधित कोई सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त हुई तुरंत फॉगिंग और स्प्रे किया गया। मानसून के दौरान दिल्ली नगर निगम के कर्मिकों के साथ रेलवे कॉलोनियों के घरों का सर्वेक्षण किया गया और चूक करने वालों को चालान जारी किए गए।

अंतर्क्षेत्रीय समन्वय समिति के एक निर्णय (मई 2012) के अनुसार उत्तरी रेलवे लार्वारोधी उपाय हेतु प्रति वर्ष जुलाई के माह में विशेष ट्रेनें चलाएगा, वर्ष 2013 से 2015 के दौरान अगस्त से अक्टूबर की अवधि के दौरान रेलवे पटरी के साथ लार्वारोधी उपायों के लिए पावर स्प्रे करते हुए एक विशेष ट्रेन चलाई गई थी।

जहाँ तक दिल्ली छावनी का संबंध है, स्टेशन स्वास्थ्य अधिकारी (एस.एच.ओ.) सेवारत रक्षा कर्मियों द्वारा अधिकृत क्षेत्र में मच्छररोधी प्रचलनों के लिए उत्तरदायी है, जबकि दिल्ली छावनी बोर्ड (डी.सी.बी.) छावनी क्षेत्र में रहने वाली 0.82 लाख नागरिक जनसंख्या की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। जबकि एस.एच.ओ. ने अपने अधिकार क्षेत्र में मच्छर प्रबंधन के आवश्यक उपाय किए, डी.सी.बी. की ओर से कार्यवाही में कमी थी। डी.सी.बी. तीन वर्षों के दौरान मच्छररोधी प्रचलनों के लिए आवंटित बजट का केवल 26 प्रतिशत ही उपयोग कर सका। (जैसाकि तालिका 1.1.3 में दर्शाया गया है)। डी.सी.बी. ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नागरिक क्षेत्र में फॉगिंग और कीटनाशकों के स्प्रे के लिए वर्ष 2013 से 2015 के दौरान वार्षिक कार्यक्रम तैयार नहीं किया और न ही किए गए वास्तविक फॉगिंग और

असंक्रमित किए गए परिसरों के कोई विवरण बनाकर रखे गये। मच्छर प्रजनन को जड़ से समाप्त करने के लिए ऊत को कम करने हेतु कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई और नहीं निदेशालय को मच्छर प्रजनन में कमी की कोई रिपोर्ट भेजी गई।

इस प्रकार, तथापि उत्तरी रेलवे द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए थे, दि.न.नि. तथा दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा किए गए रोकथाम के उपायों ने उनकी प्रभाविकता का कोई आश्वासन प्रदान नहीं किया।

1.4 प्रकोप के लिए प्रतिक्रिया

1.4.1 निष्क्रिय डेंगू कार्य दल

रा.रा.क्षे.दि.स. ने नवम्बर 2012 में सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक डेंगू कार्य दल गठित किया जिसमें स्वास्थ्य सेवा निदेशक, रा.रा.क्षे.दि.स. और एम.एच.ओ., दक्षिणी दि.न.नि. उपाध्यक्ष थे। अतिरिक्त निदेशक (जन स्वास्थ्य), रा.रा.क्षे.दि.स., उत्तरी/पूर्वी दि.न.नि. और न.दि.न.प. के एम.एच.ओ. तथा दिल्ली छावनी बोर्ड के एस.एच.ओ. सदस्य थे। कार्य दल रा.रा.क्षे.दि.स. में डेंगू तथा अन्य रोगवाहक जनित रोगों के नियंत्रण हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य दल द्वारा न तो डेंगू तथा अन्य रोगवाहक जनित रोगों के नियंत्रण हेतु किसी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया और न ही 2014 और 2015 में कोई बैठकें या गतिविधियाँ की गईं।

1.4.2 डेंगू के प्रकोप की सूचना हेतु कोई तंत्र नहीं

दीर्घावधि योजना “डेंगू के प्रकोप”¹³ को परिभाषित करता है और निर्धारित करता है कि ज्वर होने की सूचना के प्राप्त होने पर चिकित्सा अधिकारी/क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी प्रभावित क्षेत्र का दौरा करके ज्वर के संभावित कारण पता लगाने हेतु महामारीय जाँच करेगा और रक्त—संबंधी/विषाणु—संबंधी पुष्टि हेतु सेंटीनल सर्विलांस अस्पतालों को भेजने के लिए प्रभावित जनसंख्या से यादृच्छिक रूप से रक्त के 5–10 प्रतिशत नमूने एकत्र करेगा। अस्पताल द्वारा प्राप्त सीरम के 50 प्रतिशत नमूनों को विषाणु—संबंधी निदान हेतु एपेक्स रेफरल प्रयोगशाला को भेजा जाएगा। यदि रक्त का कोई नमूना एस.एस. अस्पताल प्रयोगशाला या एपेक्स रेफरल प्रयोगशाला द्वारा डेंगू पोजिटिव पाया जाता है, उस मोहल्ले को डेंगू के प्रकोप वाला घोषित किया जाएगा। तथापि रा.रा.क्षे.दि.स./दि.न.नि./न.दि.न.प. में ऐसा कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया।

1.4.3 तत्काल प्रतिक्रिया दलों का गठन नहीं किया गया

मध्यावधि योजना 2011 निर्धारित करती है कि डेंगू जैसी किसी आर्बोवाईरल रोग के प्रकोप में संक्रमित मच्छरों को नियंत्रित करने हेतु तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता होती है जिससे संक्रमण रोका या कम किया जा सके और मच्छरों के प्रजनन के स्थानों को

¹³यदि 10–15 हजार की जनसंख्या वाली कॉलोनी में सात दिनों की अवधि के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा एक समान प्रकृति के ज्वर मामलों की संख्या पाँच अथवा उससे अधिक सूचित की जाती है तो ज्वर का प्रकोप माना जाएगा।

कम किया जा सके या जड़ से समाप्त किया जा सके। मध्यावधि योजना महामारीविद्, कीटविज्ञानी, सूक्ष्मजीवशास्त्री और सूचना, शिक्षा तथा संचार कार्मिकों को शामिल करते हुए एक तत्काल प्रतिक्रिया दल (आर.आर.टी.) के गठन का भी सुझाव देती है जो सेंटिनल सर्विलांस अस्पताल (एस.एस.एच.) से प्राप्त किसी संदिग्ध या पुष्ट मामले की रिपोर्ट प्राप्त होने पर निम्न कदम उठाएः

- यह पुष्टि करे कि क्या इस क्षेत्र से पहले भी किसी मामले की सूचना प्राप्त हुई थी और पिछले और वर्तमान आंकड़ों का विश्लेषण/तुलना करना; और
- प्रकोप को सही प्रमाणित करने के लिए मामलों की जानकारी, उनके विलिनिकल लक्षणों/चिह्नों, पिछले संक्रमण और अन्य संबंधित महामारीविज्ञानकीय/कीटविज्ञानकीय और प्रयोगशाला सूचना एकत्र करने हेतु यथाशीघ्र क्षेत्र का दौरा करे।

इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि ये निष्कर्ष नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन हेतु राज्य/जिला रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी को संप्रेषित किए जाने चाहिए। तथापि दि.न.नि. और न.दि.न.प. में कोई आर.आर.टी. गठित नहीं की गई। मच्छररोधी गतिविधियों की योजना बनाने के लिए कोई तंत्र नहीं था और वहाँ रोग के भार निर्धारण की कोई प्रणाली नहीं थी जिससे पता चले कि यह महामारी है या रोग की अकेली स्थिति है।

उत्तरी रेलवे में भी कोई आर.आर.टी. नहीं बनाई गई यद्यपि 2013–14 में 64 मामले, 2014–15 में 24 मामले तथा 2015–16 में डेंगू ज्वर के 339 मामलों की सूचना उत्तरी रेलवे के सैन्ट्रल अस्पताल में दी गई थी। इसी तरह दिल्ली छावनी बोर्ड में भी कोई आर.आर.टी. नहीं बनाई गई।

1.4.4 प्रकोप के दौरान डेंगू विषाणु जाँच के लिए अस्पतालों का उपकरण से लैस नहीं होना

दीर्घावधि कार्य योजना के अनुसार प्रत्येक एसएस अस्पताल में डेंगू सीरमविज्ञान के लिए एक एलीसा रीडर, एलीसा वॉशर और अन्य आवश्यक उपकरण होने चाहिए। यदि उपकरण उपलब्ध नहीं होते हैं, राज्य कार्यक्रम अधिकारी को एन.वी.बी.डी.सी.पी. निदेशालय से परामर्श करके तत्काल अस्पतालों में इन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रबंध करने चाहिए। यह पाया गया कि प.एम.एम.एम. अस्पताल¹⁴ और सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र अस्पताल में 2013 से एक एलीसा रीडर खराब था। इन अस्पतालों ने सितम्बर और अक्तूबर 2015 में एक-एक नया एलीसा रीडर खरीदा। एक अन्य मामले में बी.एस.ए.एच.¹⁵ ने 22 सितम्बर 2015 को एलीसा माइक्रो प्लेट रीडर खरीदा लेकिन इसे प्राप्ति की तिथि के

¹⁴ पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल

¹⁵ बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल

66 दिन बाद अर्थात् 28 नवम्बर 2015 को सूक्ष्मजीवविज्ञान प्रयोगशाला को जारी किया गया। इस प्रकार जब प्रकोप चरम पर था, ये तीन अस्पताल रोगियों में डेंगू विषाणु की जाँच हेतु उपकरणों से लैस नहीं थे। जब प्रकोप धीरे-धीरे घटने लगा, तभी इन अस्पतालों में ये मशीने प्राप्त हुईं।

1.4.5 रेलवे और छावनी बोर्ड अस्पतालों में अपर्याप्त सुविधाएँ

उत्तर रेलवे के सैन्ट्रल अस्पताल में डेंगू रोगियों को मच्छरदानियाँ, मच्छर भगाने की दवाईयाँ नहीं दी गई जिससे संक्रमित व्यक्तियों से असंक्रमित व्यक्तियों में डेंगू के विषाणु को फैलने से रोका जा सके।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के छावनी क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय के तीन अस्पताल कार्यात्मक है। छावनी बोर्ड अस्पताल छावनी क्षेत्र में रहने वाली नागरिक जनसंख्या को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है जबकि बेस अस्पताल और सेना अस्पताल रक्षा सेवा कर्मियों के उपचार के लिए है। बेस अस्पताल और सेना अस्पताल दोनों में डेंगू रोगियों के उपचार के लिए उपयुक्त रूप से उपकरण और स्टॉफ थे। तथापि, छावनी बोर्ड के जनरल अस्पताल में इनडोर रोगी के उपचार के लिए कुछ भी सुविधा नहीं थी। 2015 में इस अस्पताल द्वारा पता लगाए गए कुल पॉजिटिव डेंगू मामले के 353 रोगियों का आउटडोर रोगी विभाग में उपचार किया गया था अन्य सरकारी अस्पतालों में भेज दिया गया था।

1.5 मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण

1.5.1 मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए कोई तंत्र नहीं

संबंधित दि.न.नि. के निगम स्वास्थ्य अधिकारी (एम.एच.ओ.) 12 जोन में विभाजित जन स्वास्थ्य विभागों के समग्र रूप से प्रभारी होते हैं और प्रत्येक क्षेत्र का अध्यक्ष एक उप स्वास्थ्य अधिकारी (डी.एच.ओ.) होता है। क्षेत्रों को आगे सर्कलस में बांटा जाता है जो क्षेत्रीय कार्य की प्राथमिक इकाई होती है। तथापि एम.एच.ओ. तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा सर्कल स्तर पर क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा की गई मच्छररोधी गतिविधियों के पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग के लिए कोई तंत्र या निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी। दि.न.नि. और न.दि.न.प. ने एम.एच.ओ. द्वारा की गई अभ्युक्तियों और क्षेत्रीय स्टॉफ को जारी किये निर्देशों का कोई रिकार्ड नहीं रखा।

इसके अतिरिक्त, दि.न.नि. और न.दि.न.प. ने डी.बी.सी./ए.एम.जी. द्वारा किए गए लार्वारोधी कार्य या क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा उनके संबंधित बीट में किए गए कार्य पर जनता की प्रतिक्रिया लेने हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया। प्रबंधन द्वारा समुचित पर्यवेक्षण और जनता की प्रतिक्रिया के अभाव में दि.न.नि. द्वारा किए गए मच्छररोधी उपायों की प्रभावशीलता और कार्यक्षमता के स्तर के अनुभवजन्य आवधिक मूल्यांकन का कोई तरीका नहीं है।

1.5.2 डेंगू मामलों और डेंगू मृत्यु के कम आँकड़े सूचित किया जाना

रा.रा.क्षे.दि. में दक्षिणी दि.न.नि. नोडल एजेंसी के रूप में अस्पतालों से डेंगू के पॉजिटिव

मामलों के आंकड़े एकत्र करता है और आगे भारत सरकार (भा.स.) को भेजता है। यह प्रयोग कार्य भा.स. को रोग के वास्तविक भार का निर्धारण करने में सहायक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अस्पतालों द्वारा नोडल एजेंसी को सूचित पॉजिटिव मामलों का विवरण और नोडल एजेंसी द्वारा वास्तव में आगे निदेशालय को भेजे गए मामले **तालिका 1.1.4** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.1.4: अस्पतालों द्वारा सूचित मामले और जो निदेशालय को सूचित किये

वर्ष	अस्पतालों द्वारा सूचित पॉजिटिव मामले	निदेशालय को सूचित मामले
2013	23,451	5,574
2014	4,596	995
2015	39,531	15,867
योग	67,578	22,436

अस्पतालों द्वारा सूचित किए गए कुल 67,578 मामलों में से नोडल एजेंसी ने निदेशालय को केवल 22,436 मामले (33 प्रतिशत) ही सूचित किए। बाकी मामले विभिन्न कारणों से हटा दिए गए जैसे रैपिड किट टेस्ट से पोजिटिव पाए गए मामले (11,345 मामले), मामलों में जहाँ पूरा पता उपलब्ध नहीं था (2,564 मामले), अस्पतालों द्वारा संदिग्ध घोषित किए गए मामले (13,417 मामले), मामलों का पता नहीं लग पाया (4,140 मामले), रोगी जिन्होंने संक्रमण को अन्य राज्यों से प्राप्त किया (1,711 मामले), अन्य राज्यों से संबंधित मामले (2,611 मामले) और वह मामले जहाँ अन्य राज्यों में स्थित पते दिए गए थे (9,354 मामले)।

दिल्ली में रोगवाहक जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु 2014–15 और 2015–16 की कार्ययोजनाओं में यह निर्धारित किया गया कि सभी डेंगू मामलों की चिकित्सीय लेखापरीक्षा हेतु एक डेंगू मृत्यु समीक्षा समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति के दिशानिर्देशों का निर्धारण डी.एन.वी.बी.डी.सी.पी. के निदेशालय द्वारा किया जाना था। कार्य योजना में आगे निर्धारित किया गया कि डेंगू मृत्यु को केवल तभी अधिसूचित किया जाना चाहिए जब डेंगू मृत्यु समीक्षा समिति द्वारा इसकी पुष्टि कर दी गई हो। तथापि यह पाया गया कि न तो डी.एन.वी.बी.डी.सी.पी. ने दिशानिर्देश बनाए, और न ही रा.रा.क्षे.दि.स. ने इस मामले को डी.एन.वी.बी.डी.सी.पी. के साथ आगे बढ़ाया। वर्ष 2015 के दौरान अस्पतालों ने नोडल एजेंसी को 409 डेंगू मृत्यु की सूचना दी जिसने इन मामलों को आगे डेंगू मृत्यु समीक्षा समिति को अग्रेषित किया। 409 मृत्यु के मामलों में से समिति ने केवल 60 मृत्यु की (दिल्ली से 46 और दिल्ली के बाहर से 14) पुष्टि डेंगू मृत्यु के रूप में की थी। 2014 में नोडल एजेंसी ने 50 डेंगू मृत्यु के मामले भेजे लेकिन समिति ने केवल तीन मामलों की पुष्टि की। समिति के पास मृत्यु के कारणों की समीक्षा हेतु कोई मानदण्ड/दिशानिर्देश न होने पर यह स्पष्ट नहीं था कि कैसे शेष मृत्यु को डेंगू मृत्यु नहीं माना गया जबकि अस्पताल द्वारा इनकी पुष्टि डेंगू मृत्यु के रूप में की गई थी।

2015 में 967 चिकित्सीय इकाईयाँ (933 निजी अस्पताल व नर्सिंग होम और 34 सरकारी अस्पताल) जिनके लिए द.दि.न.नि. को डेंगू मामलों/डेंगू मृत्यु की सूचना देना आवश्यक था, उनमें से केवल 27 एस.एस.एच. और 43 निजी अस्पताल और नर्सिंग होम्स ने नोडल एजेंसी को डेंगू पॉजिटिव मामलों और मृत्यु के मामलों की सूचना दी। परंतु नोडल एजेंसी ने बाकी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स से आंकड़े एकत्र करने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया। इस प्रकार, नोडल एजेंसी द्वारा निदेशालय को संप्रेषित रोग आँकड़े अपूर्ण थे तथा उन्हें पूरी तरह से सही अथवा विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता था।

दक्षिण दि.न.नि. ने बताया (मई 2016) कि अस्पतालों से प्राप्त होने वाले डेंगू मामलों के विवरण की जाँच संबंधित नगर निकायों द्वारा की जाती है और केवल दिल्ली से संबंधित मामलों को ही डेंगू के पॉजिटिव मामले माना जाता है।

1.5.3 आने वाले रोग की गंभीरता की सूचना में विलम्ब

डीईएनवी-1 और 3 माइल्ड डेंगू के साथ उच्च अस्वस्था दर और कम मृत्यु दर का कारक होता है। डीईएनवी-2 और 4 इन चारों में से अधिक संक्रामक सीरोटाईप माने जाते हैं जो जटिलताओं और अधिक मृत्यु दर का कारक होते हैं। निदेशालय ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एन.सी.डी.सी.) और ऑल इंडिया इन्सटीट्यूट ऑफ मैडिकल साईंसेस, (एम्स) को दिल्ली में डेंगू के विषाणु पृथक्करण हेतु एपेक्स रेफेरल लैबोरेट्रीस (ए.आर.एल.) के रूप में चिह्नित किया। 29 मई 2013 को एन.वी.बी.डी.सी.पी. द्वारा सभी ए.आर.एल. को जारी परामर्श के अनुसार, ए.आर.एल. संबंधित राज्यों में परिचालित डेंगू सीरोटाईप/जीनोटाईप के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। 8 मई 2014 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ए.आर.एल. द्वारा संक्रमण अवधि के आरंभ में वायरल सीरोटाईपिंग को कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ साझा की जाएँगी। तथापि यह पाया गया कि दिल्ली के दोनों ए.आर.एल. ने सितम्बर 2015 में सीरोटाईपस की सूचना तब दी जब महामारी पहले ही दिल्ली में फैल चुकी थी। यदि ए.आर.एल. ने समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की होतीं, स्वास्थ्य प्राधिकारी आने वाले रोग की गंभीरता का आकलन करने में समर्थ होते और समय पर तैयारियाँ कर सकते थे।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने निर्देश दिया (फरवरी 2015) कि सभी एस.एस.एच. द्वारा ज्वर लक्षणों के संदिग्ध रोगियों से रक्त के नमूने एकत्र किए जाएंगे और सीरम संबंधी पुष्टि करने हेतु समय पर प्रक्रिया की जाएगी। कार्य योजनाओं 2014 और 2015 के अनुसार सभी एस.एस.एच. को रोग पूर्वानुमान हेतु गैर-संक्रमण अवधि के दौरान 10 प्रतिशत ज्वर मामलों की जाँच डेंगू के लिए करनी आवश्यक थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2015 में अस्पतालों द्वारा न तो इन निर्देशों का अनुपालन किया गया और न ही रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कोई तंत्र विकसित किया गया जिससे अस्पतालों द्वारा इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अक्टूबर 2015 में जब मौलाना आजाद मेडिकल

कॉलेज दिल्ली के डीन द्वारा मेडिकल सुपरिटेंडेंट, लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली को डेंगू रोगियों के सीरोटाईप के लिए सूचित पोजिटिव नमूनों (पी.सी.आर.) को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, ताकि डेंगू ज्वर/विक्रति का प्रोफाईल निश्चित करने में मदद मिले, तब ही स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने 19 अक्टूबर 2015 को यह अनुरोध कई अन्य अस्पतालों को अग्रेषित किया। इस प्रकार स्पष्ट रूप से भा.स. द्वारा जारी अनुदेशों के सतत अनुपालन की कमी थी।

1.6 अंतर्क्षेत्रीय समन्वय

दक्षिणी दि.न.नि. के जन स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिवर्ष पूर्वी दि.न.नि., उत्तरी दि.न.नि. और न.दि. न.प. के साथ दिल्ली में रोगवाहक जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण पर कार्यशालाएँ आयोजित की और रोगवाहक जनित रोगों के नियंत्रण और बचाव हेतु किये जाने वाले उपायों को दर्शाते हुए एक दस्तावेज भी निकाला। इन कार्यशालाओं में कई निर्णय लिए जाते हैं जिन्हें विभिन्न कार्यान्वयन विभागों द्वारा कार्यान्वित करना होता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2015 की कार्यशाला में लिए गए 138 में से 38 निर्णय पर दि.न.नि. द्वारा स्वयं, 22 निर्णय सभी नगरीय निकायों द्वारा, तीन निर्णय दिल्ली सरकार के विभागों द्वारा, एक भा.स. के विभागों द्वारा, पाँच दक्षिणी दि.न.नि. द्वारा और 11 निर्णय सेंटीनेल सर्विलांस अस्पतालों द्वारा कार्यान्वित किये जाने थे। 58 निर्णय एकाधिक एजेंसियों द्वारा जिसमें दि.न.नि., रा.रा.क्षे.दि.स. के विभाग, नगरीय निकाय सम्मिलित है, के साथ कार्यान्वित किए जाने थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन निर्णयों की अनुपालना के मॉनिटर हेतु कोई प्रबंध नहीं किए गए और न ही संबंधित विभागों से प्राप्त कार्यशाला में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन पर कोई एक्शन टेक्न रिपोर्ट उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त इसका कोई प्रमाण नहीं था कि दि.न.नि. और न.दि.न.प. ने स्वयं ही उन निर्णयों पर कार्यवाही शुरू की जिन्हें उनके द्वारा कार्यान्वयन के लिए चिह्नित किया गया था।

1.7 क्षमता निर्माण

1.7.1 अपर्याप्त संगठनात्मक ढाँचा

दि.न.नि. अपने मलेरिया विभाग (म.वि.) के माध्यम से राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम (एन.ए.एम.पी.) को कार्यान्वित कर रहा था। यद्यपि मलेरिया और डेंगू दोनों ही रोग मच्छरों द्वारा फैलाए जाते हैं, किर भी ये भिन्न-भिन्न रोग हैं। मलेरिया एक परोपजीवी रोग है जबकि डेंगू एक आर्बोवाईरल रोग है। इसलिए, मलेरिया विभाग के कार्यक्रम में डेंगू जैसे विषाणुजन्य रोगों को सम्मिलित करने हेतु इसे डेंगू और अन्य विषाणुजन्य रोगों से निपटने में सक्षम बनाने हेतु इसकी पुर्नसंरचना आवश्यक थी। तथापि, मलेरिया विभाग की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया था। जन स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक क्षेत्र में मलेरियारोधी गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण हेतु वहाँ मलेरियारोधी अधिकारी (ए.एम.ओ.) के पद हैं लेकिन डेंगू या अन्य विषाणुजन्य रोगों के लिए कोई अनुकूल पद नहीं हैं। ऐसी ही स्थिति न.दि.न.प. में भी थी।

1.7.2 पर्याप्त अवसंरचना का अभाव

मलेरिया सर्कल वह प्राथमिक इकाई है जहाँ से कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सभी कार्य क्षेत्र प्रचालित होते हैं। दि.न.नि. के सभी 292 सर्कल कार्यालयों के सर्वेक्षण से पता चला कि अधिकतर कार्यालयों में आधारभूत अवसंरचना/सुविधाएँ भी नहीं थीं। कुछ उदाहरण तालिका 1.1.5 में नीचे दिए गए हैं:

तालिका 1.1.5: अपर्याप्त अवसंरचना/सुविधाओं वाले सर्कल

क्र.सं.	अवसंरचना/सुविधाओं का अभाव	सर्कलस की संख्या
1.	बिजली कनेक्शन	64 (22%)
2.	दि.ज.बो. जल कनेक्शन	195 (67%)
3.	उपयुक्त कार्यालय आवास	76 (26%)
4.	सीलिंग फैन और प्रकाश व्यवस्था	70 (24%)
5.	प्रसाधन और शौचालय सुविधाएँ	97 (33%)
6.	रसायनों और कीटनाशकों हेतु भंडारण स्थल	167 (57%)
7.	खाली पात्रों/धारकों के लिए स्थान	176 (60%)
8.	लैंडलाइन दूरभाष	258 (88%)
9.	झाड़ू व सफाई व्यवस्थाएँ	177 (61%)

यह पाया गया कि:

- (i) यद्यपि दि.न.नि. में बी.टी.आई. सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला रसायन है और इसे पानी में घोला जाता है, 67 प्रतिशत सर्कल्स में पानी का कनेक्शन नहीं था।
- (ii) लगभग 88 प्रतिशत से अधिक सर्कल्स में जनता या वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने हेतु दूरभाष सुविधाएँ नहीं थीं तथा 22 प्रतिशत सर्कल्स में बिजली कनेक्शन नहीं थे।
- (iii) 26 प्रतिशत सर्कल्स में उपयुक्त कार्यालय स्थल उपलब्ध नहीं थे तथा 33 प्रतिशत सर्कल्स में शौचालय सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं।
- (iv) डी.एन.वी.बी.डी.सी.पी. दिशानिर्देश कीटनाशकों के परिवहन व भण्डारण, कीटनाशकों के अवशेषों और खाली पैकिंग के निपटान हेतु प्रोटोकोल का निर्धारण करते हैं। दि.न.नि. के जोनल कार्यालय ज.स्वा.वि. मुख्यालयों से 01 कि.मी. से 25 कि.मी. और सर्कल कार्यालय जोनल कार्यालयों से 01 कि.मी. से 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित थे। कीटनाशकों को प्रयोग के लिए कई बार क्षेत्रीय कार्यालयों से सर्कल कार्यालय साइकिल से ले जाया जाता है।
- (v) 57 प्रतिशत सर्कल्स में कीटनाशकों और पेट्रोलियम उत्पादों के भण्डारण हेतु उपयुक्त

स्थान उपलब्ध नहीं था जबकि 60 प्रतिशत सर्कल्स में प्रयोग किए जा चुके खाली कंटेनरों के भंडारण हेतु कोई स्थान नहीं था।

1.7.3 खराब उपकरण

रोगवाहक प्रबंधन के रासायनिक नियंत्रण के उपाय विभिन्न प्रकार के पंपों की सहायता से किए जाते हैं। लेखापरीक्षा में देखा गया कि दि.न.नि. में 26 प्रतिशत उपलब्ध पंप/मशीने काम नहीं कर रही थीं जबकि न.दि.न.प. में 65 प्रतिशत उपलब्ध पंप/मशीने काम नहीं कर रही थीं।

उत्तरी रेलवे में तीन फॉगिंग मशीनों की आवश्यकता के प्रति केवल एक फॉगिंग मशीन उपलब्ध थी जबकि दूसरी खराब पड़ी थी। इसके अतिरिक्त 15 पम्पों की आवश्यकता के प्रति केवल 10 नैपसेक पम्प उपलब्ध थे।

1.7.4 मानव संसाधनों की कमी

मलेरिया विभाग का गठन 1950 के पूर्वाद्द्वारा में हुआ। यद्यपि तबसे दिल्ली में बसे हुए क्षेत्र और इसकी जनसंख्या में कई गुना वृद्धि हुई, मलेरिया विभाग में संस्वीकृत पदों को पुनरीक्षित नहीं किया गया। दि.न.नि. में 46 से 97 प्रतिशत तक पर्यवेक्षण स्टाफ कम था और श्रमिक संवर्ग 20 से 36 प्रतिशत कम थे।

न.दि.न.प. में, कोई कीटविज्ञानी पद संस्वीकृत नहीं था, जबकि महामारीविद् तथा स्वच्छता अधिकारी के पद जनवरी 2016 तक खाली पड़े थे। यहाँ मलेरियारोधी गैंगमेन (ए.एम.जी.) 12 प्रतिशत और मलेरियारोधी जमादार (ए.एम.जे.) 47 प्रतिशत कम थे। यद्यपि क्षेत्रीय स्टाफ की कमी थी, कई मलेरिया निरीक्षक (एम.आई.), सहायक मलेरिया निरीक्षक (ए.एम.आई.) और क्षेत्रीय श्रमिकों (एफ.डब्ल्यू.) को लिपिकीय कार्य में तैनात किया गया था।

मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक (उत्तरी रेलवे) के कार्यालय में फील्ड श्रमिक कैडर में 22.22 प्रतिशत जनशक्ति की कमी थी और फील्ड श्रमिकों को रोगवाहक प्रबंधन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया।

मच्छर नियंत्रण एक श्रमसाध्य कार्य है जिसमें नियमित पर्यवेक्षण आवश्यक है। मानव संसाधनों की वर्तमान उपलब्धता स्पष्ट रूप से समस्या के विस्तार के अनुरूप नहीं है तथा संबंधित विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली में आई.वी.एम. को पूर्णतः एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं थे।

दि.न.नि. ने बताया (मई 2016) कि रिक्त पदों की भर्ती के मामले पर कार्यवाही हो रही थी।

1.8 व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण

1.8.1 बहु-अनुशासनिक योजना दल गठित न होना

डब्ल्यू.एच.ओ. के दिशानिर्देशों के अनुसार, डेंगू ज्वर महामारीविज्ञान को तकनीकी सुसंगत

समाधानों को परिभाषित करने हेतु विभिन्न अनुशासनों में विशेषज्ञता के समन्वय की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक बहु-अनुशासनिक योजना दल का संयोजन करना आवश्यक होता है। तथापि, दिल्ली में राज्य कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इसका गठन नहीं किया था।

1.8.2 अप्रभावी जन जागरूकता अभियान

जन जागरूकता अभियानों का उद्देश्य डेंगू संबंधी रोकथाम व नियंत्रण उपायों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है।

(i) रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

डेंगू के विषाणुओं (प्रकोप) के फैलने की मुख्य अवधि प्रत्येक वर्ष में जून से नवम्बर के बीच होती है और डेंगू की रोकथाम से संबंधित प्रचार अभियान डेंगू विषाणुओं के फैलने से पहले अर्थात् जून और जुलाई में जारी किए जाने थे। पिछले तीन वर्षों में, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डेंगू की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियानों पर ₹ 10.04 करोड़ व्यय किया जैसा कि तालिका 1.1.6 में प्रदर्शित है:

तालिका 1.1.6: जागरूकता अभियान पर व्यय का विवरण

वर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विज्ञापन की अवधि
2013-14	4.23	31 अगस्त से 19 नवम्बर 2013
2014-15	0.41	25 अक्टूबर से 23 नवम्बर 2014
2015-16	5.40	सितम्बर से अक्टूबर 2015

विज्ञापन सभी तीन वर्षों में डेंगू के प्रकोप के बाद अर्थात् सितम्बर और नवम्बर के बीच जारी हुए। इस प्रकार, डेंगू के प्रकोप से रोकथाम के उपाय की जागरूकता पर किए व्यय का उद्देश्य ही विफल हो गया।

(ii) दिल्ली नगर निगम

दि.न.नि. के क्षेत्र प्रचार अभियान प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में आरंभ हुए। जन जागरूकता अभियान का आरंभ मानसून की अवधि समाप्त होने के पश्चात करने का औचित्य नहीं है।

1.9 मामलों का प्रबंधन

1.9.1 गैर-सिफारिश रैपिड डायग्नोस्टिक टैस्ट (आर.डी.टी) का प्रयोग

डेंगू ज्वर के नैदानिक प्रबंध के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश बताते हैं कि डेंगू का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाई जा रही रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स (आर.डी.टी) को पूर्णतः सही नहीं समझा जाता है तथा यह मानक जाँचों की तुलना में गलत पोजिटिव्स की दर

अधिक दिखाता है। डब्ल्यूएचओ. दिशा-निर्देशों में भी अनुबंधित है कि ये किट्स डेंगू/डी.एच.एफ प्रबंध के मार्गदर्शन के लिए प्रयोग में नहीं लाई जानी चाहिए थी, ऐसे परीक्षणों पर विश्वास किए जाने का परिणाम मृत्युदर अनुपात के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। अतः आर.डी.टी. के प्रयोग की सिफारिश नहीं की गई है। आर.डी.टी. के बजाय केवल एलीसा आधारित किट्स को ही क्रय किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अस्पतालों द्वारा ₹ 4,15,543 की कुल लागत पर 43 आर.डी.टी. किट्स क्रय की गई थी जैसाकि तालिका 1.1.7 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 1.1.7 : आर.डी.टी. किट्स का क्रय

क्र.सं.	अस्पताल	क्रय की गई किट्स की सं.	लागत (₹)
1	आर.एम.एल.	10	15,500
2	बी.एम.एच.	2	27,800
3	जी.टी.बी.एच.	22	1,94,670
4	एस.आर.एच.सी.एच.	9	1,77,573
	योग	43	4,15,543

आर.डी.टी. किट्स का प्रयोग डेंगू के मामलों की वास्तविक संख्या के निदान और निर्धारण की यर्थाथता के संबंध में अपेक्षित आश्वासन प्रदान नहीं करता है।

1.9.2 संदेहास्पद डेंगू मामलों की जाँच में अपर्याप्तताएँ

अगस्त से नवम्बर 2015 की डेंगू की अवधि के दौरान बड़ी संख्या में डेंगू ज्वर के ओ.पी.डी. और आई.पी.डी. रोगियों का उपचार किया गया। तथापि छ: चयनित अस्पतालों में बेसिक ब्लड नमूना जाँच अनुपात से यह पता चला कि अगस्त से नवम्बर 2015 तक चिकित्सा और बाल रोग विभागों की ओ.पी.डी. और आई.पी.डी. में डेंगू ज्वर के केवल 44 प्रतिशत रोगियों की बेसिक रक्त जाँच की गई। लेखापरीक्षा में यह निश्चित नहीं हो सका कि कैसे आई.पी.डी. के रोगियों का उपचार रोग निदान जाँच या अनुवर्ती जाँचों के बिना किया गया क्योंकि पूर्व-आवश्यक निदान जाँच रोगियों की देखभाल प्रभावी ढंग से करने में सहायक होती।

1.10 निष्कर्ष

दिल्ली के रा.रा.क्षे. में कई वर्षों से डेंगू के बार-बार आने और 2015 के दौरान डेंगू मामलों के साथ-साथ मृत्युदर में भी तीव्र वृद्धि होने के बावजूद, संरथानिक तंत्र तथा विभागों तथा नगर निगमों द्वारा की गई कार्रवाईयाँ इस समस्या के परिमाण के अनुरूप नहीं थी जबकि निधियों की कमी नहीं थी। प्रकोप की पूर्व सूचना देने अथवा प्रकोप पर प्रतिक्रिया हेतु कोई निश्चित तंत्र नहीं था तथा आने वाले रोग की पूर्व चेतावनी देने तथा प्रकोप की उग्रता निश्चित करने हेतु निगरानी प्रणाली अपर्याप्त थी। मलेरिया सर्कल्स जो फील्ड ऑपरेशन

के लिए प्राथमिक इकाईयाँ हैं, ने आधारभूत अवसंरचना तथा सुविधाओं की बहुत अधिक कमी को वहन किया। वास्तविक सेवा की प्रदानगी की मैपिंग किये बिना ही, मच्छररोधी उपायों के स्टीरियो-टिपिकल क्रियान्वयन में रोगवाहक जनित रोगों के नियंत्रण को कमतर कर दिया।

परिवेशीय संशोधन जो धारणीय रोगवाहक नियन्त्रण में मुख्य घटक है, पर उचित जोर नहीं दिया गया तथा दि.न.नि. और न.दि.न.प. मच्छरों की जनसंख्या नियन्त्रण के लिए रसायनिक प्रयोगों पर पूरी तरह से निर्भर रहे। सभी नगर निगमों ने ₹ 43.65 करोड़ की कुल लागत पर वयस्क मच्छरों पर नियन्त्रण के लिए व्यापक रूप से स्प्रे तथा फॉगिंग परिचालनों को तथा लार्वा पर नियन्त्रण के अन्य रसायनिक उपायों को अपनाया, लेकिन इनके लिए अपनाई गई तकनीकें और प्रयोग में लाए गये रसायनिक घोल, कार्यक्रम दिशानिर्देशों में की गई सिफारिशों से भिन्न थे, जिससे उनकी प्रभाविकता पर प्रश्न उठते हैं। घरेलू प्रजनन जांचकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य की प्रभाविकता की मॉनिटरिंग नहीं की गई थी। दि.न.नि. ने इन प्रजनन जांचकर्ताओं की नियुक्ति पर ₹ 109.43 करोड़ का व्यय किया था। रसायन के प्रयोग के लिए नीति का अभाव, कीटनाशकों के लिए संवेदनशीलता की जाँच न करना, मच्छरों की जनसंख्या नियंत्रित करने हेतु लागू तकनीकों के प्रभाव का अध्ययन न करना और मच्छरों की जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु गैर-निर्धारित प्रणाली को अपनाया जाना दि.न.नि. और न.दि.न.प. में सुसंगत निर्णय लेने की प्रक्रिया के अभाव का संकेतक था।

जबकि उत्तरी रेलवे ने अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में प्रणालीगत फॉगिंग और स्प्रे परिचालनों को किया था, दिल्ली छावनी बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में डेंगू-रोधी परिचालनों के रिकार्ड नहीं रखे। बोर्ड ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान मच्छर-रोधी परिचालनों के लिए उपलब्ध निधियों का केवल 26 प्रतिशत ही उपयोग किया।

1.11 सिफारिशें

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, निम्नलिखित सिफारिशों की जाती है:

- रा.रा.क्षे. दिल्ली में डेंगू संभावित तथा संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग की जानी चाहिए तथा इसी आधार पर योजनाओं को बनाना और प्राथमिकता देना तथा संसाधनों को आवंटित किया जाना चाहिए। इन उद्देश्य के लिए डेंगू कार्य दल की नियमित अंतराल पर बैठकें होनी चाहिए।
- रा.रा.क्षे. दिल्ली में डेंगू रोकथाम तथा नियन्त्रण करने वाली बहु एजेंसियों को देखते हुए एक अन्तरएजेंसी समन्वयन तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए जो डेंगू की रोकथाम एवं नियन्त्रण के मामले को समन्वित तथा सुसंगत ढंग से निपटा सके।
- आने वाले रोग की अग्रिम चेतावनी और रोग के प्रकोप की तीव्रता का आकलन

करने हेतु महामारीय निगरानी के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया के साथ-साथ आवश्यक प्रयोगशाला सुविधाओं को विकसित एवं स्थापित करना चाहिए।

- कार्यक्रम दिशानिर्देशों एवं एन.वी.बी.डी.सी.पी. के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए नगर निगमों द्वारा किये गये फॉर्मिंग एवं स्प्रे कार्यों की प्रभाविकता का आकलन करने और सुधारात्मक कदम यदि आवश्यक हों, हेतु एक प्रभाविकता मूल्यांकन करना चाहिए।
- नगर निगमों द्वारा डी.बी.सी./ए.एम.जी. की नियुक्ति का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे चल रहे कार्य के अनुरूप हैं। उनकी नियुक्ति की अवधि का ऐसा तालमेल बैठाना चाहिए ताकि यह निश्चित हो सके कि जिस अवधि के दौरान उन्हें नियुक्त किया जाता है तब वे वास्तव में अभीष्ट कार्यों में लगाये जा सकें। उनके द्वारा किए गए कार्य की मॉनिटरिंग तथा पर्यवेक्षण होना चाहिए।
- रिपोर्टिंग यंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि सभी संबंधित इकाईयाँ डेंगू मामलों तथा डेंगू मृत्यु से संबंधित सटीक सूचना समय पर नोडल एजेंसी को सूचित करें और फिर इसे आगे एन.वी.बी.डी.सी.पी. निदेशालय को संप्रेषित किया जाए।
- डेंगू के आरम्भ होने से पहले निवारक उपाय के रूप में जन जागरूक अभियान शुरू करने की योजना बनाई जानी चाहिए न कि इसके आरम्भ होने के पश्चात अथवा जब यह कम हो रहा हो।
- मलेरिया सर्कल्स के लिए आधारभूत अवसंरचना को निर्धारित समय में सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। डेंगू अवधि के आरम्भ होने से पहले ही डेंगू रोगियों की बढ़ी संख्या को अटेंड करने के लिए अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का पुनरीक्षण करना चाहिये और जाँच सुविधाओं में कमी का निवारण करना चाहिए।
मामले को दिल्ली सरकार को (मई 2016 तथा जुलाई 2016) तथा स्वास्थ्य मंत्रालय को (जुलाई 2016), दिल्ली छावनी बोर्ड (जुलाई 2016) रेलवे (जुलाई 2016) में भेजा गया। दिल्ली छावनी बोर्ड ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2016), अन्य एजेंसियों के जवाब प्रतीक्षित थे (16 अगस्त 2016)।

अध्याय – II
अनुपालना लेखापरीक्षा

अध्याय – II

अनुपालना लेखापरीक्षा

शहरी विकास विभाग

2.1 राजीव गाँधी चौक का पुनर्विकास

राजीव गाँधी चौक का कार्य इसके वास्तुशिल्पीय तथा हैरिटेज स्वरूप के पुनरुद्धार के साथ ही ट्रैफिक व पैदल आवागमन को सुगम बनाते हुए राष्ट्रीय राजधानी के इस प्रधान व्यवसायिक केन्द्र के परिवेश में सुधार हेतु शुरू किया गया। परन्तु इसे प्राप्त नहीं किया जा सका। व्यावहारिक योजना की कमी के साथ ही कार्यों के निम्नस्तरीय निष्पादन व समुचित निगरानी के अभाव के कारण जन सुविधाओं के उन्नयन तथा नगरीय सेवाओं के सुधार के परियोजना लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। मूलतः तय किये गये परियोजना के कार्यक्षेत्र को ₹ 615.20 करोड़ से भारी कटौती कर ₹ 477.02 करोड़ कर दिया गया। जन उपयोगी गलियारे, सतही विकास, जल वितरण प्रणाली और गलियारे के फर्श पर किया गया ₹ 18.05 करोड़ का व्यय या तो टाला जा सकता था या निष्कल रहा। अग्निशामक तंत्र में ₹ 4.97 करोड़ के व्यय से की गई बढ़ोतरी की क्षमता को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

कनॉट प्लेस (सी.पी.), जिसे मूलतः 1929 में एक बाजार–सह–रिहायशी कॉम्प्लैक्स के रूप में डिजाइन किया गया, तीन सर्कलों–बाहरी, मध्य और आन्तरिक में बैंटा है। सभी भवन जो कि निजी हैं जो इन सर्कलों के अंदर में निर्मित हैं। कनॉट प्लेस को वर्ष 1995 में राजीव गाँधी चौक के रूप में पुनः नामित किया गया। समय बीतते वर्षों में पुराना होने की प्रक्रिया और संरचनाओं में तदर्थ बदलावों तथा निर्माण के फलस्वरूप इस काम्प्लैक्स की समग्र स्थिति में गिरावट आई और इसके मूल अग्रभाग विरुपित हो गये। इसके अतिरिक्त इसके आंतरिक सर्कल में भूमिगत पालिका बाजार और राजीव गाँधी मेट्रो इंटरचेंज टर्मिनल के निर्माण से सी.पी. में आगंतुकों तथा वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई जिससे परिवहन की भीड़–भाड़ और सड़कों पर वाहन व पदयात्रियों के बीच उलझाव होने लगा। वाहिजियक गतिविधियों में वृद्धि और बढ़ती जनसंख्या से सीपी की नागर अवसंरचना पर अतिरिक्त दबाव पड़ा।

फरवरी 2005 में सचिव शहरी विकास मंत्रालय (श.वि.मं.) भारत सरकार (भा.स.) की अध्यक्षता में एक बैठक की गई जिसमें नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (न.दि.न.प.) के अध्यक्ष और अन्य एजेंसियों जैसे दिल्ली शहरी कला आयोग (डी.यू.ए.सी.), दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी समिलित हुए, जिसमें न.दि.न.प. के मुख्य अभियंता ने इस क्षेत्र की

स्थिति और इसकी समस्याओं पर एक प्रस्तुति दी। इन चर्चाओं के आधार पर न.दि.न.प. ने सचिव श.वि.म., भा.स. को 30 मई 2005 को एक स्थितिक टिप्पणी प्रस्तुत की जिसमें सी.पी. के लिए एक समग्र पुनर्विकास योजना तैयार करने की सिफारिश की, जिसमें अभियांत्रिकी सेवाओं में वृद्धि/सुधार शामिल है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (परिषद) ने फरवरी 2006 में इस सिफारिश का अनुमोदन किया और इसके निर्णित प्रस्ताव को प्रशासकीय अनुमोदन व व्यय संस्थीकृति हेतु अपने समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पास किया।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने 03 मई 2006 को इंजीनियरस इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) के साथ कनॉट प्लेस और इसके अहाते के पुनर्विकास के लिए परामर्श सेवा प्रदान करने हेतु एक समझौता किया। ई.आई.एल. ने कनॉट प्लेस के पुनर्विकास की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत की जिसमें लागत अनुमानों सहित निम्नलिखित उप योजनाएँ थीं:

- अ. सी.पी. के वास्तुशिल्पीय/हैरिटेज स्वरूप का पुनरुद्धार और इसके भवनों के संरचनागत स्थायित्व की जाँच;
- ब. नए सबवेज का निर्माण, वर्तमान सबवेज का पुनर्निर्माण और ट्रैफिक की मुक्त आवाजाही और पैदल चलने वालों की सुरक्षा हेतु बाहरी परिक्षेत्र को सिग्नल-फ्री करने हेतु सड़कों की समायोजना;
- स. नई भूमिगत पार्किंग सुविधाओं के निर्माण और सतही पार्किंग के विकास द्वारा सी.पी. की पार्किंग क्षमता में वृद्धि;
- द. जन सुविधाओं में सुधार, परिवेशीय सुधार, भू-दृश्य निर्माण और सड़क दृश्य निर्माण; तथा
- ई. नागरिक सेवाओं अर्थात् जल और बिजली आपूर्ति, जल निकास व सीवर प्रणाली में अभियांत्रिक सुधार।

परिषद ने इस परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन किया (नवम्बर 2007) और इस परियोजना को जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत वित्तपोषित करने का निर्णय लिया। परिषद ने इस परियोजना के लिए ई.आई.एल. से टर्नकी परामर्श समझौता (21 मई 2008 को हस्ताक्षरित) करने का भी अनुमोदन किया (28 अप्रैल 2008)। जिसके अंतर्गत इस परियोजना की संकल्पना, योजना, डिजाईन, अभियांत्रिकी और कार्यान्वयन, ठेकेदारों को निर्माण कार्यों की सुपुर्दगी और इसके बाद परियोजना का निरीक्षण, जाँच और इसको पूर्ण रूपेण चालू दशा में न.दि.न.प. को सौंपने के लिए ई.आई.एल. उत्तरदायी था। यह समझौता मई 2006 के पिछले समझौते के स्थान पर किया गया। परामर्श शुल्क निष्पादित परियोजना लागत का आठ प्रतिशत (सेवाकर सहित) या ₹ 48 करोड़ (सेवाकर सहित) इनमें से जो भी कम हो, था और यह दिसंबर 2010 तक लागू था। परियोजना की समाप्ति में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर, जिसकी जवाबदेही ई.आई.एल. की न हो, दिसंबर 2010 के बाद के लिए अतिरिक्त शुल्क का निपटान आपसी समझौते की शर्तों के आधार पर किया

जाना था। परिषद ने डी.पी.आर. के कार्यान्वयन के लिए ₹ 615.20 करोड़ का प्रशासकीय अनुमोदन व व्यय संस्वीकृति प्रदान की।

तदन्तर ₹ 448.03 करोड़ की डी.पी.आर. उन निर्माण कार्यों की जिन्हें जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाना था, भारत सरकार को 15 अप्रैल 2008 में भेजी गई, जिसके लिए भा.स. ने अपने अंशदान के रूप में ₹ 88.82 करोड़ का अनुमोदन किया और फरवरी 2009 में पहली किश्त के रूप में ₹ 22.21 करोड़ जारी किए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत न.दि.न.प. को परियोजना में अपने अंशदान के रूप में ₹ 38.06 करोड़ भी जारी किए। परियोजना पर होने वाला शेष व्यय न.दि.न.प. द्वारा अपने संसाधनों से किया गया।

मई 2008 में ई.आई.एल. के साथ हुए तैयारशुदा परामर्श समझौते के अनुसार परियोजना को नवंबर 2010 तक पूर्ण किया जाना था। परियोजना का अंतिम उत्तरदायित्व न.दि.न.प. के अभियांत्रिकी विभाग का था। जिसे विभाग के अभियंता प्रमुख के सुपरविजन में कार्यान्वयन किया जाना था। न.दि.न.प. के अधिकारियों से गठित एक परियोजना समन्वय समिति (प.स.स.) 14 मई 2008 को बनाई गई जिसका कार्य परियोजना की प्रगति की निगरानी और कार्यान्वयन के दौरान, आवश्यकतानुसार निर्णय देना था। इसके बाद ई.आई.एल. ने प.स.स. के अनुमोदन से अप्रैल 2009 और जुलाई 2012 के बीच विभिन्न ठेकेदारों को 15 ठेके सौंपे जिनकी कुल संविदागत लागत ₹ 462.12 करोड़ थी और कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथियाँ 05 अप्रैल 2010 से 10 नवंबर 2013 के बीच थीं। ये ठेके वास्तव में अप्रैल 2010 से मार्च 2014 के बीच निष्पादित किए गए।

चूंकि ई.आई.एल. द्वारा डी.पी.आर. में शामिल कुछ मुख्य मदों¹ को अंतिम रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया, परिषद ने परियोजना के कार्यक्षेत्र को कम कर दिया और व्यय संस्वीकृति को जून 2012 में ₹ 615.20 करोड़ से संशोधित कर ₹ 477.02 करोड़ कर दिए। मार्च 2016 तक न.दि.न.प. ने 'ई.आई.एल.-सी.पी. परियोजना लेखा' में ₹ 423.77 करोड़ हस्तांतरित कर दिए थे। ई.आई.एल. ने अप्रैल 2016 तक ठेकेदारों को ₹ 387.05 करोड़ का भुगतान किया था। यद्यपि ई.आई.एल. ने कार्यस्थल से अपना श्रमबल दिसंबर 2014 में हटा लिया था, परियोजना के पूरा होने की औपचारिक घोषणा अभी की जानी थी और लेखों का समायोजन भी शेष था (मार्च 2016)।

परियोजना के प्रथम लेखापरीक्षा मूल्यांकन में केन्द्र सरकार (सिविल) से संबंधित 19 वें राष्ट्रमंडल खेलों पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (2011–12 की संख्या 6) में शामिल किया गया जिसमें परियोजना की समाप्ति में अनावश्यक देरी, कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन, अनुचित परियोजना नियोजन और ठेका प्रबंधन को दर्शाया गया था। इन निष्कर्षों को रा.रा.क्षे.दि.स. से संबंधित मार्च 2011 में समाप्त वर्ष के लिए भारत के

¹डी.एम.आर.सी. वॉमिटरी (₹ 5.60 करोड़), बागवानी (₹ 2.24 करोड़), भूमिगत पार्किंग में सीसीटीवी/ पीए सिस्टम (₹ 6.72 करोड़), भूमिगत पार्किंग (₹ 111.99 करोड़), रेट्रोफिटिंग (₹ 5.60 करोड़)

नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में अतिरिक्त व्यय की अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों सहित पुनः प्रकाशित किया था। इन प्रतिवेदनों पर कार्वाई नोट जनवरी 2016 तक रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। परियोजना का वर्तमान लेखापरीक्षा मूल्यांकन, परियोजना लक्ष्यों की प्राप्ति तथा लागू नियमों के अनुपालक के स्तर और वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए किया गया।

2.1.1 योजना व तैयारी

उचित योजना व तैयारी, प्रभावी तथा सामयिक कार्यान्वयन हेतु एक पूर्व आवश्यकता है। यह उस परियोजना में अत्यावश्यक है जिसमें अनेक अंशधारक/एजेंसियाँ हों और एक शहरी क्षेत्र के व्यस्त वाणिज्यिक केंद्र में निष्पादन हो रहा हो। प्रभावी योजना हेतु व्यवहारिक संकल्पना और परियोजना के निष्पादन हेतु आवश्यक सभी घटकों का निर्धारण शामिल है जैसे कार्यस्थल की पहचान और उपलब्धता, अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का आवंटन, ठेकों को समय पर पूरा करना और किए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सामयिकता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निगरानी। व्यवहारिक संकल्पना तथा योजना की कमियां कथित पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के स्तर में प्रदर्शित होती हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना की उपलब्धियाँ मूलतः यथानिर्धारित स्थापित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं थीं जैसा कि नीचे तालिका—2.1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका—2.1.1: परियोजना लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

क्र. सं.	प्राथमिक लक्ष्य	निष्पादित किये जाने वाली कार्य की मद	निष्पादित किया गया / नहीं किया गया	कार्य की स्थिति
1.	भवनों के हैरिटेज स्वरूप तथा संगठनात्मक स्थिरता का संरक्षण	भवनों में बाह्य, मध्य तथा अंतःमध्य सर्कलों में भवनों के अग्रभाग का पुनरुद्धार	₹ 40.02 करोड़ के व्यय पर केवल बाह्य, अंतरिक सर्कलों में अग्रभाग का पुनरुद्धार किया गया। मध्य सर्कल में यह कार्य नहीं किया गया।	अगस्त 2010 में, प.स.स. ने ई.आई.एल. से कहा था कि मध्य सर्कल के लिए एक योजना अग्रेषित करें जिसे रा.मं.खे. 2010 के बाद आरंभ किया जाना था। प.स.स. ने यह मामला नवंबर 2010 और मार्च 2010 की अपनी बैठक में भी उठाया। तथापि इस पर कोई प्रगति नहीं हुई।
2.	अग्रभाग के कॉरिडोरों में फर्श लगाना	सी.पी. के अग्रभाग के कॉरिडोरों में मौलिक वास्तुशिल्प से मेल खाने वाले बलुआ पत्थर के समज्यमित्य फर्श लगाना, जैसा डी.यू.ए.सी. द्वारा प्रस्तावित था	ई.आई.एल. ने इस कार्य को तीन ठेकों में शामिल किया, लेकिन इसे निष्पादित नहीं किया गया।	कार्य की इस मद के गैर-निष्पादन के लिए लेखापरीक्षा को कोई कारण नहीं बताए गए।

3.	भवनों के संरचनागत स्थायित्व का निर्धारण	ई.आई.एल. को भवनों के संरचनागत स्थायित्व के अध्ययन के लिए एक विशेष एजेंसी की नियुक्ति तथा सिफारिशें/सुझाव न.दि.न.प. को अग्रेषित करने थे। भवन मालिकों द्वारा सीधे सुधारात्मक उपाय भवन के मालिकों द्वारा स्वयं किए जाने थे।	न.दि.न.प. को ई.आई.एल. से वांछित संरचनागत स्थायित्व अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया और भवन मालिकों को उनके भवनों के स्थायित्व की स्थिति नहीं बताई गई।	लेखापरीक्षा को कार्य की इस मद के गैर-निष्पादन के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
4.	वाहन ट्रैफिक की निर्वाध आवाजाही और पैदल यात्रियों की सुरक्षा	बाहरी सर्कल पर ट्रैफिक के अवाधित सिग्नल मुक्त आवाजाही तथा पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ता प्रदान करने के लिए आठ सबवेज का निर्माण तथा विद्यमान पाँच भूमिगत पार सबवेज की पुनः मॉडलिंग करके अतिरिक्त प्रवेश द्वारों को बाहरी सर्कल के साथ जोड़ना।	ई.आई.एल. ने यह कार्य नवम्बर 2009 में ₹ 56.05 करोड़ की लागत पर सौंपा। मात्र दो सबवेज पूर्ण हो पाए और तीन विद्यमान सबवेज को ₹ 22.31 करोड़ की लागत पर पुनर्निर्मित किया गया। अन्य दो नए भूमिगत सबवेज को शुरू कर ₹ 3.21 करोड़ का व्यय कर के परिचायग दिया गया।	इसके कारण दस्तावेजों में नहीं पाये गये पी.सी.सी. ने बाकी रहे सबवेज के मामले ई.आई.एल. के साथ कभी नहीं उठाए। परित्यक्त भूमिगत सबवेज पर ₹ 3.21 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।
5.	सड़कों की गुणवत्ता और टिकाऊपन में सुधार	बाहरी, आंतरिक और रेडियल सड़कों का सीमेंट कंक्रीट और मध्य सर्कल की सड़क का ग्रेनाइट कंकड़ों से ₹ 12.56 करोड़ की लागत पर पुनर्निर्माण	बाहरी सर्कल, आंतरिक सर्कल और रेडियल सड़कों पर विटुमिनस कंक्रीट की परत पुनः बिछाने का कार्य अतिरिक्त मद या अन्य चालू परियोजना के माध्यम से मात्रा में विचलन के रूप में किया गया। मध्य सर्कल को सीमेंट कंक्रीट से पुनर्निर्मित किया गया।	तैयारशुदा समझौते की शर्तों के अंतर्गत सभी सांविधिक अनुज्ञाप्तियाँ ई.आई.एल. द्वारा प्राप्त की जानी थीं और सरकारी निकायों से अपेक्षित सहायता न.दि.न.प. द्वारा प्रदान की जानी थी। इसलिए यह ई.आई.एल. और न.दि.न.प. दोनों का उत्तरदायित्व था कि वे अपेक्षित अनुज्ञाप्तियाँ प्राप्त करें। यह कार्य वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति प्राप्त करने में विलंब के कारण रुक गया। आवश्यक अनुज्ञाप्ति को प्राप्त करने तथा कार्य आदेशों की निर्मुक्ति में देरी के कारण और रा.मं.खे. 2010 में होने वाले साईकिलिंग इवेंट के कारण न.दि.न.प. के पास विटुमिन की सड़क बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

6.	पैदल यात्रियों का आवागमन सुगम करने और लोगों को सबवेज के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भूमिगत पार पथों में स्वचालित सीढ़ियाँ लगाना	नए और वर्तमान सबवेज में ₹ 80 करोड़ की लागत पर 64 स्वचालित सीढ़ियाँ लगाना। सभी भूमिगत सबवेज पर छत बनानी थी।	ई.आई.एल. ने 58 स्वचालित सीढ़ियों का निर्माण कार्य ₹ 29.24 करोड़ की लागत पर, छत लगाने के प्रावधान के बिना सौंपा गया। ₹ 11.17 करोड़ की लागत पर केवल 22 स्वचालित सीढ़ियाँ लगाई गयी परन्तु किसी पर भी छत नहीं बनाई गई। जिसमें से 14 गैर-कार्यशील (18 मार्च 2015) थीं क्योंकि उनके कीमती पुर्जे चोरी हो गए थे।	36 स्वचालित सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई। इसके अतिरिक्त, 22 बनाई गई में से, 14 गैर-कार्यशील पड़ी थीं। इस प्रकार, मूल रूप से बताई गई 58 स्वचालित सीढ़ियों में से केवल 8 ही वास्तविक रूप से कार्यशील थीं तथा पैदलयात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई थी।
7.	पार्किंग सुविधाओं में वृद्धि	₹ 112 करोड़ की लागत पर आंतरिक सर्कल के नीचे 2200 समान कार स्थान (ई.सी.एस.) की क्षमता रखने वाली द्विस्तरीय भूमिगत पार्किंग का निर्माण	यह आरम्भ में कार्यों के निष्पादन हेतु नहीं किया गया। न.दि.न.प. ने 25 जून 2012 को कार्यक्षेत्र से पार्किंग की सुविधा को हटा दिया।	प.स.स. ने ई.आई.एल. को आन्तरिक सर्कल में स्वचालित भूमिगत पार्किंग के लिए प्रस्तुतिकरण देने के लिए कहा (दिसम्बर 2008) जब ई.आई.एल. को नई पार्किंग की व्यवहार्यता प्रस्तुत किए जाने को कहा, ई.आई.एल. ने 4 मार्च 2010 को अर्द्ध-स्वचालित पार्किंग की संकल्पना प्रस्तुत की, प.स.स. ने पार्किंग परियोजना को अगले चरण तक स्थगित कर दिया। इस प्रकार कनॉट प्लेस में भूमिगत पार्किंग सुविधा का निर्माण नहीं किया गया जो भीड़ भाड़ को कम कर देता।
8.	वर्षा जल एकत्रण प्रणाली	कनॉट प्लेस में भूमिगत जल पुनः चार्ज प्रयोजन किए जाने के लिए छतों, केन्द्रीय पार्क तथा पैदलयात्री प्लाजा से बहते हुए जल को उपयोग में लाने हेतु ₹ 60.82 लाख की लागत पर वर्षा जल एकत्रण प्रणाली का निर्माण।	प्रस्तावित प्रणाली को नहीं किया गया।	ई.आई.एल. ने स्थल उपलब्धता की कमी को इस कार्य के न होने का कारण बताया (मई 2015) जो उनकी त्रुटिपूर्ण योजना तथा संकल्पना को दर्शाता है।

जैसा कि उपरोक्त साक्ष्य है कि कनॉट प्लेस के हैरिटेज स्वरूप का पुनःस्थापन, संरचनात्मक स्थायित्व की सुनिश्चितता तथा ट्रैफिक की सुगमता व पैदलयात्रियों की आवाजाही के मुख्य

लक्ष्यों में से किसी की भी प्राप्ति नहीं हुई। इसके लिए वास्तविक योजना में कमी उत्तरदायी है। जैसा कि कार्यक्षेत्र में भारी कटौती कर मूल डी.पी.आर. को ₹ 615.20 करोड़ से ₹ 477.02 करोड़ किए जाने तथा कार्य के निष्पादन में देरी से परिलक्षित होता है।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि:

(i) ई.आई.एल. कम्पनी ने ₹ 2.83 करोड़ की लागत पर पी-ब्लॉक मे मद्रास होटल के पीछे 200 मीटर लम्बी भूमिगत फीडर कॉरिडोर का निर्माण पॉवर केबल, वॉटर मेन्स तथा अन्य उपयोगी सेवाओं के रखने के लिए सेवा कॉरिडोर नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में किया। तथापि, यह फीडर कॉरिडोर मेन टनल से अथवा किसी अन्य सेवा टनल से नहीं जोड़ी गई तथा बेकार पड़ी हुई थीं। ई.आई.एल. ने (मई 2015) बताया कि फीडर कॉरिडोर को पूरा नहीं किया जा सका था क्योंकि न.दि.न.प. निर्माण स्थल पर अतिक्रमण तथा तहबाजारी के मामले को नहीं सुलझा सका था। न.दि.न.प. द्वारा ई.आई.एल. को बाधा मुक्त क्षेत्र मुहैया कराने की विफलता के फलस्वरूप ₹ 2.83 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(ii) अनुमोदित योजना के अनुसार, एक भूमिगत सर्विस ट्रेंच इलैक्ट्रिक केबल्स तथा अन्य उपयोगी सेवाओं को बिछाने के लिए बाह्य सर्कल के साथ निर्मित की जानी थी। यह देखा गया कि 2,317 मीटर में से केवल 1,000 मीटर की ट्रेंच का निर्माण ₹ 1.40 करोड़ की लागत पर किया गया क्योंकि न.दि.न.प. ने ई.आई.एल. को कार्य स्थल मुहैया नहीं कराया था। अधूरी ट्रेंच बेकार पड़ी रहने के कारण ₹ 1.40 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

तैयार शुदा करार के अंतर्गत न.दि.न.प. का यह दायित्व था कि वह ई.आई.एल. को कार्य के निष्पादन के लिए सभी बाधाएँ हटा कर तथा बाधा मुक्त भूमि मुहैया कराए। इस प्रकार, न.दि.न.प. की ई.आई.एल. को बाधा मुक्त स्थल के साथ-साथ अतिक्रमण मुक्त स्थल मुहैया कराने में असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.23 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

2.1.2 सतह विकास योजना

सतह विकास योजना, जो कि परिषद द्वारा अनुमोदित की गई थी, में परिवेशीय सुधार, भू-दृश्य में बढ़ोतरी, जन सुविधाओं को उन्नतशील बनाए जाने तथा पर्याप्त प्रकाश के लिए व्यवस्था किया जाना समिलित था। ई.आई.एल. ने 11 मार्च 2010 को एक ठेकेदार को यह कार्य 10 अक्टूबर 2010 तक पूर्ण किए जाने की अनुबंधित तिथि के साथ सौंपा। वास्तव में कार्य 15 मार्च 2013 को पूरा किया गया। ठेकों में

सम्मिलित मदों तथा वास्तविक निष्पादन के ब्यौरे नीचे **तालिका 2.1.2** में दिए गए हैं:

तालिका 2.1.2: जन उपयोग की ठेका मदों का गैर/कम निष्पादन

क्र.सं.	कार्य की मद	निर्माण की जाने वाली / लगाई जाने वाली संख्या	वास्तविक रूप से निर्मित/लगाई गई	कमी (%)
1.	नए शौचालय	34	11	63
2.	कियोस्क	36	शून्य	100
3.	स्ट्रीट लाईट	267	116	57
4.	हाई मास्ट लाईट	10	शून्य	100
5.	कूड़ेदान	214	60	72
6.	गार्डन लाईट	1449	154	89
7.	स्ट्रीट फर्नीचर	300	शून्य	100
8.	पेयजल खोत	संख्या निर्दिष्ट नहीं है	शून्य	100
9.	खेलकूद उपकरण	—वही—	शून्य	100
10.	पालिक बाजार और पालिका पार्किंग के टेरेस पर बाग बनाने के साथ—साथ दोनों को जोड़ने वाले दो फुट ओवरब्रिज का विकास	02	निर्मित नहीं	100
11.	सी.पी. का एक भव्य दृश्य प्रदान करने वाला 15 मी. ऊँचा प्लेटफार्म	01	निर्मित नहीं	100

यदि कार्यमदों में कमी को संख्याओं में प्रदर्शित किया जाए तो यह कमी की प्रतिशतता 57 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच थी। ठेका मदों के कम निष्पादन के कारण न तो दर्ज किए गए और न ही प.स.स. ने ई.आई.एल. से इसकी चर्चा की। जन उपयोगिता की ठेका मदों के गैर/कम निष्पादन से सामान्य जन सी.पी. में सुधरी हुई नागरिक सुविधाओं से और अच्छे परिवेश से, जिनकी अनुमोदित डी.पी.आर. में संकल्पना की गई थी, वंचित हो गए।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि:

- ई.आई.एल. ने आंतरिक सर्कल, बाहरी सर्कल के अन्दर के तरफ तथा रेडियल सड़कों के साथ पौधों की क्यारियों के निर्माण पर तथा उपयुक्त मिट्टी एवं इन पौधों की क्यारियों में खाद का प्रबंध करने के लिए ₹ 1.27 करोड़ खर्च किये। हालाँकि, यह पाया गया था कि बाहरी सर्कल के आंतरिक किनारे पर पौधे की क्यारी मौजूद नहीं थी। न.दि.न.प. ने सूचित किया (अप्रैल 2015) कि बाहरी सर्कल के अन्दर की तरफ

पौधों की क्यारियाँ बनाने से यात्रियों के लिए समस्या उत्पन्न हो रही थी और इन्हीं पौधों की क्यारियों पर वाहन खड़े किए जा रहे थे। बाद में इस जगह को पत्थर की पट्टियों से कवर कर दिया गया था। इस प्रकार, एक अनुपयुक्त स्थान पर पौधों की क्यारियों के निर्माण के परिणामस्वरूप क्यारी निर्माण पर खर्च किये गये कुल ₹ 1.27 करोड़ में से ₹ 60 लाख का निरर्थक व्यय हुआ जोकि बाहरी सर्कल के अंदर की तरफ पौधे की क्यारियाँ बनाने पर हुआ।

- (ii) इसी प्रकार, आंतरिक सर्कल के भीतर घास, घास जाल और अन्य सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन पर ₹ 64.73 लाख का व्यय किया गया था। बाद में ई.आई.एल. ने नई दिल्ली व्यापारी समिति (एन.डी.टी.ए.) द्वारा उठाए गए विरोध के कारण इन मदों को विघटित कर दिया जिससे व्यय निष्फल हो गया।
- (iii) ई.आई.एल. ने सी.पी. में ₹ 31 लाख रूपये के मूल्य की 581 बोलार्ड लाइटें लगाई। क्योंकि कुछ लाइटें चोरी हो गई थीं, ई.आई.एल. ने बाकी बची लाइटों को हटा दिया तथा उन्हें न.दि.न.प को सौंप दिया जहाँ उसे गोदाम में रख दिया गया था। इस प्रकार स्थान के लिए इनकी उपयुक्तता को सुनिश्चित किये बिना इन लाइटों का प्रावधान करने के परिणामस्वरूप ₹ 31 लाख रूपये का निरर्थक व्यय हुआ।
- (iv) डी.यू.ए.सी. ने अग्रभाग के कॉरिडोरों में प्रस्तावित ग्रेनाइट फर्श के स्थान पर बलुई पत्थर के उपयोग का अनुमोदन किया था। जबकि, ई.आई.एल. ने ग्रेनाइट पत्थर की शिलाओं का उपयोग किया। इसके परिणाम में ₹ 2.69 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ क्योंकि ग्रेनाइट पत्थर बलुई पत्थर से महँगा होता है। बलुई पत्थर के स्थान पर ग्रेनाइट के उपयोग हेतु कोई कारण रिकार्ड में नहीं पाए गए थे।
- (v) 16 दिसम्बर 2011 को न.दि.न.प. के सचिव के साथ आयोजित एक बैठक में यह निर्णय किया गया कि अग्रभाग की लाईटिंग का कार्य इस प्रकार होना चाहिए कि भविष्य में उनके रख—रखाव की समस्या से बचा जा सकें। ई.आई.एल. ने अग्रभाग के लाईटिंग कार्य के लिए ₹ 3.29 करोड़ की लागत पर दो ठेके सौंपे। न.दि.न.प. और ई.आई.एल. के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान, यह पाया गया कि फलोर में लगाई गई एल.ई.डी. लाइटें और ऊपरी जालियों पर एल.ई.डी. पट्टीयाँ या तो स्थान पर नहीं थीं या अधिकतर खण्डों में टूटी हुई थीं, बिजली के तार स्थान पर नहीं थे तथा प्रणाली निष्क्रिय हो चुकी थी। ई.आई.एल. ने कहा (मई 2015) कि आंतरिक सर्कल में अग्रभाग लाईटिंग कार्य को पूर्ण करके उसे न.दि.न.प. को सौंप दिया गया (फरवरी 2014) जिसका उन्होंने अनुरक्षण नहीं किया।
- (vi) सतह विकास के कार्य के लिये ठेके में सिंटूरी लाल रंग के ग्रेनाइट कर्बस या इसके समतुल्य क्रमशः ₹ 43000 और ₹ 54000 प्रति घन मीटर की दो मदें थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि ई.आई.एल. ने इन मदों को अतिरिक्त मदों के रूप में माना तथा 68,981 प्रति घन मीटर की दर से ₹ 1.99 करोड़ का भुगतान किया। अनुबंधित दर के अनुसार इस मद की लागत ₹ 1.30 करोड़ परिकलित की गई जिसके

परिणामस्वरूप ₹ 69 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। ई.आई.एल. ने (मई 2015) कहा कि सिंदूरी लाल पथर के स्थान पर राजश्री लाल ग्रेनाइट पथर न.दि.न.प. द्वारा निर्देशित किये जाने पर लगाया गया था। तथापि, ई.आई.एल. ने इस दावे के समर्थन में लिखित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए तथा साथ ही ठेका सौंपने के बाद विनिर्देशन में परिवर्तन किये जाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया।

इस प्रकार योजना और कार्यान्वयन में कमियों के परिणामस्वरूप ₹ 4.85 करोड़ के निष्फल व्यय के साथ-साथ ₹ 3.38 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

2.1.3 जल आपूर्ति प्रणाली

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि:

- (i) सी.पी. में अंशतः कर जल आपूर्ति किये जाने की समस्या को दूर करने तथा 24x7 जल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, परिषद ने 2700 कि.ली. क्षमता के एक नवीन भूमिगत जल टंकी के निर्माण तथा एक नवीन जल आपूर्ति नेटवर्क बिछाने की मंजूरी दी। प्रस्तावित जल टंकी को जल शोधन के लिये भी उपयोग किया जाना था तथा पालिका बाजार और पालिका पार्किंग को भी जल आपूर्ति की जानी थी। अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ई.आई.एल. ने एक नवीन जल आपूर्ति नेटवर्क बिछाने पर ₹ 3.16 करोड़ का व्यय किया। तथापि, प्रस्तावित भूमिगत जल टंकी का निर्माण नहीं हो सका क्योंकि भूमिगत जल टंकी के लिए प्रारम्भिक चिन्हित भूमि उचित नहीं पाई गई तथा न.दि.न.प. इसके लिए कोई वैकल्पिक भू-स्थल का प्रबंध करने में विफल रहा। नया नेटवर्क इस प्रकार पहले से मौजूद भूमिगत पुरानी जल टंकी से जोड़ दिया गया तथा सी.पी., पालिका बाजार और पालिका पार्किंग में 24x7 जल आपूर्ति का लक्ष्य अप्राप्य रह गया।
- (ii) परिषद ने सी.पी. में हरित स्थानों के रख-रखाव के लिये एक सिंचाई प्रणाली के लिये ₹ 1.28 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ई.आई.एल. ने नवम्बर 2009 से दिसम्बर 2012 के दौरान दो ठेकों पर भूमिगत वितरण लाईनों और गार्डन हाइड्रेन्ट वाली एक सिंचाई प्रणाली का प्रबंध करने के लिए ₹ 2.44 करोड़ का व्यय किया। तथापि यह नवनिर्मित सिंचाई प्रणाली किसी जल के स्रोत से नहीं जोड़ी गई थी तथा बेकार पड़ी थी। ई.आई.एल. ने (मई 2015) सूचित किया कि न.दि.न.प. द्वारा जल टंकी और जल स्रोत के संबंध में निर्णय को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इस प्रकार, जल स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना नवीन सिंचाई प्रणाली बिछाने में ₹ 2.44 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परामर्श करार के अंतर्गत कार्यों के लिए आवश्यक भूमि प्रदान कराने का उत्तरदायित्व न.दि.न.प. का था। इसके अतिरिक्त, कार्यों के निष्पादन के सामान्य नियम जो कि न.दि.न.प. द्वारा अपनाये गये सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्य मैनुअल के अनुबन्धों के

अनुसार, आवश्यक है कि कार्य प्रारम्भ किये जाने से पहले बाधारहित रथल सुनिश्चित होना चाहिए। न.दि.न.प. और ई.आई.एल. की कार्य के प्रारम्भ से पहले जल आपूर्ति नेटवर्क के लिये आवश्यक सभी घटकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 5.60 करोड़ का निष्कल व्यय हुआ।

2.1.4 अग्निशमन प्रणाली

परिषद ने अग्निशमन प्रणाली के लिये ₹ 9.50 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी। इसके विरुद्ध ई.आई.एल. ने भूमिगत जल टंकी और अग्नि उपकरण को लेकर एक नवीन प्रणाली पर ₹ 4.97 करोड़ का व्यय किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- (i) 129 हाइड्रेन्ट बॉक्स पूरे सीपी के अग्नि हाइड्रेन्ट्स के समीप स्थापित किये गये थे। इनमें से सभी क्षतिग्रस्त और बेकार हो गये थे क्योंकि उनके दरवाजे चोरी हो गए थे। फलस्वरूप, अग्नि संकटकाल के समय में उपयोग के लिये आवश्यक अग्निशमन उपकरण जो प्रत्येक हाइड्रेन्ट बॉक्स में रखे जाने चाहिए थे (अर्थात् 15 मी. वाली छ: हौज पाइप एवं अग्नि कुल्हाड़ी तथा अन्य उपकरण), इन बॉक्सों में नहीं रखे गये थे, जबकि इन मदों की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा कर दी गई थी।



खाली तथा नष्ट फायर हाइड्रेन्ट बॉक्स

- (ii) अग्नि की स्टीक स्थिति का पता लगाने के लिये अग्नि हाइड्रेन्ट्स प्रवाह स्विचों के साथ—साथ केन्द्रीय नियंत्रक कक्ष से इन प्रवाह स्विचों तक नियंत्रक विद्युत तार का प्रबंध होना चाहिए था। हालाँकि न तो नियंत्रक कक्ष स्थापित किया गया था, न ही प्रवाह स्विच, नियंत्रक विद्युत तार और सांकेतिक पैनल का प्रबंध किया गया।
- (iii) अग्नि संकटकाल में अग्नि हाइड्रेन्ट संचालन के लिए एकल शीर्ष प्रकार के हाइड्रेन्ट वाल्व प्रत्येक हाइड्रेन्ट बॉक्स में लगाए जाने चाहिए थे। इन वाल्वों को भूमिगत चैम्बर्स में लगाया गया, जोकि यांत्रिक ताले से युक्त ढक्कन से ढक कर बंद किये गये थे। भूमिगत चैम्बर वाल्व के कवर को हटाने के लिए कोई मशीन या यंत्र हाइड्रेन्ट बक्से में प्रदान नहीं किया गया था। इस प्रकार, अग्नि संकट के मामले में इन वाल्वों के संचालन की सम्भावना समस्यात्मक थी। इसके अतिरिक्त समान प्रकार के ढक्कनों से बन्द अन्य सेवाएँ जैसे दूरसंचार, जल, बिजली, सीवेज इत्यादि के लिए विभिन्न चैम्बर्स प्रत्येक हाइड्रेन्ट के आस—पास स्थित थे। चूंकि अग्नि संकट के मामले में प्रणाली को संचालन हेतु बनाने के लिए वाल्व वाले चैम्बर्स को स्पष्ट रूप से विनिहित

नहीं किया गया है, वाल्व के संचालन हेतु ढक्कन को हटाने के लिए उसका पता लगाना मुश्किल था।

अतः ₹ 4.97 करोड़ के व्यय के बावजूद अग्निशमन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिये कार्यों की क्षमता स्थापित नहीं की गई।

2.1.5 मध्य सर्कल में सर्विस टनल का निर्माण

न.दि.न.प. द्वारा भविष्य में पाइपों और तारों के प्रतिस्थापन के लिए उत्खनन से बचने के विचार से ट्रंक जल लाइनों, दूरसंचार तारों, सिंचाई पाइपलाइन, आई.जी.एल. पाइपलाइनों, पॉवर तारों और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए ओपन कट तकनीक के द्वारा मध्य सर्कल के नीचे 23 फीट ऊँचाई और 22 फीट चौड़ाई के साथ भूमिगत सर्विस टनल (कोरिडोर) के निर्माण के लिए ₹ 71.21 करोड़ का व्यय प्रदान करने के लिए डी.पी.आर. की मंजूरी दी गई। इसने साथ ही सी.पी. में बिजली, जल, जल निकास और सीवेज प्रणाली के सुधार के लिये ₹ 70.93 करोड़ के व्यय का भी प्रावधान किया। इन कार्यों को करने के लिये ₹ 142.14 करोड़ की सकल राशि अनुमोदित की गई थी।

ई.आई.एल. ने जून 2009 में इन दोनों कार्यों के लिये एक निविदा आमंत्रित की। निविदा पूर्व बैठक (जून 2009) के बाद एक ठेकेदार के अनुग्रह पर, ई.आई.एल. ने 'ओपन कट टैक्नोलॉजी' को महँगी 'डायाफ्राम वॉल टैक्नोलॉजी' से बदल दिया। नवम्बर 2009 में एक संयुक्त कार्य (सर्विस टनल के निर्माण के लिये ₹ 157.85 करोड़ तथा बिजली, जल, निकासी और सीवेज प्रणाली के सुधार के लिये ₹ 78.85 करोड़) ₹ 236.70 करोड़ की लागत पर प्रदान किया गया।

मई 2015 तक, ई.आई.एल. ने सर्विस टनल के निर्माण पर ₹ 180.48 करोड़ का व्यय तथा टनल परिचालन और इसे कार्यशील बनाने के लिये आवश्यक उपकरणों पर ₹ 12.47 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया था जो परिषद द्वारा स्वीकृत राशि का हिस्सा नहीं था। इस प्रकार ई.आई.एल. ने तकनीक में परिवर्तन और अनुमोदित न की गई मदों के निष्पादन के कारण सर्विस टनल पर ₹ 71.21 करोड़ के आवंटन तथा ₹ 157.85 करोड़ की संविदा राशि के प्रति ₹ 192.95 करोड़ का व्यय किया। लागत में 171 प्रतिशत की बहुत बड़ी वृद्धि के बावजूद संशोधित अनुमान के लिये तथा तकनीक में परिवर्तन के लिए परिषद का न तो पहले और न ही कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि, सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्य मैनुअल का खण्ड 2.3.4 अनुबन्धित करता है कि मूल योजना से विचलन, जिससे मूल संस्थीकृति कार्यक्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए, को उस प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं करना चाहिए जिससे प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त की गई थी, चाहे उसकी लागत अन्य मदों पर बचत करके पूरी की जा सकती हो। इसके अतिरिक्त, परामर्श समझौते के तहत भी ई.आई.एल. को तकनीकी,

गुणवता और परिचालन प्रदर्शन के अनुसार पैसे की उचित कीमत प्राप्त करने के लिये डिजाइन, लागत और कार्यक्रम के संदर्भ में समय—समय पर न.दि.न.प. को अवगत कराना था। इसके अतिरिक्त, कार्यों के निष्पादन के किसी भी स्तर पर यदि यह महसूस किया गया हो कि कार्य न.दि.न.प. द्वारा पहले से स्वीकृत वैचारिक/पुनर्विकास योजना के अनुसार नहीं चल रहा है, तो परिषद के पास ई.आई.एल. पर अनिवार्य सुधारात्मक उपाय और निर्णय के लिये हस्तक्षेप करने का अधिकार था जोकि ई.आई.एल. के लिए बाध्य थे। लागत में शामिल उच्च वृद्धि को देखते हुए, ई.आई.एल. द्वारा डायाग्राफ वॉल तकनीकी को अपनाने के लिए, कार्य के निष्पादन से पहले उसे स्वीकृति हेतु न.दि.न.प. को भेजा जाना चाहिए था।

2.1.6 निष्कर्ष

योजना का सर्वसमावशक उद्देश्य, सी.पी. के वास्तुशिल्पीय तथा हैरिटेज स्वरूप का पुनरुद्धार करने के साथ ही ट्रैफिक तथा पैदलयात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इस प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र में पर्यटकों की अनुभूति तथा अनुभवों में सुधार करना था। इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था। जैसाकि परियोजना के कार्यक्षेत्र को डी.पी.आर. में निहित ₹ 615.20 करोड़ में भारी कटौती कर ₹ 477.02 करोड़ कर दिया गया। कार्य के निष्पादन में चार वर्ष तक की देरी के बावजूद केवल बाह्य व आन्तरिक सर्कलों के अग्रभाग का पुनरुद्धार, के कार्य को पूरा किया गया था जबकि भवनों के संरचनात्मक स्थायित्व की सुनिश्चितता का अध्ययन नहीं किया गया था। सबवेज, स्वचालित सीढ़ियाँ, भूमिगत पार्किंग तथा भू-दृश्य व प्रकाश व्यवस्था में सुधार जैसी सुविधायें जोकि ट्रैफिक तथा पदयात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने तथा पर्यटकों के अनुभवों में सुधार के लिए थी, पूरी नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, ₹ 14.67 करोड़ की व्यय राशि निष्फल रही जबकि कॉरिडोर के फर्श तथा कर्बस लगाए जाने में ₹ 3.38 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। ₹ 4.97 करोड़ की लागत पर अग्निशमक सामर्थयों की वृद्धि की प्रभावोत्पादकता को लेखापरीक्षा में आश्वस्त नहीं किया जा सका था। परियोजना के पूर्ण होने की औपचारिक घोषणा होनी बाकी थी तथा लेखाओं का अंतिम रूप में समायोजन अभी बाकी था (मार्च 2016)।

मामला प्रथमतः सितम्बर 2015 में तथा पुनः मई 2016 में सरकार तथा न.दि.न.प. को भेज दिया गया था, उनके जवाब प्रतीक्षित (16 अगस्त 2016) थे।

सूचना एवं प्रचार निदेशालय

2.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विज्ञापन एवं प्रचार अभियान

रा.रा.क्षे.दि.स. के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि विज्ञापनों तथा प्रचार अभियानों पर ₹ 24.29 करोड़ का व्यय किया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों तथा सार्वजनिक निधि के व्यय को नियन्त्रित करने वाले मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं थे। एक विशेष प्रचार अभियान पर किये गए ₹ 33.40 करोड़ के व्यय का 85 प्रतिशत से अधिक व्यय रा.रा.क्षे. दिल्ली से बाहर प्रकाशित किए गए विज्ञापनों पर था जो रा.रा.क्षे.दि.स के उत्तरदायित्व से परे था। रा.रा.क्षे.दि.स के विज्ञापनों तथा प्रचार अभियानों को चालित करने के लिए एक समर्पित एजेंसी के रूप में 'शब्दार्थ' की स्थापना के परिणाम स्वरूप कोई लागत लाभ नहीं मिला। न तो आवश्यक दृश्यता का कोई पूर्व आकलन था और न ही कोई अभियान पश्चात प्रभाव आकलन था। कमजोर व्यय नियन्त्रणों तथा आन्तरिक नियन्त्रणों ने किए गए व्यय अथवा उत्पन्न दायित्वों की व्यापकता तथा सटीकता के प्रति कोई आश्वासन नहीं दिया।

सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डी.आई.पी.) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के कार्यक्रमों, नीतियों तथा कार्यकलापों की सूचना तथा प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है तथा उसके सभी विभागों की प्रचार आवश्यकताओं की देख-रेख करता है। डी.आई.पी. द्वारा 7 जून 2007 को जारी किए गए समाचार पत्रों/दैनिकी के इम्पैनलमेंट के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी विभागों के अध्यक्षों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) अथवा डी.आई.पी. की निर्धारित दरों पर व्यय संरक्षित किए जाने का पूरा अधिकार था। हालांकि डी.आई.पी. के विशेष दरों जैसे वाणिज्य दरों पर विज्ञापनों के लिए व्यय करने हेतु उन्हें माननीय मुख्यमंत्री अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन लेना पड़ता है तथा उसके पश्चात वित्त विभाग की वित्तीय सहमति प्राप्त करनी पड़ती है। दिशानिर्देश विद्यमान अनुदेशों की पुनरावृत्ति करते हैं कि सभी क्रियटिवज प्रिंट तथा आउटडोर मीडिया तथा रेडियो जिंगल अथवा टी.वी. लोकप्रसिद्धियों को प्रसारित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। डी.आई.पी. ने 30 मार्च 2015 को निर्देश जारी किए कि डिजाईनों को सूचना एवं प्रचार निदेशक अथवा प्रधान सचिव (जन सम्पर्क) के माध्यम से उपमुख्यमंत्री को प्रस्तुत करना आवश्यक है। जून 2015 में दिल्ली सरकार ने सोसायटिज़ पंजीकरण अधिनियम, 1860, के अन्तर्गत 'शब्दार्थ' के रूप में एक सोसायटी की स्थापना की जो एक विज्ञापन एजेंसी बनी और, सभी सरकारी विज्ञापनों को उसके माध्यम से कराया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 13 मई 2015 के निर्णय में किसी निहित सार्वजनिक हित के बिना विज्ञापन के लिए सार्वजनिक निधियों के मनमाने ढंग से उपयोग को रोकने की दृष्टि से 'सरकारी विज्ञापन के विषय नियमन पर दिशानिर्देशों' को अनुमोदित किया। शीष

न्यायालय ने विषय नियमन के पाँच सिद्धांतों को पारित किया जैसे (क) विज्ञापन अभियान सरकारी दायित्वों से सम्बन्धित होने चाहिए, (ख) विज्ञापन सामग्री को विषयपरक, स्पष्ट तथा सुलभ तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए, (ग) विज्ञापन सामग्री वस्तुपरक होनी चाहिए तथा सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक हितों को बढ़ावा नहीं देने वाली होनी चाहिए (घ) विज्ञापन अभियान न्यायोचित होने चाहिए तथा निपुण तथा लागत प्रभावी तरीके से किए जाने चाहिए, और (ङ) सरकारी विज्ञापन को कानूनी आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमनों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार संघ के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/एजेंसियों को 20 मई 2015 को अनुपालना के लिए निर्णय के सभी पहलुओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने के अनुदेश दिए। डी.आई.पी. ने अपनी वेबसाइट पर न्यायालय के निर्णय को अपलोड किया। रा.रा.क्षे.दि.स. ने तदुपरान्त 3 अगस्त 2016 को सभी विभागों/स्वायत्त निकायों/निगमों को संदर्भित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित विषय नियमन पर दिशानिर्देशों को परिचालित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया।

1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2016 की अवधि के दौरान प्रसारित किए गए विज्ञापनों के संबन्ध में डी.आई.पी. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जांच यह सुनिश्चित किए जाने के लिए की गई कि क्या प्रचार तथा विज्ञापनों पर किया गया व्यय वित्तीय औचित्य के सामान्य नियमों के अनुसार मितव्ययी, कुशल तथा प्रभावी रूप से किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.) एवं पाँच अन्य विभागों¹ को लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए प्रसारित किए गए विज्ञापनों की संख्या के आधार पर चयनित किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों तथा सिद्धांतों को किए गए व्यय के निर्धारण तथा मूल्यांकन के लिए निर्देश चिन्ह के रूप में अपनाया था।

2.2.1 बजट तथा व्यय

वर्ष 2013–15 की अवधि के दौरान, डी.आई.पी. ने विज्ञापनों पर व्यय ‘अन्य प्रभार’ शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित बजट जो कि 2013–14 में ₹ 29.66 करोड़ और 2014–15 में ₹ 20.23 करोड़ था, में से पूरा किया। ‘विज्ञापन एवं प्रसार’ शीर्ष के अन्तर्गत कोई आवंटन नहीं था। 2015–16 बजट के लिए, डी.आई.पी. ने ₹ 26.90 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखा, जिसमें ‘अन्य प्रभारों’ के लिए ₹ 20 करोड़ तथा शेष वेतन एवं अन्य आवर्ती व्यय सम्मिलित थे। जबकि डी.आई.पी. को ‘विज्ञापन तथा प्रचार’ शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 500 करोड़ तथा ‘अन्य प्रभारों’ शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 22 करोड़, कुल मिलाकर ₹ 522 करोड़ आवंटित किए थे। बाद में यह आवंटन संशोधित अनुमानों में घटाकर ₹ 100 करोड़ किया गया। 2013–16 के दौरान

¹शिक्षा विभाग, प्रयावरण विभाग, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग।

विज्ञापनों पर बजट (संशोधित अनुमान) तथा व्यय को तालिका 2.2.1 में दिया गया है:

तालिका 2.2.1 : विज्ञापन तथा प्रचार के लिए बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट (संशोधित अनुमान)			व्यय		
	डी.आई.पी.	अन्य विभाग	कुल	डी.आई.पी.	अन्य विभाग	कुल
2013-14	29.66	26.48	56.14	25.25	22.49	47.74
2014-15	20.23	21.65	41.88	11.12	16.31	27.43
2015-16	122.00	12.11	134.11	81.23	उपलब्ध नहीं	

टिप्पणी : 1. आंकड़े 'विज्ञापन तथा प्रचार' शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों के विस्तृत मांग से लिए गए हैं। वास्तविक आंकड़े तालिका में दिखाए गए आंकड़ों से अधिक हो सकते हैं क्योंकि दूसरे विभागों ने अन्य शीर्षों जैसे कार्यालय व्यय, परियोजनाओं, स्कीमों, कार्यक्रमों इत्यादि से भी विज्ञापन व्यय किया था।

2. अन्य विभागों के आंकड़ों में निविदाओं, नोटिसों इत्यादि के प्रसारण पर भी व्यय सम्मिलित है।
3. 2015-16 के लिए डी.आई.पी. के व्यय में निविदा तथा अन्य नोटिसों इत्यादि पर भी व्यय सम्मिलित है।
4. डी.आई.पी. के 2015-16 के सं.अ. में ₹22 करोड़ के अन्य प्रभार सम्मिलित है।

व्यय पंजिकाओं की संवीक्षा से पता चला कि डी.आई.पी. द्वारा ₹ 81.23 करोड़ के व्यय के अतिरिक्त 2015-16 में प्रसारित किए गए विज्ञापनों के लिए 2016-17 में ₹ 20.23 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया जो 2015-16 में प्रकाशित विज्ञापनों के कुल व्यय को ₹ 101.46 करोड़ पर ले आया। डी.आई.पी. ने लेखा परीक्षा को सूचित किया कि 2015-16 के दौरान प्रसारित किए गए द्रश्य-श्रव्य विज्ञापनों के सम्बन्ध में लगभग ₹ 12.75 करोड़ की वचनबद्ध देयता भी थी। डी.आई.पी. द्वारा प्रिंट तथा आउटडोर मीडिया के सम्बन्ध में वचनबद्ध देयता के ब्यौरों को उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि इसके लिए अनुरोध किया गया था। इस प्रकार, 2015-16 के दौरान प्रसारित किए गए विज्ञापनों की वास्तविक लागत ₹ 114.21 करोड़ से ऊपर हो सकती है।

2.2.2 प्रचार सामग्री के विषय

2.2.2.1 प्रचार अभियानों में प्रक्षेपित व्यक्तित्व / दल

सरकारी विज्ञापन के विषय नियमन पर दिशानिर्देश अनुबन्ध करते हैं कि विज्ञापन सामग्री विषयपरक होनी चाहिए और सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने वाली नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुबन्ध है कि सरकारी विज्ञापन राजनीतिक तटस्था वाले

होंगे तथा उन्हें राजनीतिक व्यक्तित्व की प्रशंसा नहीं करनी होगी तथा सत्ता में पार्टी के सकारात्मक प्रभाव अथवा सरकार की आलोचक पार्टियों के नकारात्मक प्रभाव के प्रक्षेपण से बचना होगा। यह भी कहा गया है कि विज्ञापन सामग्री में सरकारी पार्टी के विशेष नाम अथवा राजनीतिक दल का विन्ह, लोगों अथवा झंडे का उल्लेख नहीं होना चाहिए।

विज्ञापनों तथा टेलिविजन किलप्स (अनुलग्नक) की नमूना जांच से निम्नलिखित का पता चला:

- (i) डी.आई.पी. ने ₹ 1.74 करोड़ की लागत पर 16 जून 2015 से सात दिनों की अवधि के लिए 14 समाचार चैनलों में 120 सैकेण्ड के अन्तराल की टी.वी. किलप के प्रसारण को अनुमोदित किया। उसी महीने में, डी.आई.पी. ने शिक्षा बजट में बढ़ोतारी के बारे में सामान्य जनता को सूचित करने, दिल्ली में विधार्थियों के लिए शिक्षा ऋण गारंटी स्कीम, तथा शिक्षा के लिए सरकार की चिंता से सम्बन्धित एक अन्य टी.वी. किलप को अनुमोदित किया। 90 सैकेण्ड्स की अनुमोदित की गई इस टी.वी. किलप को 9 जुलाई 2015 से 1 दिन में 60 स्थानों पर, 7 दिनों की अवधि के लिए 18 समाचार चैनलों पर प्रसारित किया जाना था। इस टी.वी. किलप के प्रसारण की अवधि को 10 दिन बढ़ा कर अर्थात् 25 जुलाई 2015 तक कर दिया गया तथा पिछले अनुमोदित 18 चैनलों में दो चैनल और बढ़ा दिए गए। इस टी.वी. किलप के प्रसारण पर कुल ₹ 5.38 करोड़ का व्यय किया गया था। सरकार के प्रयासों को व्यक्तिगत उपलब्धियों का हवाला देते हुए कई स्थानों पर इन दोनों टी.वी. किलप्स में दिल्ली सरकार का संदर्भ 'केजरीवाल सरकार' तथा विशेषतौर पर 'केजरीवाल' लिया गया।
- (ii) अगस्त तथा सितम्बर 2015 के दौरान, डी.आई.पी. ने 13 क्रिएटिव, विभिन्न स्थानों जैसे बस क्यू शैल्टर, जनोपयोगी/कूड़ेदान, यूनीपोल्स, बिल बोर्ड्स, रेलवे पुलों, मैट्रो रेल के अन्दर, मीडिया स्क्रीन तथा किराया मुक्त स्थलों पर प्रदर्शित करते हुए एक मीडिया अभियान आरम्भ किया। लेखा परीक्षा में पाया गया कि सभी क्रिएटिव्ज में कैपशन लाईन 'केजरीवाल सरकार के छ: महीने' को शामिल किया गया था। 23 एजेंसियों में से केवल तीन एजेंसियों को किए गए भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेखों को लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया गया। इन तीनों एजेंसियों को ₹ 95.51 लाख की राशि की मंजूरी दी गई थी। इस अभियान पर किए गए कुल व्यय की गणना नहीं की जा सकी थी क्योंकि शेष 20 एजेंसियों को किए गए/देय भुगतानों के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
- (iii) सरकार ने 26 राष्ट्रीय समाचार पत्रों तथा 14 राज्यों के 37 क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापियों के प्रकाशन (14,15,16 तथा 17 फरवरी 2016 को प्रत्येक दिन दो फुल पेज) को अनुमोदित (12 फरवरी 2016) किया था। अन्य राज्यों के क्षेत्रीय भाषा चैनलों को शामिल करते हुए 89 टी.वी. चैनलों पर प्रसारण के लिए भी नौ टी.वी. किलप्स के साथ-साथ सात एफ.एम. चैनलों पर प्रसारण के लिए सात रेडियो जिंगल को भी अनुमोदित किया गया था। टी.वी. किलप्स को 15 फरवरी तथा 1 मार्च 2016 के बीच

सात दिन के लिए प्रसारित किया गया तथा रेडियो जिंगल को 13 तथा 19 फरवरी 2016 के बीच प्रसारित किया गया था। अभियान पर ₹ 33.40 करोड़ का कुल व्यय किया गया था। ₹ 15.50 करोड़ के व्यय की नमूना जांच से निम्नलिखित का पता चला:

- (क) 14 फरवरी 2016 को, 30 शहरों से विभिन्न संस्करणों में ‘दैनिक जागरण’ में प्रकाशित विज्ञप्ति में लेख का विषय-वाक्य ‘आम आदमी पार्टी सरकार’ ने शिक्षा के बजट को दुगना कर रचा इतिहास’ दिखाया गया।
- (ख) 14 से 17 फरवरी 2016 को ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ में प्रकाशित की गई विज्ञाप्तियों में दिल्ली सरकार को लगभग निरपवाद रूप से ‘आप सरकार’ अथवा केवल ‘आप’ निर्दिष्ट किया गया था।
- (ग) जम्मू से प्रकाशित एक समाचार पत्र ‘डेली एक्सेलसियर’ में 29 फरवरी तथा 1 मार्च 2016 के पेज का शीर्षक ‘आप सरकार की सफलता का पहला वर्ष’ था।
- (घ) इसी प्रकार फरवरी 2016 में प्रकाशित की गई विज्ञप्ति में केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों पर आलोचनात्मक टिप्पणियां दी गई थी। विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया था कि केन्द्रीय सरकार ने सरकारी मशीनरी एवं एक एजेंसी को अपने द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं को दबाने के लिए, गलत उपयोग किया, जबकि उसी एजेंसी का उपयोग दिल्ली सरकार तथा मुख्यमंत्री के कार्यालय को फसाने के लिए किया।
- (ङ) एक टी.वी. किलप में लोगों के समूह में एक व्यक्ति को झाड़ू घुमाते हुए दिखाया गया जोकि एक राजनीतिक दल का राजनीतिक विन्ह है। जब इसे स्क्रीन पर दिखाया तब हिन्दी में कहा ‘यह है आप की सरकार, पहला साल बेमिसाल’। केवल ‘आप’ शब्द जोकि अंग्रजी में था, को छोड़कर पूरा कैषन (स्लोगन) को हिन्दी में लिखा गया था। इसमें एक जुलूस भी दिखाया गया जिसमें एक बैनर ‘आम आदमी पार्टी’ को दिखा रहा था। ‘आप’ शब्द राजनीतिक दल को पूरी तरह सूचित कर रहा था।
- (च) एक अन्य टी.वी. किलप में, सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार ‘केजरीवाल सरकार’ द्वारा किए जाने के दावे को दिखाया जा रहा था।
- (छ) दो अन्य टी.वी. किलप्स में, दिल्ली सरकार को ‘केजरीवाल सरकार’ निर्दिष्ट किया गया था।
- (ज) एक अन्य टी.वी. किलप ‘आम आदमी सरकार’ की विशेष उपलब्धियों तथा सरकार द्वारा सामना की गई रुकावटों को संदर्भित कर रही थी एवं केन्द्र सरकार व दिल्ली पुलिस को नकारात्मक द्रष्टिकोण में प्रक्षेपित कर रही थी।

- (ज्ञ) उसी तरह से शिक्षा सुविधाओं, खराब हुई फसलों के लिए किसानों को मुआवजा, ओड-इवन स्कीम, सरकारी अस्पतालों में दवाईयां तथा जांच और बिजली तथा पानी के बिलों में कटौती से सम्बन्धित रेडियो जिंगल में भी 'केजरीवाल सरकार' ही उद्घृत था।
- (iv) इसके अतिरिक्त 'महिलाओं की सुरक्षा' पर विज्ञापन अभियान के अन्तर्गत ₹ 71.65 लाख की लागत पर 21 से 27 जुलाई 2015 तक सात दिनों के लिए 105 सैकेण्ड की एक टी.वी. विलप टेलिकास्ट की गई थी, जिसमें 'दिल्ली में लॉ एण्ड आर्डर' को बिगाड़ने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली पुलिस को, उत्तरदायी दर्शाते हुए एक नकारात्मक दृष्टिकोण में प्रक्षेपित कर रही थी।

उपरोक्त विज्ञापनों तथा प्रचार अभिमानों पर नमूना जाँच के दौरान पाया गया व्यय ₹ 24.29 करोड़ था, जो दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

निदेशालय ने कहा (जुलाई 2016) कि लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ व्यक्ति परक थी तथा 'केजरीवाल सरकार' का जनता तथा मीडिया द्वारा नामावली के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसका उपयोग प्रभावी संचार के लिए किया गया था। उसने यह भी कहा कि 'आप सरकार' अभिव्यक्ति का उल्लेख दिल्ली सरकार के लिए किया, जो केवल दिल्ली सरकार की उपलब्धियों के बारे में थी। नकारात्मक टिप्पणियों के सम्बन्ध में, निदेशालय ने महिलोओं के प्रति जुर्म एवं दिल्ली पुलिस के योगदान के सम्बन्ध में विभिन्न अभियुक्तियों/न्यायालय की टिप्पणियों/मीडिया को उद्घृत किया तथा यह बताया कि दिल्ली में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है। जहां तक केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में उल्लेख की बात है, निदेशालय ने बताया कि यह कानूनी रूप से गठित दो सरकारों के बीच का राजनीतिक मामला था जोकि जनता के समक्ष रखा गया तथा जिसमें किसी दूसरे राजनीतिक दल को लक्षित नहीं किया गया था।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रचार अभियान, जोकि पब्लिक एक्सचैंकर द्वारा निधिवद्ध होते हैं, को जनता के अधिकारों, आभार तथा अधिकृतों को सूचित करने के साथ-साथ सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, सेवाओं तथा पहलुओं को स्पष्ट करना चाहिए। विज्ञापन जो कि दिल्ली सरकार की उपलब्धियों के लिए किसी व्यक्ति को श्रेय देता है तथा जिसमें राजनीतिक दल के सन्दर्भ में विशिष्ट लेख, चित्रमय तथा दृश्य अथवा उनके चिन्ह सम्मिलित है, वे राजनीतिक दल के राजनीतिक हितों को निःसन्देह रूप से बढ़ावा देने वाले हैं तथा व्यय से संबंधित शासी मूलभूत सिद्धांतों एवं शीर्ष न्यायालय द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के विरुद्ध थे। अन्य सरकारों के विषयों के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष अथवा राजनीतिक तर्क तथा पक्षपात दृष्टिकोण से मुक्त हैं क्योंकि उनकी प्रकृति सत्ता में पार्टी की सकारात्मक धारणा तथा सरकार की आलोचक पार्टियों की नकारात्मक धारणा को प्रक्षेपित करती है।

2.2.2.2 विज्ञापनों में गैर सत्यापनीय विषय

दिशानिर्देश निर्धारित करता है कि सूचना प्राप्तकर्ताओं को, विज्ञापन के विषयों में तथ्यों और विश्लेषणों, के बीच अंतर करने के लिए समर्थ बनाना चाहिए तथा जहां सूचना एक तथ्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है, यह सटीक और सत्यापनीय होनी चाहिए। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- (क) फरवरी 2016 में प्रसारण किया गया टीवी किलपस में दावा किया गया कि तीन पुलों को अनुमानित लागत की अपेक्षा लगभग ₹ 350 करोड़ की कम लागत पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने लोक निर्माण विभाग से परियोजनाओं और किए गए व्यय के विवरण का अनुरोध किया। तथापि कोई विवरण प्रदान नहीं किये गये थे। प्रारूप रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में सरकार ने कहा (जुलाई 2016) कि तीन पुलों (मंगोलपुरी से मधुबन चौक, मधुबन चौक से मुबरका चौक और प्रेमबाड़ीपुल से आजादपुर) के निर्माण में ₹ 347 करोड़ की बचत थी जब इनकी तुलना संखीकृत लागत से की गई। इनमें से एक पुल 25 जनवरी 2016 को पूरा कर लिया गया था जबकि शेष दो पुलों के संबंध में 'लघुमदों के कार्य' प्रगति में थे। शेष कार्यों में सड़कों को चौड़ा करना/सुदृढ़ीकरण, सेवा सड़क, फुटपाथ, नाली, स्ट्रीट लाइट का निर्माण इत्यादि शामिल था। प्रक्षेपित कुल व्यय केवल एक 'आंकलन' था तथा यह किया गया वास्तविक व्यय नहीं था।


लेखा परीक्षा में पाया गया कि तीन पुलों में से दो का निर्माण कार्य पुरा होना शेष था यद्यपि उन्हे यातायात के लिए खोला जा चुका था तथा प्रक्षेपित बचत बेशक एक आंकलन पर आधारित थी न कि वास्तविक व्यय पर। शेष कार्यों की लागत लेखापरीक्षा को नहीं बतायी गयी थी। मदवार स्वीकृत लागत तथा किए गए वास्तविक व्यय के विवरण के परियोजना अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा विज्ञापनों में दावे के साथ कही गई बचतों की सटीकता को सत्यापित करने में असमर्थ है।

- (ख) फरवरी 2016 में प्रसारित टीवी किलपों में से एक में कहा गया कि पहले एक औषधालय निर्माण हेतु ₹ 5 करोड़ का उपयोग किया जाता था जबकि वही औषधालय अब ₹ 20 लाख की लागत पर निर्माण कराया गया। हालांकि, डी.आई.पी. में संबंधित फाइल में न तो टीवी किलप में किए गए दावे के समर्थन में कोई प्रमाण निहित था न ही कोई दस्तावेज संकेत करता है कि विषय संबंधित विभाग द्वारा प्रदान किये गये थे। एक लेखा परीक्षा सवाल के जवाब में स्वास्थ सेवा निदेशालय (डी.एच.एस.) ने कहा कि वर्ष 2015–16 के दौरान कोई भी नवीन औषधालय का निर्माण नहीं किया गया था। इस प्रकार, पहले बनाए गए औषधालयों और अब बनाए गए औषधालयों के लागत की तुलना हेतु कोई आधार नहीं था। इसलिए, कम लागत पर औषधालयों के निर्माण से संबंधित दावा सत्यापन योग्य नहीं था।

2.2.2.3 विज्ञापनों में मंत्रियों की तस्वीरों का समावेश



दिशानिर्देश अनुबंध करते हैं कि सरकारी विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं की तस्वीरों से बचना चाहिए तथा यदि यह प्रभावशाली सरकारी संदेश के लिए आवश्यक महसूस किया जाता है तो केवल राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री या राज्यपाल/मुख्यमंत्री की तस्वीरों का प्रयोग होना चाहिए। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18 मार्च 2016 को एक समीक्षा याचिका में कहा कि मुख्यमंत्री की तस्वीर के बदले विभागीय (केबिनेट) मंत्री/संबंधित मंत्रालय के मंत्री प्रभारी की तस्वीर प्रकाशित की जा सकती है, यदि ऐसा वांछित हो।



डी.आई.पी. ने 31 मार्च 2016 को दिल्ली के समाचार पत्रों में आम आदमी मोहल्ला विलनिकों के उद्घाटन, सड़कों के किनारे पेड़ लगाने की योजना के उद्घाटन, आश्रम लूप सन डायल पार्क, सराय काले खाँ और सिल्वर ओक पार्क, जंगपुरा से संबंधित तीन विज्ञापनों को प्रकाशित किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि विज्ञापनों में मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री (लो.नि.वि.) की तस्वीर समाहित थी। क्योंकि दिशानिर्देशों के अनुसार या तो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के स्थान पर संबंधित मंत्री की तस्वीर का प्रदर्शन होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ माननीय मंत्रियों की तस्वीरों का समावेश दिशानिर्देशों के विरुद्ध था।

2.2.3 लक्षित जनसंख्या को चिन्हित करना

दिशानिर्देशों के महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धातों में से एक था कि प्रचार और विज्ञापन अभियानों को विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए तथा विज्ञापनों का विषय सरकार के सर्वैधानिक एवं वैधानिक बाध्यताओं के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों और हकों से संबंधित होना चाहिए। इसमें पहले ही कल्पना की जाती है कि समाज के लक्षित दर्शक/वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित किया जा सकेगा तथा अभियान से इस निर्धारित जनसंख्या को अधिक लागत प्रभावी ढंग से लक्ष्य के अनुकूल बनाया जा सकेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अभियान की डिजाइनिंग अथवा मीडिया चयन करते समय ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं किया गया था। अपेक्षित स्पष्टता/ पहुँच के किसी विश्लेषण के बिना प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और बाह्य मीडिया में व्यापक कवरेज था। छोटे अभियानों में जिसमें केवल

एक मीडिया होता है, वर्ष 2013–14 में टी.वी./रेडियो पर दिखाए सुनाए गए चैट शो के एक उदाहरण के अलावा, समाचार पत्रों का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया था। लक्षित दर्शक निर्धारित किए बिना या ऐसे लक्षित दर्शक को मीडिया की स्पष्टता के बिना मीडिया के चयन ने विज्ञापन अभियानों की प्रभावशीलता का कोई आश्वासन नहीं दिया।

इसके अतिरिक्त एक विशिष्ट सरकार का उत्तरदायित्व उस विशिष्ट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जनता के प्रति होता है। ऊपर पैरा 2.2.1 (iii) में उल्लेखित प्रचार अभियान पर किए गए कुल व्यय ₹ 33.40 करोड़ में से, ₹ 28.71 करोड़ (86 प्रतिशत) रा.रा.क्षे. दिल्ली के बाहर विज्ञापनों को प्रकाशित करने में खर्च किया गया जो नीचे तालिका 2.2.2. में है।

तालिका 2.2.2: अन्य राज्यों में विज्ञापनों पर व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मीडिया	समाचार पत्र/टीवी चैनल/रेडियो चैनल	किए गए मुग्गतानों के संदर्भ में प्राप्त अभिलेख	कुल व्यय	दिल्ली से संबंधित व्यय	अन्य राज्यों/शहरों से संबंधित व्यय
प्रिंट	26 राष्ट्रीय समाचार पत्र तथा 37 क्षेत्रीय समाचार पत्र	11 राष्ट्रीय समाचार पत्र तथा 30 क्षेत्रीय समाचार पत्र	24.04	2.76	21.28
टीवी	तीन एजेंसियाँ 98 चैनलों को कवर कर रही हैं	तीन एजेंसियाँ में से दो	7.86	1.30	6.56
रेडियो	7	7	1.50	0.63	0.87
		योग	33.40	4.69	28.71

वास्तिक औँकड़े ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि इन औँकड़ों में 15 मुख्य समाचार पत्रों, 7 क्षेत्रीय समाचार पत्रों तथा 'शब्दार्थ' के माध्यम से प्रसारित टीवी विलप्स में विज्ञापनों पर व्यय सम्मिलित नहीं किया गया है।

निदेशालय ने कहा (जुलाई 2016) कि दिल्ली में पर्यटन, व्यापार तथा खुदरा व्यवसाय को बढ़ावा देने तथा अधिक संख्या में रोजगार उत्पन्न करने हेतु अधिक क्षमता थी। राष्ट्रीय राजधानी में व्यवसाय, अच्छे कौशल, अच्छे डॉक्टरों, अच्छे इंजीनियरों तथा अच्छे शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक क्षेत्रों में किए गए कार्य जैसे स्वास्थ, शिक्षा, जल आपूर्ति इत्यादि प्रदर्शित किए गए थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विज्ञप्तियों, टीवी, विलप्स और रेडियों जिंगल में दिल्ली सरकार की उपलब्धियाँ एक राजनीतिक दल के रूप में दर्शायी गयी तथा विज्ञापन रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की योजनाओं तथा पहल को जन साधारण तक सूचित करने या

रा.रा.क्षे. दिल्ली के नागरिकों के लिए रा.रा.दि.स. के सर्वैधानिक तथा वैधानिक बाध्यताओं से संबंधित नहीं थे।

2.2.4 विज्ञापनों की प्रभावकारिता

दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ—साथ अनुबद्ध करते हैं कि सरकारों की नीति ऐसी होनी चाहिए, जिसके द्वारा जनता की निधियों को ऐसे ढंग से उपयोग किया जाए जिससे करदाताओं की धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।

मई से जुलाई 2015 में चार विज्ञापन अभियानों² के अंतर्गत टीवी चैनलों पर प्रसारण हेतु विज्ञापनों को प्रकाशित करते समय डीआईपी ने अनुबद्ध किया कि विलप्स का प्रसारण प्रातः 8:00 बजे से रात 11:00 बजे के बीच होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रसारण प्रमाणपत्रों में पाया कि कुछ विलप्स का प्रसारण प्रातः 7:00 बजे से भी पहले किया गया था यद्यपि प्रतिदिन प्रसारण की कुल संख्या को जारी आदेशों में उल्लेख के अनुसार रखा गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रातः 7:00 बजे से पहले के समय प्रकोष्ठों में संभवतः दर्शकों की संख्या कम होती है जिससे कि उनकी प्रभाविकता एवं लागत प्रभाव कम हो जाते हैं। इन विज्ञापनों पर किया गया व्यय ₹ 29.64 लाख था।

निदेशालय ने (जुलाई 2016) आश्वासन दिया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया है।

2.2.5 अभियान पश्चात प्रभाव आकलन का अभाव

दिशानिर्देशों में अनुबद्ध है कि विज्ञापन के बड़े अभियानों में, अभियान पश्चात प्रभाव आकलन स्वतः योजना प्रक्रिया में समाहित किया जाना आवश्यक है, जो अभियान समाप्त हो जाने के बाद सफलता मापने के लिए सकेंतकों की पहचान कर सकें। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि न तो विज्ञापन अभियानों के लिए योजना प्रक्रिया में अभियान पश्चात प्रभाव आकलन समाहित किया गया था और न ही इसे विज्ञापन अभियानों के समाप्त होने के बाद किया गया था।

2.2.6 'शब्दार्थ' की स्थापना

दिल्ली मंत्री परिषद को शब्दार्थ की स्थापना के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव में स्पष्ट था कि डी.आई.पी., पैनल में शामिल निजी विज्ञापन एजेंसियों पर पूर्णतः आश्रित था, जिससे दिल्ली सरकार 15 प्रतिशत की छूट से, जो मीडिया द्वारा दी जाती है, वंचित रह गई क्योंकि एजेंसियों द्वारा छूट को रखा जाता था। यह प्रस्तावित था कि एजेंसी को अपने खर्चों को पूरा करने तथा आत्म निर्भर बनने के लिए छूट का पाँच प्रतिशत रखने की अनुमति दी जा

²शुल्क दर, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा बजट में वृद्धि तथा दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विज्ञापन अभियान।

सकती है तथा सरकार अभी भी 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकती है। यह भी प्रस्तावित था कि शब्दार्थ की स्थापना तथा परिचालन खर्च हेतु ₹ 50 लाख का ऋण प्रदान किया जा सकता है जिसे पाँच वर्षों में चुकाया जाना था।

केबिनेट ने शब्दार्थ की स्थापना (16 अप्रैल 2015) का अनुमोदन इस परिवर्तन के साथ किया कि शब्दार्थ द्वारा पूरी 15 प्रतिशत छूट रखी जा सकती है तथा ऋण के बजाय एक बार अनुदान के रूप में ₹ 50 लाख दिए जाए।

शब्दार्थ ने बाद में रा.रा.क्षे. दिल्ली के सूचना और प्रचार के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत अगस्त 2015 से कार्य करना शुरू किया। इसे डीआईपी भवन में स्थान और कार्यालय सुविधाएँ प्रदान की गई थी। शब्दार्थ के संगम ज्ञापन में अन्य बातों के साथ—साथ यह भी कहा गया कि इसका उद्देश्य प्रिंट, बाह्य टी.वी./रेडियो/अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और रा.रा.क्षे.दि.स. की प्रसारण गतिविधियों, नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों से संबंधित प्रकाशन तथा प्रस्तुतीकरण और नागरिकों के साथ संचार का है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मंत्री परिषदों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के परिवर्तनों ने शब्दार्थ को 15 प्रतिशत छूट को बनाए रखने की अनुमति देते हुए वित्तीय लाभ को नकार दिया जिसे सोसायटी की स्थापना के लिए प्रस्ताव में औचित्य के रूप में आगे रखा गया था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि 9 फरवरी 2016 को सचिव (जनसंपर्क)/डी.आई.पी. ने प्रचार अभियान से संबंधित मुख्य—दारा प्रिंट मीडिया के विपणन प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की जो उसी महीने में शुरू होनी थी, समाचार पत्रों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु विज्ञप्ति का प्रारूप प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। बाद में, डी.आई.पी. ने विज्ञप्तियों के लिए ₹ 24.04 करोड़ जारी किया जो 14 से 17 फरवरी 2016 तक 26 राष्ट्रीय और 37 क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। इसमें 11 राष्ट्रीय और 30 क्षेत्रीय समाचार पत्रों के संदर्भ में शब्दार्थ के लिए ₹ 4.04 करोड़ की छूट शामिल थी। शेष समाचार पत्रों के बिल लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। समाचार पत्रों द्वारा प्रस्तुत बिलों में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की। हालांकि, शब्दार्थ ने इसके द्वारा डीआईपी को प्रस्तुत बिलों में छूट को जोड़ा था। जबकि इस संदर्भ में डिजाइनिंग और क्रिएटिवस संबंधित समाचार पत्रों द्वारा किए गए थे, शब्दार्थ के माध्यम से भुगतान का तथा सोसायटी के लिए छूट का लाभ प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं था।

निदेशालय ने कहा (जुलाई 2016) कि शब्दार्थ ने विज्ञापनों के प्रकाशन, बिल बनाने तथा भुगतान से संबंधित सभी गतिविधियाँ निष्पादित की। यह भी कहा गया कि यहाँ तक कि निदेशालय ने विज्ञापनों को प्रकाशित किया था, इसमें कमीशन की बचत नहीं हो सकती थी जैसाकि यह समाचारपत्रों और एजेंसी के बीच था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एजेंसी की छूट इस मामले में डीआईपी को उपलब्ध हो सकती थी यदि इसने समाचार पत्रों को विज्ञप्तियाँ सीधे तौर पर प्रकाशन हेतु दी होती।

2.2.7 बजटीय नियन्त्रण की कमी

सा.वि.नि. बताते हैं कि व्यय किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से देय अनुमोदनों को प्राप्त किया जाना चाहिए। इनमें व्यय के अनुमान सम्मिलित होते हैं जोकि सूचित की गई मंजूरी के अनुसार उसे इस योग्य बनाए जाने के उद्देश्य में अनुमोदन करने वाले अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। डी.आई.पी. ने 30 मार्च 2015 को सभी विभागों को अनुदेश जारी किए कि सक्षम अधिकारी से विज्ञापन के लिए अनुमोदन मांगते समय प्रस्ताव में अभियानों की अनुमानित कुल लागत, क्षय, एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित छूट, इत्यादि शामिल करना चाहिए।

डी.आई.पी. में अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि ₹ 33.46 करोड़ के व्यय को सम्मिलित करते हुए आठ विज्ञापन अभियानों का प्रस्ताव 2015–16 के दौरान सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन भी किया गया, यद्यपि सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में अनुमानित लागत को न तो परिकलित किया गया और न ही उनको अग्रेषित किया गया। इस प्रकार, सक्षम अधिकारी के लिए किसी भी तरह से व्यय की प्रमाणाकारी पता नहीं लगाया जा सकता था जिससे उसे प्राधिकृत किया जाता, न ही देयता को प्राप्त किए जाने की पर्याप्त राशि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए जाने का कोई तंत्र था।

इसी प्रकार उच्च शिक्षा निदेशालय (डी.एच.ई.) तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने अनुमानित लागत की उपलब्धता के बिना विज्ञापनों के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। इन दो विभागों द्वारा वास्तविक व्यय 2013–15 के दौरान क्रमशः 10 मामलों में ₹ 27.02 लाख तथा 11 मामलों में ₹ 1.05 करोड़ था।

विज्ञापनों का प्रसारण, सम्मिलित किए गए व्यय का निर्धारण किए बिना, किया जाना, व्यय नियन्त्रण के मूलभूत मानकों का उल्लंघन करना था तथा बजट आंबटनों अथवा उपलब्ध निधि के संदर्भ के बिना सूजित देयताओं को परिमाणित किया गया।

निदेशालय ने कहा (जुलाई 2016) कि विज्ञापनों को प्रसारित किए जाने से पूर्व बजटीय आंबटन को ध्यान में रखा जाता था। आगे कहा गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. के सभी विभागों/स्वायत निकायों/निगमों को जून 2016 में प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव में प्रत्येक विज्ञापन की अनुमानित लागत को शामिल करके स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर की पुनरावृत्ति की गई थी। हालांकि, तथ्य यह था कि ₹ 34.78 करोड़ के व्यय से संबंधित प्रस्तावों को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन हेतु, उनके वित्तीय निहितार्थों को अवगत कराए बिना प्रस्तुत किया गया तथा अनुमोदन प्राप्त किया गया।

2.2.8 आन्तरिक नियन्त्रण की कमी

आंतरिक नियन्त्रण वे सुरक्षा उपाय होते हैं जिन्हें एक संगठन के प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन प्रदान करने हेतु लागू किया जाता है कि इसका संचालन योजनानुसार हो रहा है। ये उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए भी डिजाइन किए जाते हैं कि उपक्रम के सामान्य

उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है। ऐसे आन्तरिक नियंत्रणों द्वारा प्रदत्त उचित आश्वासन से सार्वजनिक प्राधिकरणों की देयता सुदृढ़ होती है। लेखापरीक्षा ने रिकार्डों के रख-रखाव में सामान्य कमियां पाईं जो नीचे उल्लेखित हैं:

- क) **रजिस्टरो का अनुचित रख-रखाव:** डी.आई.पी. विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से प्रिंट मीडिया विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए वर्ष-वार विज्ञापन रजिस्टर का रख-रखाव करता है। रजिस्टर में कालम जैसे डी.आई.पी. संख्या, समाचार पत्रों का नाम, विज्ञापन का प्रकार, (प्रदर्शन/वर्गीकृत/संविदा सूचना/सार्वजनिक सूचना) विभाग का नाम/पता निहित होता है। डी.आई.पी. प्रकाशित विज्ञापनों के प्रति विज्ञापन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों के भुगतान के लिए प्रिंट मीडिया के लिए व्यय रजिस्टर का भी रख-रखाव करता है जिसमें भुगतानों के ब्यौरे जैसे फाइल संख्या, अवसर, जारीकर्ता, फर्म/समाचार पत्र का नाम, बिल संख्या और दिनांक, राशि इत्यादि रिकार्ड होते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों रजिस्टरो के बीच कोई संबंध नहीं था जिसकी अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि क्या वर्ष के दौरान प्रकाशित किए गए सभी विज्ञापनों के प्रति भुगतान किए गए थे और क्या कोई बकाया देयता शेष है।
- ख) **बाहरी अभियानों एवं दृश्य श्रव्य मीडिया के लिए रजिस्टरों का गैर रखरखाव:** डी.आई.पी. ने बाहरी मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों के लिए कोई भी जारी आदेश रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया था यद्यपि एक व्यय रजिस्टर रखा जा रहा था जिसमें भुगतान के ब्यौरे दर्ज किये जा रहे थे। जिसके परिणामस्वरूप प्रकाशित किए गए विज्ञापनों की संख्या और प्रकाशित किए गए विज्ञापनों के प्रति बिल प्राप्त किए गए थे और उनके प्रति किए गए भुगतानों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

निदेशालय ने कहा (जुलाई 2016) कि समय की कमी के कारण अधिकांश मामलों में विज्ञापनों की अनुमानित लागत को सुनिश्चित करना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त निदेशालय बजट से पूर्णतः अवगत होता है और आवंटित बजट से अधिक खर्च नहीं किया जाता। उत्तर तर्क संगत नहीं है जैसाकि ऐसे रजिस्टर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और व्यय की मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक मुख्य दस्तावेज होते हैं और उनके अनुचित अथवा गैर-रखरखाव से दोहरे भुगतान का जोखिम बढ़ जाता है।

2.2.9 निष्कर्ष

सार्वजनिक राजकोष से वित्तपोषित विज्ञापन और प्रचार अभियानों को सरकार के उत्तरदायित्वों से संबंधित होना चाहिए और सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, सेवाओं और अभिक्रमों से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लोगों को सूचित करने पर स्पष्टतया निर्दिष्ट होने चाहिए। नमूना जाँच में पाया गया कि विज्ञापनों और प्रचार अभियानों पर किया गया

₹ 24.29 करोड़ का व्यय वित्तीय औचित्यता के सामान्य स्वीकृत सिद्धांतों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित विषय नियमन के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे। एक विशेष प्रचार अभियान पर किए गए ₹ 33.40 करोड़ के व्यय का 85 प्रतिशत से अधिक व्यय रा.रा.क्षे. दिल्ली के बाहर प्रकाशित विज्ञापनों से संबंधित था जो रा.रा.क्षे.दि.स. के उत्तरदायित्व से परे था। लक्षित दर्शकों की पहचान अथवा आवश्यक दृश्यता अथवा आऊटरीच के लिए पहले कोई कार्य नहीं किया गया, न ही कोई अभियान पश्चात प्रभाव आकलन किया गया। जबकि शब्दार्थ की स्थापना विज्ञापन संबंधी व्यय को आर्थिक रूप से कम करने के कथित उद्देश्य के साथ की गयी थी जिसे प्राप्त नहीं किया गया था। अंततः विज्ञापनों/ प्रचार अभियानों को प्रकाशित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करते समय प्रस्तावों में लागत अनुमानों के समावेशन से संबंधित विद्यमान अनुदेशों के गैर-अनुपालन ने व्यय नियंत्रण को कमजोर कर दिया तथा व्यय की व्यापकताओं एवं शुद्धता तथा विज्ञापनों एवं प्रचार से उत्पन्न देयताओं के लिए कोई आश्वासन प्रदान नहीं किया गया।

यह मामला 8 जुलाई 2016 को सरकार को भेजा गया; प्रतिवेदन हेतु उनका जवाब प्रतीक्षित था (16 अगस्त 2016)।

नई दिल्ली

(डौली चक्रबर्ती)

दिनांक : 21 अगस्त 2016

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

(शशि कान्त शर्मा)

दिनांक : 22 अगस्त 2016

भारत के नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक

विज्ञापनों की सामग्री से उद्धरण /टी.वी. किलप्स से स्नेपशॉट्स

(पैराग्राफ 2.2.2.1 को देखें)

पैराग्राफ 2.2.2.1(i)

(क) जून 2015 में प्रसारित टीवी किलप

पीछे से एक आवाज में कहता है – “रोज टीवी देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारे बैर्झमान इकट्ठे हो गए। केजरीवाल के हाथ धो कर पीछे पड़े हैं” और प्रार्थना करता है – “रोज भगवान से दुआ माँगती हूँ भगवान हमारे अरविंद को सलामत रखें”

(ख) जुलाई 2015 में प्रसारित टीवी किलप

‘भष्टाचारियों की साजिशों के बावजूद “केजरीवाल सरकार” ने रचा इतिहास’ तथा ‘ये हैं केजरीवाल सरकार का वादा जो कहा वो किया’

पैराग्राफ 2.2.2.1(iii)(घ)

दिनांक 1 मार्च 2016 के डेली एक्सेलसियर में विज्ञापन का सार

अधिकारियों को परेशान करना, सरकार बिगाड़ने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग

(विज्ञापन के पहले चार पैराग्राफ नीचे उद्धृत किये गये हैं।)

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) के घोर दुरुपयोग में, भाजपा शासित केन्द्रीय सरकार ने स्पष्टतया वित्त मंत्री अरुण जेटली को बचाने के लिए आप शासित दिल्ली सरकार पर एजेंसी प्रतिवर्ती किया जो दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ में आरोपित वित्तीय अनियमितताओं के केन्द्र में है।

15 दिसम्बर को प्रातः करीब 9:00 बजे सी बी आई अधिकारी दिल्ली सचिवालय में घुसे और करीब 20 मिनट के बाद जाँचकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री. राजेन्द्र कुमार के कार्यालय में थे जो कि सी एम ओ के प्रांगण में स्थित है। सी बी आई अधिकारियों ने पूरे तल को सील कर दिया।

इन सभी में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य था कि जब सीबीआई ने मुख्यमंत्री के कार्यालय पर छापा मारा, बहुत सक्रिय थी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर जैसे भाजपा शासित मध्यप्रदेश में व्यापम तथा राजस्थान में ललित गेट जिसमें भाजपा मुख्य मंत्रियों और आरएसएस के कुछ सदस्यों के शामिल होने का विश्वास है पर विशिष्ट चुप्पी साधे थे।

सी.बी.आई. राजनैतिक दबाव के स्पष्ट कारणों की वजह से अभूतपूर्ण जल्दी के साथ आगे बढ़ी एवं काम किया। अब तक एजेंसी दिल्ली सरकार से संबंधित दस्तावेजों की प्रासंगिकता

की व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी, जो पूर्ण रूप से या तो निचली अदालत या उच्च न्यायालय में जाँच के उद्देश्य से संबंधित नहीं है, किन्तु उन्हें 15 दिसम्बर 2015 को खोज वारंट के तहत हड्डपने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कार्यालय से अंधाधुंध तरीके से सी बी आई द्वारा जब्त किया गया। यहाँ यह भी उद्धृत करना उचित होगा कि सी बी आई ने कुमार के विरुद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई तथा तीन दिन तक कुछ घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया।

पैराग्राफ 2.2.2.1(iii)(उ)

फरवरी 2016 में प्रसारित टीवी किलपस से स्नेपशॉट

- (i) एक व्यक्ति झाड़ू लहरा रहा है जो एक राजनीतिक दल का चिन्ह है।



- (ii) एक टीवी किलप में प्रदर्शित शीर्षक



- (iii) 'आम आदमी पार्टी' कहते हुए एक बैनर के साथ जुलुस



पैराग्राफ 2.2.2.1(iii)(ज)

फरवरी 2016 में प्रसारित टीवी किलप

पीछे से एक आवाज में कहता है



'लेकिन उन्होंने अङ्गचने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी' तथा 'दिल्ली पुलिस द्वारा अत्याचार—क्रूरता' प्रदर्शित एक विज्ञापन लिए लोगों का एक जुलुस दिखाया गया।

साथ ही किलप में यह टिप्पणियाँ भी सम्मिलित थी यथा:

'केन्द्र सरकार ने सेंट्रल फोर्स भेज कर दिल्ली सरकार की एंटी-करप्शन ब्रांच पर कब्जा किया। मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सीबीआई के छापे डलवाए'

पैराग्राफ 2.2.2(iv)

फरवरी 2016 में प्रसारित टीवी किलप

एक आवाज कहती है कि

- "अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक लड़की को सरेआम 32 बार चाकू से गोद—गोद कर मार डाला गया"
- "मैं और मनीष उस लड़की के परिवारवालों से मिलने गए थे"
- "वहाँ पर लोग बहुत डरे हुए हैं। कहना है कि रोज दूर—दूर कहीं भी पुलिस दिखाइ नहीं देती"
- "दिल्ली में इस किस्म की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं"
- "कानून व्यवस्था चरमरा गई है"
- "खास तौर पर महिलायें अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगी हैं"

ये प्रधानमंत्री के एक अपील के बाद किया गया यथा:

'मैं देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ। सर, आप तो जानते हैं, दिल्ली पुलिस पर दिल्ली सरकार का किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। कानूनन दिल्ली पुलिस सीधे आपके अंडर में आती है। आप उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको पूरा देश सम्भालना है, इसलिये दिल्ली पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। उसपे किसी का कंट्रोल नहीं बचा है। सर, ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले खराब हैं, उनका सिर्टम ही खराब है। वो लोग तो खुद बहुत दुखी हैं। सर, मेरी आप से एक छोटी सी विनती है। विनम्र विनती है, या तो आप हर हप्ते कम से कम एक घण्टा दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए निकाला कीजिए। दिल्ली पुलिस की जवाबदेही

तय किया कीजिए या फिर दिल्ली पुलिस का कंट्रोल आप हमें दे दीजिए, जनता के साथ मिलकर हम दिल्ली पुलिस की व्यवस्था को ठीक करेंगे। और हाँ जहाँ मीनाक्षी का कत्ल हुआ था, आनन्द पर्वत पर, वहाँ के लोग बहुत डरे हुये हैं प्लीज, वहाँ पर पुलिस का उचित बन्दोबस्त करा दीजिए। शुक्रिया।